लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

अंक ७, १९५४

(१४ से २४ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

अष्टम सूत्र १९५४

(खण्ड ७ म अंक २१ से अंक २९ तक है)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली।

603 LSD

विषय-सूची

खंड ७—अंक २१–२९ (१४ से २४ दिसम्बर, १९५४)

अंक २१—मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११४, १११८, से ११२२, ११२४, ११२५, ११२७, ११२८, ११३०, ११३२ से ११३४, ११३६ ११३८, ११४५, ११४७ से ११५०, ११५२, ११५४, ११५७, ११६१, ११६२, ११६४ और ११६६ . . १६९९—१७४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५ से ११:१७, ११२३, ११२६, ११२९, ११३१, ११३५, ११३७, ११४०, ११४२ से ११४४, ११४६, ११५१, ११५३, ११५५, ११५६, ११५८ से ११६०, ११६३, ११६५, ११६८ और ११६९ . १७४०—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१९ से ७४८ . . १७५२–१७७६

अंक २२— बुधवार, १५ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७१, ११७३, ११७६, ११७७ ११७९ से ११८२, ११८७, ११९०, ११९१, ११९३ ११९४, ११९६ से १२०१, १२०३, १२०४, १२०६, से १२०८, १२११, १२१३, १२१४, १२१६, १२१८, १२२१ से १२२३, १२२७ से १२३२ और १२३५ . १७७७—१८२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७०, ११७२, ११७४, ११७५, ११७८, ११८३ से ११८६, ११८८, ११८९, ११९२, ११९५, १२०२, १२०५, १२०९, १२१०, १२१२, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२४ से १२२६, १२३४, और १२३६ से १२४९ . १८२५—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४९ से ७७० और ७७२ से ८०३ १८४९—८२

अंक २३—गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२५४, १२५६, १२५८, १२५९, १२६२ से १२६४, १२६९, १२७१, १२७३ से १२७५, १२७७, १२७९, १२८२ से १२८५, १२८७, १२८८, १२९०, १२९१ और १२९३ से १२९७ . १८८३—१९२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५०, १२५५, १२५७, १२६० १२६१, १२६५ से १२६८, १२७०, १२७२, १२७६, १२७८, १२८०, १२८१, १२८६, १२८९, १२९२, १२९८, और १३०५ से १३०७ . . १९२५—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०४ से ८१४ और ८१६ से ८१९ . १९३८—५०

अंक २४—शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०८ से १३१३, १३१५ से १३१८, १३२१ से १३२३, १३२५, १३२६, १३२८, १३२९, १३३२, १३३३, १३३५ से १३३८, १३४१ से १३४५ और १३४७ . १९५१—९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१४, १३१९, १३२०, १३२४, १३२७, १३३०, १३३१, १३३४, १३४०, १३४६ और १३४८ से १३६७ . . . . १९९७–२०१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२० से ८५०, और ८५२ . . २०१८–२०३८

अंक २५—सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६८ से १३७२, १३७५ से १३७८, १३८०, १३८१, १३८३ से १३८५, १३८७ से १३९०, १३९२, १३९४, १३९५, १३९७ और १३९९ से १४०९ २०३९—८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . २०८५—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७३, १३७४, १३७९, १३८२, १३८६, १३९१, १३९३, १३९६, १३९८, १४१० से १४२०, १४२२ और १४२३ . . . २०८७—९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५३ से ८८१ . . . २०९९—२११८

अंक २६—मंगलवार, २१ दिसम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२४ से १४३८, १४४०, १४४१, १४४३ से १४४६, १४४८, १४४९, १४५१ से १४५५ २११९—६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३९, १४४२, १४४७, १४५०, १४५६, १४५९ से १४६९, १४७१ से १४७५ २१६४—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८२ से ८९१ . . २१७६—८०

अंक २७—बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७६ से १४८३, १४८८ से १४९०, १४९२ से १४९४, १४९६, १४९७, १४९९, १५००, १५०२ और १५०४ से १५०७ . . . २१८१—२२२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८४ से १४८७, १४९१, १४९५, १४९८, १५०१, १५०३, १५०८ से १५२२, १५२२—क, १५२३ से १५३३ और १५३५ से १५५७ . . २२२९—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ९२५ . . २२६३—८६

अंक २८—गुरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५८ से १५६१, १५६३ से १५६६, १५६९से १५७३, १५७५, १५७६, १५७८, १५७९, १५८१, १५८२ और १५८३ . २२८७–२३२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्नसंख्या १५६२, १५६७, १५६८, १५७४, १५७७, १५८०, १५८२–क, १५८४ से १५९३, १५९३–क, १५९४ से १६०१, १६०३ से १६२१, १६२१-क, १६२२ से १६२४, १६२४–क, १६२५ से १६२९, १६३१ से १६३५ २३२८–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२६ से ९७७ . . २३६४–९६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६, ७, ९, १० और ८ . २३९७—२४१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३६ से १६७३, १६७३क और १६७४ से १६८६ . . . . २४१९—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७८ से ९९४ . . २४५२—६४

———

GIPND—NSH—603 LSD—1-1-55—240

लोक-सभा

सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४

लोक-सभा ११ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

डाकसेवा

*१३६८. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवा में शीघ्रता लाने की दृष्टि से १ नवम्बर, १९५३ से ३१ अक्तूबर, १९५४ तक की अवधि में उन स्थानों पर जिन पर हरकारे द्वारा डाक भेजी जाती थी उसके स्थान पर डाक की मोटर द्वारा डाक ले जाने की व्यवस्था में आगे और कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो यह नई व्यवस्था कितने स्थानों में और कितने मील क्षेत्र में की गई है?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) ३१०७ मील में १८३ स्थानों पर

हरकारों के स्थान पर मोटर द्वारा डाक ले जाने की व्यवस्था कर दी गई है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस योजना के अन्तर्गत केवल पक्की सड़कों को ही लिया गया है अथवा लिया जा रहा है अथवा कच्चे रास्तों को भी लेने का विचार है ?

श्री राज बहादुर : हमारा विचार जहां कहीं भी बसें चलती हैं वहां हरकारों के स्थान पर डाक की गाड़ियां चलाने का है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या किसी निश्चित समय में कोई निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिये कोई विशद योजना तैयार की गई है ?

श्री राज बहादुर : जहां कहीं भी मोटर चलने के योग्य सड़कें हैं और हम मोटर बसें चलती देखते हैं हम तुरन्त हरकारे के स्थान पर मोटर सेवा चालू करने की व्यवस्था करने का प्रयत्न करते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : इस योजना के पूरी हो जाने पर भी कितने मील ऐसे रह जायेंगे जिस पर मोटर सेवा चालू करना सम्भव नहीं होगा ?

श्री राज बहादुर : जिन स्थानों पर हरकारे डाक ले जाते हैं और जिन पर मोटर सेवा चालू नहीं है उनकी संख्या १३,६७२ है और उनकी लम्बाई ७३,४०४ मील है ।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है कि यदि बसों के मालिक डाक ले जाने से इन्कार करें तो जनता की सुविधा की दृष्टि से उनको ऐसा करने के लिये विवश किया जा सके ?

श्री राज बहादुर : इस विषय में हमारा अनुभव यह है कि डाक ले जाने के लिये उन्हें तैयार करने में कोई कठिनाई नहीं होती ।

काली मिर्च विकास निधि

*१३६९. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री गरम मसाला जांच समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ ३७ की कंडिका १५ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काली मिर्च विकास निधि की स्थापना करने के सम्बन्ध में कोई निश्चय किया है और यदि नहीं, तो क्यों; और

(ख) क्या काली मिर्च पर वसूल किये गये निर्यात शुल्क में से किसी राशि का उपबंध सरकार ने ऐसी वस्तु की गवेषणा करने, जिससे काली मिर्च के रोगों की रोकथाम की जा सके, अधिक उत्पादन करने वाली किस्मों का विकास करने अथवा विशेष प्रकार के पौधा-घर बनाने के लिये किया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) काली मिर्च के लिये किसी भी विकास निधि की स्थापना नहीं की गई है । किन्तु भारत सरकार ने काली मिर्च पर उचित गवेषणा करने तथा विकास सम्बन्धी योजनाओं के लिये कुछ सीमित धन देने की स्वीकृति दे दी है ।

(ख) काली मिर्च पर प्राप्त निर्यात शुल्क में से कोई विशेष राशि सरकार द्वारा काली मिर्च पर गवेषणा अथवा विकास योजना में योजनाओं पर व्यय नहीं की गई है । किन्तु राष्ट्रीय योजना में इस प्रयोजन के लिये धन की व्यवस्था की गई है और इस गरम मसाले के सम्बन्ध में स्वीकृत योजनायें शीघ्र ही कार्य करने लगेंगी । मद्रास राज्य में १९४९ से काली मिर्च पर गवेषणा योजना के लिये भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् वित्तीय सहायता देती रही है ।

श्री वी० पी० नायर : अक्तूबर, १९५३ में प्रकाशित गरम मसाला जांच समिति के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि समिति ने एक विशिष्ट सिफारिश यह की थी कि काली मिर्च पर निर्यात शुल्क के रूप में एकत्र की गई धन राशि का कुछ अंश विकास कार्यों के लिये विशेष रूप से निर्धारित कर दिया जाये । गरम मसाला जांच समिति की इस सिफारिश विशेष पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

डा० पी० एस० देशमुख : सरकार ने इस सिफारिश पर बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और यह उसी का परिणाम है कि १९५४–५५ और १९५५–५६ इन दो वर्षों में १५·७ लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव किया गया था । समिति की सिफारिश विशेष को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, किन्तु कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा और इन योजनाओं से जो अनुभव प्राप्त होगा उसी के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जायगी ।

श्री वी० पी० नायर : प्रतिवेदन से यह भी जान पड़ता है कि १९४९ से लेकर १९५२ तक चार वर्षों में भारत सरकार १२·९४ करोड़ रुपये एकत्र कर सकी है

जिसमें त्रावनकोर-कोचीन का अंश ७·३४ करोड़ रुपये और केवल काली मिर्च के निर्यात से मलाबार से ५·६ करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। क्या इन वर्षों में अथवा इसके पश्चात् भारत में काली मिर्च उद्योग का विकास करने और भारत में काली मिर्च उद्योग को आजकल जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनको सुलझाने के लिये विशेष रूप से कोई राशि व्यय की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : पहले जो कुल व्यय किया जा चुका है उसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। जहां तक शुल्क वसूली का सम्बन्ध है, हो सकता है कि मेरे माननीय मित्र का कथन सही हो। किन्तु भूतकाल की अपेक्षा अब हम इसे अधिक गम्भीरता से लेंगे।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार के सम्मुख कोई ऐसी योजनाएं हैं जिनके द्वारा काली मिर्च के उत्पादकों को समुचित मात्रा में ऐसे पौधे दिये जायेंगे जिनमें रोगों का सामना करने की क्षमता हो जैसा कि प्रतिवेदन में बताया गया है और क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी भी योजनाएं हैं जिनके द्वारा समुद्र पार के खरीदारों द्वारा मूल्यों के गिराये जाने से उत्पन्न विषम परिस्थिति का सामना करने के लिये छोटे छोटे उत्पादकों की सहायता की जा सकेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सकता, किन्तु हम समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्य करने जा रहे हैं जिसमें मैं समझता हूं कि उसी प्रकार की सिफारिशें की गई हैं जैसी कि मेरे माननीय मित्र ने सुझाई हैं।

श्री जोकीम आल्वा : युद्धोत्तर काल का काली मिर्च का प्रतिवर्ष का उत्पादन केवल १८,००० टन था और चालू वर्ष का उत्पादन २१,००० टन है। इन वर्षों में सरकार ने दक्षिणी कन्नड़, उत्तरी कन्नड़, मलाबार और त्रावनकोर-कोचीन के काली मिर्च उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि करने के लिये किस प्रकार की सहायता दी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं बता चुका हूं कि भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के अन्तर्गत एक गवेषणा योजना चल रही है। इस सम्बन्ध में अन्य जानकारी देने के लिये मैं पूर्व सूचना चाहूंगा। हम जो कुछ करने का विचार कर रहे हैं पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है।

भारत में तार घर

*१३७०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ५,००० से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में भी तार-घरों की व्यवस्था करने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : जी हां, यदि इन तार-घरों से होने वाली हानि ५०० रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो और पांच मील के घेरे के अन्दर कोई दूसरा तार-घर न हो।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इन तार घरों के खोले जाने के लिये और शर्तें क्या क्या हैं ?

श्री राज बहादुर : जहां तक जिला प्रधान केन्द्रों का सम्बन्ध है, हम होने वाली हानि पर ध्यान दिये बिना तार घर खोल

देते हैं। सब-डिवीजनों, तहसीलों और थानों के सम्बन्ध में भी हाल ही में हमारी नीति का पुनर्नवीकरण हो गया है और हम होने वाली हानि का विचार किये बिना केवल यह देख कर कि समस्त हानि आरम्भ में और कुल मिला कर कुछ निश्चित सीमा से अधिक न हो तार-घर खोलने का प्रयत्न करते हैं।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस योजना पर कितना व्यय होगा ?

श्री राज बहादुर : लगभग २,००० तार-घर खोलने में कुल कितना व्यय होगा, यह बता सकना मेरे लिये कठिन है।

श्री कासलीवाल : क्या यह सच है कि राजस्थान के कुछ नगरों में तार-घर खोलने की बजाय टेलीफोन घर खोले गये हैं ?

श्री राज बहादुर : अर्थात् जहां हम तार के प्रयोजन के लिये फोनोग्राम प्रणाली का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग सार्वजनिक तार-घर के रूप में नहीं किया जाता है। इसका उपयोग केवल टेलीफोन के द्वारा समाचार भेजने के लिये किया जाता है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री महोदय ने इस सुझाव पर भी विचार किया है कि जिस तरीके से डाक घर खोलने के लिए एक स्थान की २,००० आबादी नहीं गिनी जाती बल्कि कई गांवों की आबादी मिलाकर गिनी जाती है इसी तरह से एक तार-घर खोलने के लिए एक स्थान की ५,००० की आबादी न हो तो उस इलाके भर की ५,००० की आबादी लेकर तार-घर खोले जा सकें ?

श्री राज बहादुर : अभी तार-घर खोलने के वास्ते ५,००० की आबादी का ही मय्यार रखा गया है और ऐसे स्थानों की जिनकी आबादी ५,००० है उनकी संख्या २,५०० है। इनमें से ८०० जगह तार-घर हैं और अगले साल २,०० जगह पर तार-घर खोले जायेंगे। जब ५,००० की आबादी वाले तमाम इलाकों में तार-घर खुल जायेंगे, तब इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है।

नर्सिंग व्यवसाय सम्बन्धी समिति

*१३७१. **श्री डाभी** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा स्थापित नर्सिंग व्यवसाय सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) नहीं, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री डाभी : समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मद्रास के स्वास्थ्य मंत्री---सभापति, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि, पश्चिमी बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री, बम्बई के स्वास्थ्य मंत्री, उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि, आसाम के स्वास्थ्य मंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि और मिस टी० के० आद्रनवाला, चीफ़ नर्सिंग सुपरिंटेण्डेण्ट, स्वास्थ्य सेवा महा-संचालक--सचिव।

श्री डाभी : प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जनवरी में किसी समय ।

सहायता-प्राप्त बाल कल्याण संस्थायें

*१३७२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) सरकार कितनी बाल कल्याण संस्थाओं को सहायता देती है;

(ख) १९५३–५४ वर्ष में किस राज्य को सब से अधिक और किसे सब से कम सहायता प्राप्त हुई; और

(ग) उनको कितनी सहायता दी गई ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) केन्द्रीय सरकार आवर्तक रूप से किसी बाल-कल्याण संस्था को सहायता नहीं देती ।

(ख) और (ग). प्रश्न पैदा नहीं होते ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या किसी राज्य सरकार की ओर से ऐसे सुझाव आये हैं कि बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं की मदद केन्द्रीय सरकार करे ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : केन्द्रीय सरकार की तरफ से प्रान्तीय सरकारों के पास तजवीज़ गई थी कि माताओं और बच्चों की भलाई के काम में केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों की मदद करना चाहती है और वे योजनाएं तैयार करें । कुछ के जवाब आ चुके हैं और उनको मदद दी जा चुकी है और बाकियों को उनके जवाब आने पर मदद दी जायेगी ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि बच्चों की अच्छी सेहत एजेंसी को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेटों की सरकारों ने अपने यहां की कोई स्कीम आपके पास भेजी है ?

राजकुमारी अमृत कौर : जी नहीं, उन्होंने अपनी स्कीमें तो नहीं भेजी हैं । वह खुद कुछ योजनायें चला रहे हैं, और बाकी जो हमारी योजना है उस पर वह विचार कर रहे हैं ।

श्रीमती सुषमा सेन : क्या बिहार से भी कोई स्कीम भेजी गई है ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं पहले कह चुकी हूं कि जो योजना भेजी है वह केन्द्रीय सरकार ने भेजी है ।

तारों की डिलीवरी

*१३७५. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ बड़े शहरों को छोड़कर अन्य स्थानों को बाद में भेजे गये साधारण पत्र पहले भेजे गये तारों की अपेक्षा जल्दी पहुंच जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार तारों की डिलीवरी में देरी होने के कारणों की खोज करेगी और तारों के जल्दी पहुंचने के लिये आवश्यक उपाय करेगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). जी हां, ऐसा बहुत असाधारण परिस्थितियों में कभी कभी हो सकता है, जैसे :

(१) तार संचार के एकाएक टूट जाने के कारण; अथवा

(२) कभी-कभी यदि कोई तार विलम्ब-शुल्क के बिना गन्तव्य स्थान के कार्यालय के बन्द होने के ठीक पूर्व ही ले ली जाये ।

(ग) सरकार तारों की डिलीवरी में शीघ्रता करने के लिये लगातार प्रयत्न कर रही है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात का प्रबन्ध कर रही है कि तार कम से कम पत्रों से तो शीघ्र पहुंच जाया करें, और जो इस सम्बन्ध में सरकार के पास शिकायतें आती हैं, जिनमें से कुछ के उदाहरण मेरे पास मौजूद हैं, क्या उन पर कुछ ध्यान दिया जाता है ?

श्री राज बहादुर : मैंने बताया कि आम तौर से तो तार पत्रों से शीघ्र ही पहुंचते हैं । हां, अगर तार की लाइन टूट गयी हो या तार उस वक्त दिया गया हो जबकि तारघर का समय निकल गया हो और बिना लेट फीस के दिया गया हो तो इन्हीं दो अवस्थाओं में देर हो सकती है । इसके अलावा तार पहुंचने में देर नहीं होनी चाहिये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि छोटे शहरों और देहातों में तार जल्दी पहुंचने की व्यवस्था करने के लिए तार की लाइन सुधारने के लिए क्या सरकार हर साल कुछ धनराशि देती है और अगर देती है, तो वह क्या है ?

श्री राज बहादुर : आम-तौर से तारों के वितरण के लिए पांच मील का रेडियस रखा जाता है और अगर उस दायरे का तार आता है तो समय से पहुंच जाता है । अगर पांच मील के बाहर का तार होता है तो देर लगती है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मेरा प्रश्न यह था कि क्या तार की लाइन सुधारने के लिय ताकि तार और जल्दी पहुंच सके कुछ किया जा रहा है ? पांच मील की बात तो मुझे मालूम है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बहुत आगे जा रहे हैं ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या सरकार को विदित है कि एक्सप्रेस डिलीवरी पत्र, जिनकी डिलीवरी का दायित्व भी तार विभाग पर है, उनकी डिलीवरी साधारण पत्रों की अपेक्षा बहुत विलम्ब से की जाती है और इस प्रकार उन पत्रों की भी वही दशा होती है ?

श्री राज बहादुर : यह आम-तौर से शिकायत नहीं है, किन्तु इस प्रकार की शिकायतें अवश्य की जाती हैं कि साधारण डाक की अपेक्षा कभी कभी एक्सप्रेस डिलीवरी वाले पत्र विलम्ब से पहुंचते हैं ।

गाड़ियों का रोका जाना

*१३७६. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के बरही नामक स्टेशन पर अक्तूबर, १९५४ में गाड़ियों को रोकने के लिये कई प्रदर्शन किये गये थे जिनके परिणामस्वरूप गाड़ियों को वहां रुकना पड़ा था ; और

(ख) क्या सरकार ने इसके परिणामस्वरूप उक्त स्टेशन पर गाड़ियों के रोकने के लिये अनुमति दे दी है ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के समासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां । २ तथा ३ अक्तूबर, १९५४ को वहां कुछ प्रदर्शन किया गया था जबकि तूफान एक्सप्रेस गाड़ी रोक ली गई थी ।

(ख) जी नहीं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या यह सत्य नहीं है कि बरही तथा उसके आसपास के स्टेशनों पर बिना टिकट के यात्रा करने और जंजीर खींचने की घटनायें प्रायः होती रहती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि रेलवे प्राधिकारी इन घटनाओं को रोकने में असमर्थता प्रकट कर रहे हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह एक अलग सा प्रश्न है, जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं। मूल प्रश्न तो एक विशेष गाड़ी के ठहराए जाने के सम्बन्ध में था, जो कि साधारणतया उस स्टेशन पर नहीं ठहरती।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का निर्देश उन व्यक्तियों से है, जो बिना टिकट के ही यात्रा करते हैं और गाड़ी की जंजीर खींचा करते हैं।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : बात ऐसी नहीं है। वास्तव में, लोग चाहते हैं कि गाड़ी उस स्टेशन पर ठहरे। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या रेलवे विभाग ने लोगों की इस मांग को, कि गाड़ी उस स्टेशन पर ठहरनी चाहिए, मान लिया है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय ने इसे नहीं माना है।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या यह सत्य नहीं है कि जब ये प्रदर्शन हो रहे थे, तो निरन्तर उन दो दिनों तक रेलवे प्राधिकारियों ने कुछ भी न किया, और यह कि कुछ दिन पूर्व.....?

अध्यक्ष महोदय : आप तर्क वितर्क में जा रहे हैं। आप क्या विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ?

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या यह सत्य नहीं है, कि इन प्रदर्शनों से कुछ दिन पूर्व बरही तथा बेगूसराय स्टेशनों के मध्य बिना टिकट के यात्रा करने वाले कुछेक यात्रियों को गाड़ी के डिब्बों से बाहिर फेंक दिया गया था, और इसलिए रेलवे कर्मचारी वहां के व्यक्तियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने से डरते हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : हमें इस प्रकार की किसी घटना के विषय में ज्ञान नहीं है।

श्री अमजद अली : क्या यह सत्य नहीं कि इस प्रकार की घटनाएं बिहार राज्य में मांसी तथा बेगूसराय रेलवे स्टेशनों के मध्य प्रायः होती रहती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में ऐसे प्रश्न, जहां तक रेलवे प्रशासन का सम्बन्ध है, असंगत हैं। यह तो ऐसे प्रश्न हैं जिनका सम्बन्ध शान्ति और व्यवस्था की स्थिति से है। हो सकता है कि बिना टिकट यात्रा करने वाले लोग गुंडों के समान व्यवहार करते हों।

श्री अमजद अली : मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे प्रशासन इस प्रकार के संकटों का समाधान नहीं कर सकता, और इसके फलस्वरूप उस मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को बहुत हानि उठानी पड़ती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इसमें, रेलवे विभाग का कोई उत्तरदायित्व है।

अन्दमान तथा निकोबर द्वीप

*१३७७. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबर द्वीपों में कुल कितना क्षेत्र जंगलों से भरा हुआ है;

(ख) क्या, भविष्य में बसने वाले लोगों के भले के लिए, बीस हज़ार एकड़ से और अधिक जंगली क्षेत्र को साफ़ करने के बारे में, सरकार की कोई प्रस्थापना है; तथा

(ग) नयी बस्तियां बसाने की दृष्टि से, उन द्वीपों की कितनी क्षमता है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) क्रमशः २,३६३ तथा ५२९·६ वर्ग मील ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) नयी बस्तियों के योग्य भूमि प्राप्त करने के विषय में अपर्याप्त आंकड़ों के कारण कोई भी विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं दिया जा सकता ।

श्री के० सी० सोधिया : मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक कुल कितने परिवार पुनः बसाये जा चुके हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तक ९३३ परिवार पुनः बसाये जा चुके हैं, जिनमें ३,६६६ व्यक्ति हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : कुल कितने व्यक्ति पुनः बसाये जा सकते थे ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्री शिवदासानी नामक एक व्यक्ति ने एक प्राक्कलन दिया था। उन्होंने गणना की थी कि लगभग १,२५,००० व्यक्ति पुनः बसाये जा सकते हैं, परन्तु तत्पश्चात् जांच करने पर हमें यह ज्ञात हुआ है कि यह संख्या वास्तविक संख्या से कुछ अधिक आशावादी प्रकार की है ।

श्री एन० एम० लिंगम् : क्या, उन क्षेत्रों में, जहां से जंगल काट दिये गये हैं, पुनरुत्पत्ति करने के बारे में कोई व्यावहारिक योजना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, श्रीमान् ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या ऐसी जंगली भूमि के विषय में, जिसे कृषि के कार्य में लाया जा सकता है, कोई भू-परिमाप किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : कोई विस्तृत भू-परिमाप नहीं किया गया है ।

अमेरिका में चिकित्सा-विज्ञान-छात्र

*१३७८. **श्री गिडवानी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री उन चिकित्सा-विज्ञान के छात्रों की संख्या बताने की कृपा करेंगी, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शल्य-चिकित्सा तथा अन्य चिकित्सा-विज्ञानों में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): दस छात्र शिल्पिक सहकारी सहायता कार्यक्रम के अधीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, चिकित्सा-विज्ञानों में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन चिकित्सा-विज्ञान के छात्रों की संख्या के बारे में हमें ज्ञान नहीं, जिन्होंने बिना सरकारी सहायता के ही प्रशिक्षण-सुविधाएं प्राप्त की हैं ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार का ध्यान भारतीय चिकित्सा परिषद् के प्रधान, डा० सी० एस० पटेल द्वारा २२ अक्तूबर, १९५४ को दिये गये इस पत्र-वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, कि अमेरिका के अस्पताल, भारतीय चिकित्सा-विज्ञान-छात्रों को प्रविष्ट करने, तथा कुछेक चुने हुए शिक्षार्थियों को, उच्च शिक्षा के लिये, विशेष सुविधाएं प्रदान करने, और यदि हो सके तो, उनकी शिक्षा-अवधि के दौरान में उनके सम्पूर्ण व्यय को वहन करने के इच्छुक हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : सरकार ने ऐसा कोई भी पत्र-वक्तव्य नहीं देखा, परन्तु उसे ज्ञात है कि अमेरिका के अस्पतालों में उच्च शिक्षा के लिए सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, और भारतीय डॉक्टर इन सुविधाओं से लाभ उठा रहे हैं ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने उन छात्रों की संख्या बताई है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में चिकित्सा-विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं जानना चाहता

कि क्या यह सत्य है, कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा अन्य विदेशों में अधिकांश भारतीय छात्र, बिल्कुल वैसे ही पाठ्यक्रमों के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जैसे भारत में चल रहे हैं और क्या सरकार ने कोई ऐसी कार्यवाही की है, कि जिससे भारतीय विद्यार्थियों को, ऐसे साधारण पाठ्यक्रमों के लिए, जो कि भारत में प्राप्त हो सकते हैं, विदेशों में जाने से रोका जा सके, जिससे, कम से कम, विदेशीय विनिमय को ही बचाया जा सके ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) भारत में जिस प्रकार की शिक्षा के पाठ्यक्रम: प्राप्त हैं उसके लिए विद्यार्थियों को विदेशों में नहीं भेजा जाता ।

श्री वी० पी० नायर उठे--

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्या छात्रों को विदेश जाने की अनुमति है, और उत्तर यह है कि उन्हें अनुमति नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : उन्होंने तो उच्च पाठ्यक्रमों के विषय में बताया है । मेरा प्रश्न तो चिकित्सा-विज्ञान के ऐसे साधारण पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में है जिनके विषय में भारतीय विश्वविद्यालयों में ही पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, परन्तु फिर भी उन के लिए बहुत से विद्यार्थी समुद्र पार जाते हैं ।

राजकुमारी अमृत कौर : सरकार ने, किसी भी विद्यार्थी को साधारण चिकित्सा-विज्ञान की शिक्षा के लिए समुद्रपार, नहीं भेजा, विद्यार्थियों को केवल स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए ही भेजा जाता है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार ने डा० सी० एस० पटेल के वक्तव्य पर सोच विचार किया है और क्या अमेरिकन अस्पतालों के प्राधिकारियों से इसके सम्बन्ध में प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : जी, नहीं । पहली बात यह है कि यह वक्तव्य हमने नहीं देखा, और दूसरी यह कि इस प्रकार के विशेष प्रबन्धों की कोई आवश्यकता ही नहीं है । जब भारतीय छात्रों को छात्र-वृत्तियां प्राप्त होती हैं, तब हम उनका लाभ अवश्य उठाते हैं ।

स्वचालित टेलीफोन-एक्सचेंज के सामान का निर्माण

*१३८०. **श्री एस० एन० दास** : क्या **संचार** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटिड, बंगलौर ने ऐसे लघु स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के सामान का निर्माण किया है, जो कि १५ अथवा उससे कम ग्राहकों को टेलीफोन की सुविधा प्रदान कर सकेगा ।

(ख) क्या ऐसा सामान, एक बड़े परिमाण में निर्मित किया जा रहा है ; तथा

(ग) क्या इस प्रकार के सामान की मांग के विषय में कोई अनुमान लगाया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां, भारतीय टेलीफोन उद्योग ने १० तथा २५ लाइनों वाले लघु स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज बनाए हैं ।

(ख) ये अभी तक प्रयोगात्मक अवस्था में ही हैं, और अभी तक बड़े परिमाण में निर्माण करने का आदेश नहीं दिया गया है ।

(ग) ऐसे स्थानों की सूची, जहां यह सामान प्रयुक्त किया जा सकेगा, बनाई जा रही है ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस प्रकार के टेलीफोन एक्सचेंज के सामान का निर्माण, भारत में एक नवीन प्रकार का निर्माण है, अथवा ऐसा सामान अन्य देशों में बनाया जा रहा है; और यदि यह विदेशों में भी बनता है, तो उसका मूल्य भारतीय सामान की तुलना में कैसा है ?

श्री राज बहादुर: ग्रामीण स्वचालित टेलीफोन-एक्सचेंज अन्य देशों में भी प्रचलित हैं। जहां तक मूल्य का सम्बन्ध है, यहां पर बनाए गए एक्सचेंज की लागत लगभग ४,००० रुपया आएगी, जबकि उतनी ही शक्ति वाले मेनुएल बोर्ड का मूल्य ५,००० रुपया है।

श्री एस० एन० दास : क्या इस सामान के निर्माण से पूर्व, इस की अपेक्षित मात्रा के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया था ?

श्री राज बहादुर : वास्तव में, हमारा उद्देश्य यह है कि, यथाकाल, देश में सम्पूर्ण टेलीफोन प्रणाली ही स्वचालित बना दी जाये। यह उस मार्ग १० लाइनों के स्वचालित एक्सचेंज का विकास उत्तर दिशा में एक पहला पग है। स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज का सामान २५ लाइनों वाला है, और ५० व १०० लाइनों वाले स्वचालित एक्सचेंज भी हैं। हमें आशा है कि आगामी कुछ वर्षों में, यथाकाल सम्पूर्ण प्रणाली स्वचालित बन जायगी।

श्री एस० एन० दास : क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग, बंगलौर द्वारा निर्मित किए गए टेलीफ़ोन-एक्सचेंज, कलकत्ते की स्वचालन योजना के लिए काम में लाए जा रहे हैं; अथवा क्या वे इटली से खरीदे जाते हैं, और यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर : स्वचालित बनाने का एक निर्दिष्ट कार्यक्रम है। एक अनसूची तैयार कर ली गई है और उस अनुसूची के अनुसार कलकत्ता बम्बई तथा अन्य स्थानों के लिए उपकरण का निर्माण किया जा रहा है जहां तक होसकता है, हम प्रणाली को स्वचालित बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री टी० एन० सिंह : क्या विदेशों से, और विशेषतया सीमेन्स से तथा इटली के सार्थों से लघु टेलीफ़ोन एक्सचेंज के आयात को, इस बात के होते हुए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, कि भारतीय टेलीफोन उद्योग सामान्यतया उनका निर्माण कर रहा है ?

श्री राज बहादुर : हमारे पास म ई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदा द, आदि नगरों को स्वचालित बनाने के विषय में योजना है, और विदेशों से लघुतर स्वचालित एक्सचेंजों के आयात का कोई प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए सहायता

*१३८१. **श्री संगण्णा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, नर्सिंग आदि २६ योजनाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बाल कल्याण निधि से सहायता मांगी है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो उस प्रार्थना का परिणाम क्या रहा है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा, १९५४ में देश की २६ स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए यूनीसेफ से सहायता के लिए की गयी प्रार्थनाओं के विषय में जानकारी देने वाला तथा उसके द्वारा कितनी सहायता दी गयी है यह बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १]

श्री संगण्णा : प्रत्येक योजना पर कितना वित्त लगेगा ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह विवरण में दिया हुआ है।

श्री संगण्णा : किन क्षेत्रों में ये योजनाएं कार्यान्वित करने का विचार है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह भी विवरण में दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहले विवरण पढ़ लें तो अच्छा होगा।

रेल कारें

*१३८३. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने जापान से रेल कारों का आयात किया है;

(ख) यदि हां तो उनकी संख्या क्या है और प्रत्येक का मूल्य कितना है; और

(ग) दक्षिण रेलवे के लिये ऐसी कारों की संख्या क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) (१) १२ रेल कारें ।

(२) दो रेल कारों के एक यूनिट का बीमा भाड़ा सहित मूल्य लगभग ५.१ लाख रुपये है ।

(ग) बारह ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या यह रेल कारें बड़ी लाइन के लिये हैं या मीटर लाइन के लिए; यदि वे मीटर लाइन के लिए हैं तो क्या वे विजयवाड़ा और करनूल के बीच चलेंगी ?

श्री अलगेशन : यह मीटर लाइन पर चलने वाली रेल कारें हैं और यह निम्नलिखित विभागों पर चलेंगी :

तिरुचिरपल्ली-लालगुडी
तिरुचिरपल्ली-पुदुकोटै-
कारैक्कुडी, और
तिरचिरपल्ली-मायावरम्

श्री राघवाचारी : रेल कार और साधारण रेल के डिब्बे के चलाने के खर्च में प्रति मील प्रति यात्री क्या अन्तर है ?

श्री अलगेशन : भाप से चलने वाली गाड़ी की अपेक्षा इस पर कम खर्च आता है परन्तु मैं अभी अभी इसका अन्तर नहीं बता सकता ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : और कितनी रेल कारों के लिये आदेश दिया गया है और निकट भविष्य में कितनी रेल कारें प्राप्त होने की सम्भावना है ?

श्री अलगेशन : अगले वर्ष में १२ और रेल कारें प्राप्त की जायेंगी ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत में खर्च

*१३८४. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) जनवरी १९५३ से अक्तूबर १९५४ तक विश्व स्वास्थ्य संघ ने भारत में कितनी राशि खर्च की थी;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन जम्मू व काश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में फैले हुए रतिज रोगों के निवारण के लिये कार्य आरम्भ करने का इरादा रखता है; और

(ग) यदि ऐसा है तो, वह यह काम कब आरम्भ करना चाहता है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) १९५३ में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ४७४,९०० (निकटतम अनुमान) अमरीकी डालरों की सहायता दी । १९५४ में भारत की सहायता के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बजट में ५३३,०२१ अमरीकी डालरों की व्यवस्था की है ।

(ख) जम्मू व काश्मीर राज्य में रतिज रोगों को रोकने की कार्यवाही करना राज्य सरकार का काम है । विश्व स्वास्थ्य संगठन ने समय समय पर अपेक्षित टेक्निकल सहायता देने का वचन दिया है ।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राज्य के लोगों को पहले भी प्रशिक्षित किया है और अब भी टेक्निकल परामर्श दे रहा है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाडक : इस बात को देखते हुए कि समस्या बड़ी महान है और भारत सरकार ने जम्मू व काश्मीर में क्षय रोग को रोकने का कार्य आरम्भ किया है क्या सरकार इसे राज्य पर छोड़ने की बजाये अपने हाथ में लेने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर) : हम जम्मू व काश्मीर सरकार की सहायता के लिये सदा तैयार हैं और यह सहायता पहले ही दी जा रही है । परन्तु स्वभावतः कार्यक्रम चलाने का भार राज्य सरकार पर ही है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिह चाडक : क्या मैं यह समझूं कि राज्य सरकार ने इस विषय पर विचार नहीं किया है या वह इस पर विचार करने को राजी नहीं है ?

राजकुमारी अमृत कौर : राज्य सरकार ने इस विषय पर विचार किया है और हम ने—विश्व स्वास्थ्य संगठन ने—रतिज रोगों की रोक के लिये समय समय पर अपेक्षित टेक्निकल परामर्श देन का वचन दिया है ।

रेल दुर्घटनायें

*१३८५ **श्री बी० के० दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्ष में कितनी रेल दुर्घटनायें पूर्णतः या अंशतः रेलवे के पुलों में त्रुटियां होने के कारण हुईं ; और

(ख) वे दुर्घटनायें कितनी गम्भीर थीं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री बी० के० दास: पुलों को सेवा के बिल्कुल योग्य रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शाहनवाज खां : नियमित रूप से उनका निरीक्षण किया जाता है ।

श्री बी० के० दास : एक पुल का वर्ष में कितनी बार निरीक्षण किया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : वर्ष में एक बार बड़े ध्यान से निरीक्षण किया जाता है और हाल ही में हुई दुर्घटना के पश्चात् इस विषय में विस्तृत हिदायतें जारी की गई हैं ।

श्री जोकीम अल्वा : क्या मैं उस प्रश्न की ओर निर्देश कर सकता हूं जो मैंने पिछले सत्र में रूस गये उन रेलवे कर्मचारियों के प्रतिवेदन के बारे में पूछा था जिन्होंने स्वचालित नियन्त्रण की प्रणाली की सिफारिश की थी जो दुर्घटनाओं को असम्भव बना देती है । इसे तुरन्त चालू करने के विषय में रेलवे बोर्ड क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री शाहनवाज़ खां : प्रश्न विशंष रूप से पुलों के बारे में है । यदि माननीय सदस्य अलग प्रश्न दें तो मैं इसका उत्तर दूंगा ।

श्री टी० बी विट्ठल राव : क्या पुनरीक्षण समिति, जिसने दुर्घटनाओं सम्बन्धी जांच की थी, के प्रतिवेदन का परीक्षण पूरा हो चुका है क्योंकि माननीय मंत्री ने वचन दिया था कि परीक्षण करने में एक मास से अधिक समय नहीं लगेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री : परन्तु अभी एक मास नहीं हुआ है । मैं ने केवल दस दिन हुए यह बात कही थी ।

श्री टी० बी० विठ्ठलराव उठे —

अध्यक्ष कहोदय : वस्तुतः सारी बातें इस प्रश्न के क्षेत्र से बाहर हैं ।

खाद्य तथा कृषि संगठन सम्मेलन

*१३८७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के क्या नाम

जिन्होंने सितम्बर–अक्तूबर, १९५४ में, रोम में हुए खाद्य तथा कृषि संगठन परिषद् के बीसवें सत्र में भारत की ओर से भाग लिया था ;

(ख) क्या यह सत्य है कि परिषद् ने खाद्य में रासायनिक मिश्रण के प्रश्न पर विचार किया था ;

(ग) यदि हां, तो परिषद् में भारतीय प्रतिनिधि ने क्या राय व्यक्त की थी ; और

(घ) इस विषय में परिषद् का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के सचिव, श्री एच० एम० पटेल ने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में और रोम में भारतीय दूतावास में वाणिज्यिक परामर्शदाता श्री एस एस० बाजपेयी ने वैकल्पिक रूप से सत्र में भाग लिया था।

(ख) और (ग). जी हां ; भारतीय प्रतिनिधि ने विशेष कुछ नहीं कहा।

(घ) परिषद् ने स्वीकार किया कि पौष्टिकता तथा खाद्य उत्पादन और वितरण के लिये खाद्य मिश्रण की समस्या का महत्व बढ़ता जा रहा है और खाद्य तथा कृषि संगठन के महा निदेशक से निवेदन किया कि वह इस बात पर विचार करें कि खाद्य मिश्रण के विषेय में खाद्य तथा कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन से मिलकर किस प्रकार का कार्य कर सकता है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य है कि परिषद् ने एक संकल्प पारित किया था कि खाद्य तथा कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक विशेषज्ञ समिति इस विषय की जांच करने के लिये स्थापित की जायेगी ?

डा० पी० एस० देशमुख: जी हां।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या भारत ने दूसरी मदों में भी भाग लिया था और यदि हां, तो वे क्या थीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : परिषद् की कार्यसूची मेरे पास नहीं है। कुछ दूसरी मदें थीं जिनमें भारत ने परिषद् के सदस्य देश के रूप में भाग लिया था।

श्री तिम्मय्या : खाद्य तथा कृषि संगठन में भारतीय व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख: इस प्रश्न से यह उत्पन्न नहीं होता।

रेल के पुल

*१३८८. **श्री एल० एन० मिश्र**: क्या **रेलव** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बिहार के ढ़ पीड़ित क्षेत्रों में रेलवे पुलों के नीचे धारा के बहाव का रास्ता चौड़ा करने के सम न्ध में सरकार के पास कुछ सुझाव भेजे गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये बताये गये पुलों के नाम क्या हैं तथा सरकार ने उन पर क्या निश्चय किया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान पुलों को चौड़ा करने के तथा घोघरडीहा और निर्मली रेलवे स्टेशनों के बीच बालान नदी के पुल का विशेष ध्यान रखते हुये, निर्मली और मानीगाची के बीच अतिरिक्त पुल बनाने के सुझाव प्राप्त हुए हैं। अन्तिम निश्चय अभी नहीं किया गया है क्योंकि विषय की जांच हो रही है तथा ढ़ नियन्त्रण के प्रश्न पर राज्य ढ़ नियंत्रण बोर्ड की शिल्पिक सलाहकार समिति भी विचार कर रही है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं आशा करूं कि पुल का यह कार्य अगली बाढ़ आने के समय से पहले पूर्ण हो जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : इसके सम्बन्ध में निश्चय-पूर्वक कुछ कहना कठिन है । जब तक जांच पूर्ण नहीं हो लेती मैं यह नहीं बता सकता कि किस समय तक यह कार्य पूर्ण हो जायेगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उत्तरी बिहार के इंजीनियरों का यह विचार है कि पुरानी बी० एन० ई० आर० ने इस लाइन का बड़े अस्त-व्यस्त ढंग से निर्माण किया था और वही इसके लिये उत्तरदायी हैं तथा क्या इस क्षेत्र में इस रेलवे लाइन में कुछ मार्ग-परिवर्तन भी किया जायेगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : बाढ़ नियंत्रण बोर्ड इस विषय पर विचार तथा जांच कर रहा है । रेलवे विभाग बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किये गये निश्चयों का अनुसरण करेगा ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या सरकार देश के सभी भागों में बाढ़ आने की सम्भावना को ध्यान में रख कर पुलों का एक मान्य नमूना बनाने का विचार कर रही है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं नहीं जानता यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है । एक ही प्रकार का नमूना नहीं हो सकता । नदियों की दशा के अनुसार नमूने विभिन्न प्रकार के होंगे ।

ग्रामीण डाक सेवाएं

*१३८१. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **संचार** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्रामीण डाकघरों में पत्रों और मनीआर्डरों की घर घर बांट बन्द कर दी गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादूर) : जी नहीं ।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि बहुत से प्रापकों को बार बार डाकघरों में आना पड़ता है किन्तु यह बतलाये जाने पर कि रुपया नहीं है उन्हें वापस जाना पड़ता है और इससे उन्हें बहुत असुविधा होती है ?

श्री राज बहादुर : एक विशिष्ट सीमा के ऊपर, मनीआर्डर, डाक घरों में बांटे जाते हैं। ग्रामीण हरकारों और बांटने वाले विभाग के बाह्य कर्मचारियों को एक विशिष्ट सीमा तक मनीआर्डर बांटने दिया जाता है । यदि रुपया उस सीमा से अधिक हो, तो प्रापक को सूचना दी जाती है और प्रापक डाकघरों से रुपया लेते हैं । धन सम्बन्धी सीमाएं ये हैं । एक ग्रामीण हरकारे के लिए एक मनीआर्डर की सीमा ४० रुपये है । एक साधारण हरकारे को कुल ६०० रुपये तक की राशि ले जाने दी जाती है । एक विभाग-बाह्य एजेंट २०० रुपये तक ले जा सकता है । ग्रामीण हरकारा १०० रुपये तक ले जा सकता है । यदि मेरे पास यह शिकायत लाई जाये कि किसी डाकघर में रुपया नहीं था, तो मैं आभारी हूंगा ।

श्री एस० एन० दास : मैं यह जानना चाहता था कि क्या अब तक कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि स्त्री प्रापकों को यह कष्ट उठाना पड़ा था और उनसे अनेक बार कहा गया था कि रुपया नहीं है और क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी ?

श्री राज बहादुर : ऐसी शिकायत हमारे पास नहीं आई । यदि कोई मामला मेरे ध्यान में लाया जाय तो मैं आभारी हूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंहासन सिंह ।

श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या सरकार पहले की तरह ग्रामीण डाक घरों में चपड़ासियों द्वारा बांटने की व्यवस्था को पुनः जारी करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री राज बहादुर : इस सम्बन्ध में इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को जो प्रश्न पूछते हैं, याद दिलाना चाहता हूं कि मैं कुछ देर से यह देखता हूं कि वह सदस्य जिसने प्रश्न पूछा है कोई अनुपूरक प्रश्न भी पूछना चाहता है । इसके बाद मैं अन्य प्रश्नों को लेता हूं । मेरे विचार में सदस्य बहुत समय ले रहे हैं और मैं इतनी देर रुक नहीं सकता । सदस्यों को तुरन्त मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहिए । नहीं तो मैं अगला प्रश्न ले लूंगा ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या सरकार को यह मालूम है कि देहातों में जो पोस्ट आफिस खुले हैं उनमें मनीआर्डर आने के बाद भी महीनों तक वह जनता को नहीं मिलते हैं और अक्सर जो एम्बैजेलमेन्ट केसेज़ चलते हैं उनमें कुछ नहीं होता है । इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है ?

श्री राज बहादुर : मैंने बताया कि ऐसी शिकायतें कभी कभी आती हैं कि मनी-आर्डर वक्त पर नहीं मिलते । और इसके बारे में जो शिकायत आती है उस के बारे में जांच की जाती है । इसके अलावा अगर कोई खराबी आम तौर पर नज़र में आई हो तो उस पर भी ध्यान दिया जायेगा ।

श्री सारंगधर दास : क्या सरकार को विदित है कि ग्रामीण हरकारे ग्राम में प्रापकों को पात्र बांटने की वजाये सब पत्र एक ही व्यक्ति को दे देते हैं, ताकि वह उनमें बांट दे ?

श्री राज बहादुर : व्यवस्था यह है कि ग्रामीण हरकारे या विभाग-ग्राह्य एजेंट को घरों के पतों पर पत्र बांटने पड़ते हैं । यदि किसी डाक घर में पत्रों की संख्या अधिक न हो, तो विभाग-ग्राह्य पोस्ट-मास्टर को बांटने का काम भी करने के लिए भत्ता दिया जाता है और वह यह काम अपने एजेंटों से करवाता है । बांट हर हालत में घर पर ही की जानी होती है ।

अध्यक्ष महोदय : डा० सत्यवादी । श्री वीरस्वामी ।

कुछ माननीय सदस्य : डा० सत्यवादी उपस्थित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को तुरन्त उठना चाहिए । उन्होंने अपना स्थान भी बदल लिया है । पहले वह यहां कोने में बैठे थे । अब वहां चले गये हैं ।

सिंचाई की छोटी योजनायें

*१३९०. **डा० सत्यवादी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री पंजाब राज्य के लिये सिंचाई की उन छोटी योजनाओं की एक सूची पटल पर रखने की कृपा करेंगे, जिन के लिए १९५४-५५ में केन्द्रीय सरकार द्वारा १,२०,२७,१२० रुपये की मंज़ूरी दी गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : एक सूची पटल पर रखी जाती है । ऋण की ठीक ठीक राशि १,२०,८७,१२० रुपये है । [**देखिए** परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २]

श्री वीरस्वामी : क्या मद्रास राज्य के नदी नालों में मछली पकड़ने के उद्योग के विकास के लिए कोई योजनाएं हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह प्रश्न पंजाब के बारे में है मेरे माननीय मित्र कृपया सूचना दें ।

मछली पकड़ने का उद्योग

*१३९२. **श्री वीरस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर किन्हीं नदी के मुहानों को मछली पकड़ने की अच्छी बन्दरगाहें बनाने के लिए भरा जा रहा है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछते समय सजग होना चाहिए ।

वाईकिंग विमान का विवश हो कर उतरना

*१३९४. **श्री मूरारका** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि १२ नवम्बर, १९५४ को दिल्ली जाने वाले वाइकिंग विमान को कोटा में उतरने के लिए विवश होना पड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) पोर्ट इंजन के खराब हो जाने के कारण विमान को उतरना पड़ा था। इस बात की जांच की जा रही है कि इंजन के खराब हो जाने का कारण क्या था ।

श्री मुरार का : क्या यह सत्य है कि उतरने के समय दोनों इंजन खराब हो गये थे?

श्री राज बहादुर : यह सत्य नहीं है कि उड़ते समय ही दोनों इंजन खराब हो गये थे । विमान सुरक्षित उतरा था । उतरने के बाद देखा गया था कि दूसरे इंजन में कुछ त्रुटि है, सम्भवतः इसलिए कि यह बहुत गरम हो गया था ।

श्री मुरारका : सरकार ने चालको की सेवाओं की कैसे सराहना की है ?

श्री राज बहादुर : उनकी सेवाओं की बहुत सराहना की गई थी । एयर लाइन निगम चालक को उसके साहस और कार्यक्षमता के लिए पुरस्कार देने का विचार कर रहा है ।

अगरतल्ला नगरपालिका अधिनियम

*१३९५. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार के पास अगरतल्ला नगरपालिका अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो संशोधित अधिनियम किस समय तक लागू हो जायेगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख). जी नहीं । इस समय जो प्रस्ताव विचाराधीन है, वह यह है कि बंगाल नगरपालिका अधिनियम, १९३२ को त्रिपुरा में लागू कर दिया जाये ।

श्री बीरेन दत्त : इसमें कितना समय लगेगा ? १९५२ में एक चर्चा के समय यह कहा गया था कि इस अधिनियम को त्रिपुरा में लागू किया जायेगा । अभी तक ऐसा नहीं किया गया ।

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : मैं यह नहीं बता सकती कि इस में ठीक ठीक कितना समय लगेगा । इस मामले में त्रिपुरा के मुख्यायुक्त से पत्र व्यवहार हो रहा है ।

श्री बीरेन दत्त : इस अधिनियम को बढ़ाने में कठिनाइयां क्या है ?

राजकुमारी अमृत कौर : ऐसा करने से नगरपालिका को करारोपण की और सुविधाएं मिलती हैं और कुछ पहलुओं पर विधि मंत्रालय द्वारा विचार किया जाना है ।

रेलवे कर्मचारी

*१३९७. **श्री वी० मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ से तृतीय श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों की वेतन श्रेणी को संशोधित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें किस प्रकार की हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है या उसको करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) इस प्रकार की कोई सामान्य अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

परिवहन सुविधाएं

*१३९९. **श्री सारंगधर दास** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दोनों तेल शोधक कारखानों, अर्थात् स्टैंडर्ड वैक्युम और बर्मा-शैल, के लिए कितना क्रूड तेल प्रति वर्ष विदेशों से बम्बई आया करेगा;

(ख) शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादों की कितनी मात्रा इन दोनों तेल शोधक कारखानों से, देश के आंतरिक भागों में वितरण के लिए समुद्र के मार्ग से कोचीन, मद्रास, कलकत्ता और अन्य पत्तनों से ले जाई जाया करेगी;

(ग) कच्चे माल और तय्यार उत्पादों के भारतीय टैंकरों द्वारा परिवहन के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या इस तट के साथ साथ ले जाये जाने वाले माल के भाड़े की दरें निश्चित कर दी गई हैं; तथा

(ङ) यदि कर दी गई हैं तो वह क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) लगभग ३२ लाख लम्बे टन ।

(ख) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) तेल समवायों के साथ किये गये करारों में पहले से ही यह उपबन्ध रखा गया है कि ऐसे टैंकरों का उपयोग किया जायेगा जो या तो भारत सरकार के अपने होंगे या किसी ऐसे नौवहन निगम के होंगे जिस में भारत सरकार अधिकांश मतदायक अंश रखती हो । सरकार ने हाल ही में, सिद्धान्ततः, दो टैंकरों का एक आधारभूत बेड़ा अर्जित करने का निश्चय किया है ।

(घ) तथा (ङ). यह सारा प्रश्न, अर्थात् सरकार द्वारा टैंकरों का अर्जन और चालन और यह कि इस तेल-भार को ढोने के लिए भाड़े की दरें क्या होनी चाहिएं, सरकार के विचाराधीन है ।

श्री सारंगधर दास : इस बात को देखते हुए कि तट पर का सभी यातायात, टैंकर यातायात सहित, भारतीय नौवहन के लिए रक्षित है इस बात के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है कि वह भारतीय नौवहन समवाय जिन में सरकार अंशधारी नहीं है शोधक कारखाने से शुद्ध उत्पाद के ढोने में भाग ले सकें ?

श्री अलगेशन : यह सत्य है कि तट पर का यातायात भारतीय नौवहन के लिए रक्षित है, किन्तु भारतीय नौवहन समवाय इन टैंकरों को अर्जित करने को बहुत इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि यह एक नये प्रकार का व्यापार है जो जोखों से भरा है, अतः सरकार को यह निश्चय करना पड़ा कि स्वयं टैंकरों का अर्जन कर के उन्हें चलाये ।

श्री सारंगधर दास : क्या सरकार सभा को यह आश्वासन देगी कि इस विषय में भारतीय नौवहन समवायों के भार-वाहक जहाज़ों और टैंकरों को वही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो सरकारी जहाज़ों और टैंकरों को प्राप्त हैं, क्योंकि इस से रेलवे का बोझ भी हल्का हो जायेगा जिन्हें, अनुमानतः, औद्योगिक गतिविधि के विकास काल में अधिकाधिक माल ढोना पड़ेगा ?

श्री अलगेशन : वस्तुतः माननीय सदस्य का प्रश्न कुछ ठीक स्पष्ट नहीं है, किन्तु मैं सभा को और माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि यदि कोई नौवहन समवाय हमें इस विषय में कोई विशेष प्रस्थापना देगा तो हम उस पर विचार करने के लिए उद्यत होंगे ।

रेलवे साइडिंग

***१४००. श्री देवगम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के बदामपहाड़ तथा कुलडिहा रेलवे स्टेशनों पर साइडिंग बनाने में अब तक कुल कितना व्यय हुआ है;

(ख) इन साइडिंगों को सरकारी व्यय पर बनाने के क्या कारण हैं जब कि कुछ गैर-सरकारी दल इसका व्यय देने को तैयार थे; और

(ग) कितने प्रार्थी ऐसे
द्वारा प्राप्त सहायता एवं गैर सरकारी धन से बनने वाले, साइडिंगों के निर्माण-व्यय देने को तैयार थे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (**श्री शाहनवाज खां**) : (क)

बदामपहाड़	६४,००० रुपये
कुलडिहा	५६,००० रुपये

(ख) कुछ दलों के लिए सहायता प्राप्त एवं गैर सरकारी रेलवे साइडिंग बनाने की अपेक्षा ऐसी साइडिंग बनाना अधिक उपयुक्त समझा गया जो जनता के लिए खुली रहे ।

(ग) ग्यारह ।

श्री देवगम : सहायताप्राप्त एवं गैर-सरकारी साइडिंग के लिए प्रार्थी कितना धन देने के लिए तैयार थे ?

श्री शाहनवाज खां : मेरे पास वे आंकड़े तो नहीं हैं, किन्तु जो धन देना चाहते थे उसमें हमारी कोई रुचि नहीं थी क्योंकि हमें वह धन लेना नहीं था ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यदि इस प्रकार की साइडिंगों का निर्माण-व्यय कोई प्रार्थी देना चाहे तो क्या सरकार उस प्रस्थापना पर विचार करेगी ?

श्री शाहनवाज खां : रेलवे जो नीति अपना रही है उसके अनुसार हम किसी गैर-सरकारी दल को अपनी साइडिंग बनाने की आज्ञा नहीं देंगे, क्योंकि सामान्यतः दो अथवा तीन से अधिक दल हैं जो इस प्रकार की साइडिंग बनाने में रुचि रखते हैं और इसके कारण बहुत से झगड़े आदि हो सकते हैं ।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (**श्री अलगेशन**) : प्रत्येक मामले की जांच उसके गुणावगुण के आधार पर होगी ।

नई रेलवे लाइन

***१४०१. श्री विश्वनाथ राय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार द्वितीय पंच वर्षीय योजना में उत्तर-पूर्व रेलवे के देवरिया स्टेशन से कासिया, पदरौना, खड्डा, आदि से हो कर भारत-नेपाल की सीमा तक एक रेलवे लाइन बनाने का है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (**श्री शाहनवाज खां**) : द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाई जाने वाली नई रेलवे लाइनों के सम्बन्ध में जब विचार किया जायगा तभी इस लाइन के सम्बन्ध में, अन्य राज्य सरकारों के प्रस्तावों के साथ साथ विचार किया जायगा ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार को उस क्षेत्र की जनता की ओर से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन एवं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई सिफ़ारिशें मिली हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (**श्री एल० बी० शास्त्री**) : जी हां; उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से हमें पत्र मिले हैं ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार का ध्यान नेपाल के साथ व्यापार के अतिरिक्त रक्षा की दृष्टि से इस लाइन के महत्व की ओर आकर्षित किया गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह बात भी बताई गई है किन्तु इन बातों के सम्बन्ध में उपयुक्त समय पर विचार किया जायगा ।

श्री सिंहासन सिंह : अभी मन्त्री महोदय ने कहा है कि यू० पी० सरकार की सिफारिशों पर एक साथ विचार किया जायगा । क्या मैं जान सकता हूं कि यू० पी० सरकार ने किन किन नई लाइनों के खोलने के लिए सिफ़ारिशें की हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अभी तक तो यू० पी० सरकार से कोई ऐसी लिस्ट नहीं आई जिस में कि उसने अपनी प्राइओरिटीज़ बतलाई हों । कुछ खास लाइनों के बारे में एक दो पत्र आये हैं लेकिन जब पूरी सूचना प्राइओरेटीज के बारे में मिल जायेगी तो गौर किया जायगा ।

श्री भक्त दर्शन खड़े हुए--

श्री सिंहासन सिंह : क्या मैं.....

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । श्री भक्त दर्शन ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं पूछ सकता हूं कि केवल राज्य सरकारों की ही सिफ़ारिशों पर विचार किया जायेगा या संसद् सदस्य अथवा और संस्थाओं द्वारा भेजे गये सुझावों पर भी विचार किया जायेगा ?

श्री एल० बी० शास्त्री : सभी सुझावों पर गौर किया जायेगा लेकिन यह कुदरती बात है कि स्टेट गवर्नमेंट की सिफ़ारिशों पर ज्यादा तवज्जह दी जाती है ।

श्री सिंहासन सिंह खड़े हुए--

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

कैंसर

*१४०२. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री, ७ दिसम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ८४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कैंसर के कितने अस्पताल हैं; और

(ख) वे किन-किन शहरों में हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) भारत में कैंसर की चिकित्सा के लिए २९ अस्पतालों में सुविधायें प्राप्त हैं ।

(ख) आवश्यक सूचना को प्रस्तुत करने वाली एक तालिका सभा पटल पर रखी गई है । [**देखिये** परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३]

श्री बी० डी० शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि इन में से जो अस्पताल अब तक खुले हुए ह उनमें से कितने सरकारी हैं और कितने प्राइवेट ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : यह बताना ज़रा कठिन है कि कितने सरकारी अस्पताल हैं और कितने प्राइवेट; लेकिन ज्यादातर सरकारी हैं ।

श्री बी० डी० शास्त्री : क्या ऐसी कोई रिपोर्ट आई है कि इन कैंसर अस्पतालों में ट्रीटमेंट के ज़रिये कितने प्रतिशत लोग अच्छे हो जाते हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : जैसे मैं ने पहले भी कहा है अच्छे होने के बारे में कोई भी डाक्टर कुछ नहीं कह सकता क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है जो रुक सकती है और कई वर्षों के बाद फिर आ सकती है ।

श्री बी० डी० शास्त्री : अब तक कितने प्रतिशत लोग अच्छे हो सके हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : मेरे पास जो फिगर्ज़ हैं वह यह हैं कि अस्पतालों में कितने लोग आते हैं और वहां कितने मर जाते हैं लेकिन जो लोग बाहर चले जाते हैं उनके बारे में मेरे पास कोई फिगर्ज़ नहीं हैं ।

श्री वी० पी० नायर खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

जूट कामकरों को आर्थिक सहायता

*१४०३. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल में जूट उत्पादकों को जूट जांच आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर १९५४ में अब तक जूट सड़ाने के हित तालाब बनाने के लिए कितनी सहायता दी गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : पश्चिमी बंगाल में जूट उत्पादकों के लाभार्थ १९५४ में अब तक ११० नये तथा १०२ पुराने जूट सड़ाने के तालाब खोदे गये हैं । इनका ५० प्रतिशत व्यय भारत सरकार उठायेगी ।

श्री एन० बी० चौधरी : जूट की किस्म सुधारने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर योजना में जो ८ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी उसमें से कुल कितनी राशि पश्चिमी बंगाल के लिए नियत की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जो व्यय होता है उसका ५० प्रतिशत देने की व्यवस्था है । कुल व्यय सम्बन्धी आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं किन्तु नये बनाये जाने वाले तालाबों एवं पुराने तालाबों की संख्या जिनकी कि मरम्मत की जायगी, के सम्बन्ध में आंकड़े तो मेरे पास हैं । बस इतनी ही जानकारी मेरे पास है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या भारत सरकार को पश्चिमी बंगाल सरकार की ओर से कोई ऐसा प्रतिवेदन मिला है जिसमें कहा गया हो कि इस प्रकार सुधार किये गये सड़ाने वाले तालाबों का प्रयोग करने से जूट की किस्म पर कुछ प्रभाव पड़ा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : सम्पूर्ण योजना का उद्देश्य जूट की किस्म सुधारना है और मेरा विश्वास है कि उसमें अवश्य ही कुछ सुधार हुआ है । विशिष्ट प्रतिवेदन तो मेरे पास नहीं है ।

श्री सारंगधर दास : उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा प्रांत की जूट के लिए कितने तालाब खोदे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : उन्होंने कितने तालाब खोदे हैं, ये आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं किन्तु इतना अवश्य बता सकता हूं कि हमारा विचार वहां ७०० नये तथा ३६० पुराने तालाबों के खोदने का है । मुझे उनसे ऐसा कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है कि वास्तव में उन्होंने कितने तालाब खोदे हैं ?

श्री बी० के० दास : पश्चिमी बंगाल में कितने नये तथा कितने पुराने तालाबों को फिर से खोदने का विचार है ?

डा० पी० एस० देशमुख : ३०० नये तथा ३,००० पुराने तालाब ।

श्री बी० के० दास : इस कार्य के लिए कितना समय निश्चित किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : तीन वर्ष ।

दूसरी पंच वर्षीय योजना

*१४०४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक तथा तार विभाग के सम्बन्ध में दूसरी पंच वर्षीय विकास योजना को अन्य रूप देने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : यह विषय तो अभी भी विचाराधीन है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं यह जान सकता हू कि इस विषय में कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा की जा सकती है ?

श्री राज बहादुर : प्रथम पंच वर्षीय योजना के पूर्ण होने के पहले ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस द्वितीय पंच वर्षीय योजना को तैयार करते समय इस समय डाक घर और तार घर और टेलीफोन लगाने की जो नीति है उसमें परिवर्तन करने और उसको अधिक उदार और सरल बनाने के बारे में भी विचार किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर : अभी तो विचार नहीं किया जा रहा है, किन्तु दूसरी पंच वर्षीय योजना बनाते समय नीति और नियमों के बारे में निर्णय लेने पड़ेंगे, परन्तु उसमें समय लगेगा ।

चीनी विकास बोर्ड

*१४०५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल आई० एन० टी० यू० सी० संगठनों द्वारा ही चीनी विकास बोर्ड में श्रमिक प्रतिनिधियों को नाम-निर्देशित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का अन्य मज़दूर संगठनों के अधिकार एवं दावों के सम्बन्ध में भी, जो कि आई० एन० टी० यू० सी० से सम्बद्ध नहीं है, विचार करने का है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सभी केन्द्रीय संगठनों के दावों के सम्बन्ध में, जो कि उद्योगों के अधिकांश क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के संघ हैं, विचार किया जाता है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : कौन कौन सदस्य हैं जो मजदूरों के प्रतिनिधि हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : एक तो श्री काशीनाथ पांडे हैं, और दूसरे श्री के० के० देसाई जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या यह सही है कि दोनों ही आइ० एन० टी० यू० सी० के प्रतिनिधि हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : हो सकता है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या सरकार इस बात की जांच करेंगी कि एक ही दल के मजदूरों के प्रतिनिधि न रखे जायें बल्कि दूसरे दलों के भी प्रतिनिधि रखे जायें ?

डा० पी० एस० देशमुख : जांच करने के बाद ही यह फैसला किया गया है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि चीनी के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की जो मतगणना हुई थी उसमें आई० एन० टी० यू० सी० को कम वोट मिले थे, इसलिए यू० पी० सरकार ने उनके एकमात्र प्रतिनिधित्व को छीन लिया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस प्रश्न के लिए मुझे पूर्व-सूचना चाहिए ।

अमरीकी किसान

*१४०६. **श्री निरंजन जेना** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि-समस्याओं की जानकारी करने के लिए अमरीकी किसानों

के एक दल ने भारतीय ग्रामों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या राय है; और

(ग) क्या उन्होंने उर्वरक, सिंचाई तथा खेती करने के साधनों में सुधार करने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि युवक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि से सम्बन्धित १० अमरीकी युवक सितम्बर १९५४ में भारतवर्ष आये और भारतीय किसानों के साथ लगभग दस सप्ताह तक रहे। उनकी यात्रा का उद्देश्य मुख्यत: भारतीय कृषि जीवन का अध्ययन एवं अमरीका और भारतवर्ष में कृषि करने वाले समुदायों में सद्भावना का विकास करना था। वे भारतीय कृषि सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए यहां नहीं आये थे।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

श्री निरंजन जेना : क्या वे अपनी इच्छा से ही भारतवर्ष आये अथवा भारत सरकार के निमंत्रण पर ?

डा० पी० एस० देशमुख : उनको हम ने कोई निमत्रण नहीं दिया था। हमने काफ़ी लड़के अमरीका भेजे थे और अमरीका ने कुछ हमारे यहां भेजे।

श्री निरंजन जेना : क्या इन किसानों की इनके यहां ठहरने के दौरान सरकार द्वारा आवभगत की गई थी; यदि हां, तो उन पर कितना व्यय हुआ ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं; हमने उन पर शायद ही कुछ खर्च किया हो।

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण, बम्बई

*१४०७. **श्री एन० ए० बोरकर** : क्या श्रम मंत्री औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५०, की धारा २३ के अधीन तिथि एवं प्रार्थियों के नाम सहित उन प्रार्थनापत्रों की सूची जो मध्य प्रदेश राज्य से आए हैं, और जो श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण, बम्बई शाखा, में निलम्बित हैं, सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण की बम्बई शाखा के समक्ष मध्य प्रदेश राज्य के इस प्रकार के कोई भी प्रार्थनापत्र निलम्बित नहीं हैं।

श्री एन० ए० बोरकर : क्यो यह सच है कि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरग की बम्बई शाखा के अधीन अब भी १४ प्रार्थना-पत्र निलम्बित हैं और उनके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ?

श्री के० के० देसाई : संभवत: माननीय सदस्य का अभिप्राय अधिनियम की धारा १० के अधीन आई हुई याचिका से है, प्रार्थना-पत्रों से नहीं। यदि वे धारा १० के अधीन आने वाली याचिकाओं के सम्बन्ध में जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

गन्ने का मूल्य

*१४०८. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय गन्ना उत्पादक सम्मेलन में, जो १ अक्तूबर १९५४ को नई दिल्ली में हुआ था, पारित सकल्पों की प्रतियां मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) १ अक्तूबर, १९५४ को आयोजित अखिल भारतीय गन्ना उत्पादक सम्मेलन में पारित संकल्पों के बारे में सरकार ने अच्छी

तरह विचार किया है। बाद को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें, औरों के साथ साथ, गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। राज्य सरकारों के विचारों सहित सभी सम्बन्धित वर्गों के मतों पर विचार करके सरकार ने कुछ निर्णय किये थे जिनकी घोषणा २७ नवम्बर, १९५४ को की गई थी। जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४]

श्री झूलन सिंह : क्या सरकार ने घटते हुए चीनी के उत्पादन, बढ़ते हुए चीनी के आयात और अधिक मूल्य के लिए उगाने वालों की साधारण मांग से उत्पन्न होने वाली स्थिति पर विशेष ध्यान दिया है? क्या सरकार ने इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, उगाने वालों को थोड़ा अधिक मूल्य देने के औचित्य पर भी विचार किया है?

डा० पी० एस० देशमुख : हम ने उगाने वालों की मांग के विचार से ही मूल्यों में कमी नहीं की है, यद्यपि १९५५–५६ वर्ष में कमी करने की स्थिति थी।

श्री झूलन सिंह : विवरण के पैरा २ के प्रसंग में मैं जानना चाहता हूं कि बाजार में प्रचलित मूल्य और सरकारी संकल्प के पदों के अधीन कारखानों से अर्जित चीनी के लिए निर्धारित मूल्य में क्या अन्तर है? संकल्प में कहा गया है कि कारखाना से निकलते समय मूल्य नियन्त्रित वितरण के लिए निर्धारित किया जायेगा। बाजार में प्रचलित चीनी के मूल्य और बाजार में नियन्त्रित ढंग से वितरित होने वाली चीनी के कारखानों से निकलते समय के मूल्य में क्या अन्तर है?

डा० पी० एस० देशमुख : उस चीनी के अतिरिक्त जो हम कारखानों से अर्जित करते हैं, शेष चीनी खुले बाजार में बेची जाती है। जब तक कि किसी विशिष्ट बाजार का उल्लेख न किया जाय तब तक बाजार का मूल्य बताना असम्भव है।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या हाल में निर्धारित किये गये मूल्य को राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने स्वीकार कर लिया है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न सिफ़ारिशें की थीं। उन सिफ़ारिशों पर विचार करने के पश्चात हमने इसे एक रुपया सात आने और एक रुपया पांच आने पर निर्धारित करने का निश्चय किया था।

रेलवे लेखा कार्यालय

*१४०९. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राक्कलन आदि तैयार करने में रेलवे प्रशासनों और लेखा कार्यालयों के बीच सहयोग के अभाव के सम्बन्ध में और रेलवे लेखा कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए उसके दसवें प्रतिवेदन के पैरा १३ में दी गयी लोक लेखा समिति की सिफ़ारिश पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : बोर्ड का अन्दाज़ा तैयार करने में फाइनेन्स ब्रांच का विशेष हाथ रहता है। रेलवे के भिन्न भिन्न विभागों के बीच में यह विभाग समन्वय का काम करता है। रेलवे एकाउंट दफ्तरों के काम को ठीक चलाने के लिये ये कार्यवाहियां की गयी हैं:

१. नियमित कोर्स के अनसार व्याख्यानों द्वारा एकाउंटस क्लर्कों के लिए ट्रेनिंग क्लास का आयोजन।
२. योग्यता बढ़ाने के उद्देश्य से आंशिक रूप से ग्रेजएटों की सीधी भर्ती।
३. रेलवे एकाउंट आफ़िसों के काम की अच्छी तरह से जांच करने के उद्देश्य से निरीक्षण संगठन को मजबूत करना।

श्री एम० एल० द्विवेदी : लेखा तथा प्रशासनिक उपविभागों के बीच सहयोग के अभाव के लिए जिन अधिकारियों को उत्तर-दायी पाया गया है, क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री अलगेशन : किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : लोक लेखा समिति के दसवें प्रतिवेदन के एक पैरा में कहा गया है कि लेखा कार्यालयों तथा प्रशासन उपविभागों के बीच सहयोग का अभाव है, और उसके कारण नियन्त्रण तथा प्राक्कलन तैयार करने में सुस्ती है । मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : लोक लेखा समिति ने खाते रखने की प्रणाली पर टिप्पणी की है । उन्होंने सुझाव दिया है कि आयव्ययक तैयार करने में वित्त शाखा तथा रेलवे प्रशासन का उचित सहयोग होना चाहिये । यह किसी अधिकारी-विशेष के विरुद्ध नहीं है । उन्होंने प्रणाली के बारे में कुछ मत दिये हैं ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि जो उत्तर पढ़ कर सुनाया गया है, वह क्या इंगलिश, देवनागरी या तामिल लिपि में लिखा है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री अलगेशन : देवनागरी लिपि में ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

हाजीपुर में रेल दुर्घटना

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५, सरदार ए० एस० सहगल : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ दिसम्बर, १९५४ को उत्तर-पूर्व रेलवे के सोनीपुर-मुज़फ्फरपुर क्षेत्र के हाजीपुर स्टेशन पर संख्या ३२२ डाउन प्रयाग यात्री गाड़ी एक माल गाड़ी से टकरा गई थी ;

(ख) दुर्घटना का कारण क्या था ;

(ग) कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुये ;

(घ) क्या दुर्घटना होने के पश्चात् उस स्थान को कोई चिकित्सा सहायता भिजवाई गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो कितने समय में ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) (क) जी हां । दिसम्बर, १९५४ को लगभग २२–५० पर दुर्घटना हुई थी ।

(ख) सरकारी रेलवे निरीक्षक, जिसने अपनी परिनियमित जांच १६ दिसम्बर, १९५४ को आरम्भ की, दुर्घटना के कारण की जांच कर रहा है ।

(ग) तीन रेलवे कर्मचारी मारे गये थे । दो को गहरी चोटें लगीं और १८ को मामूली चोटें आईं ।

(घ) तथा (ङ) दुर्घटना के बाद ५० मिनट के भीतर हाजीपुर असैनिक अस्पताल का एक डाक्टर और वहां का ही एक निजी डाक्टर घटनास्थल पर पहुंच गये थे । लगभग एक घंटा और पचास मिनट में सोनीपुर से एक सहायता गाड़ी, जिसमें चिकित्सा का डिब्बा था और सह-चिकित्सा अधिकारी और सह-शल्य-चिकित्सक थे, घटनास्थल पर आ गई थी ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मृतक रेलवे कर्मचारियों को कोई क्षतिपूर्ति दी जायेगी ?

श्री अलगेशन : यह नियमों तथा पार-स्थितियों के अनुसार किया जाता है । क्षतिपूर्ति दी जायेगी ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस सम्बन्ध में कोई प्राधिकारी बन्दी बनाये गये हैं, और यदि हां, तो उन पर और क्या आरोप लगाये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : ये दो गाड़ियां किन परिस्थितियों में टकराई थीं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : कदाचित् माननीय सदस्य को प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस तथ्य की दृष्टि से कि इस वर्ष दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, क्या सरकार का विचार इनकी जांच करने के लिए एक न्यायिक जांच समिति या गैर-सरकारी जांच समिति नियुक्त करने का है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह सच नहीं है कि दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। वास्तव में, संख्या गत वर्ष की अपेक्षा कम है। न्यायिक जांच करना हम आवश्यक नहीं समझते, क्योंकि परिनियमित अधिकारी—सरकारी रेलवे निरीक्षक—स्वयं जांच करेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

टेलको

*१३७३. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्वायलर तथा रेलवे इंजिन निर्माणकर्ता टेलको को हथियाने के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के पांचवें प्रतिवेदन के पैरा १७ में की गई उस की सिफारिशों पर क्या अन्तिम निश्चय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल-गेशन) : सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार का मत लोक लेखा समिति को भेज दिया गया है ।

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

*१३७४. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक लेखा समिति के बारहवें प्रतिवेदन में की गई खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से सम्बद्ध सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५] ।

मोटर परिवहन विधान

*१३७९. **श्री नानादास** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर के मोटर परिवहन कामकरों ने अपनी सेवा तथा शर्तों को नियमित करने के लिये एक समान विधान की मांग की है ;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसा विधान बनाने का है ;

(ग) यदि हां, तो कब ; और

(घ) यदि नहीं तो, उसके कारण क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) मोटर परिवहन कामकरों के कुछ संगठनों से इस विषय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ।

(ख) से (घ). मामला विचाराधीन है ।

बाह्य एजेंसियां

*१३८२. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाह्य एजेंसी ठेकेदारों को राज्य प्रधिकारियों से, जिस राज्य में बाह्य-एजेंसी हैं, मोटर सेवा

के लिये अनुमति पत्र प्राप्त करने में यदा-कदा कठिनाइयां होती हैं ;

(ख) क्या ऐसा भी हुआ है, कि रेलवे प्रशासनों ने अपने नाम से अनुमतिपत्र प्राप्त किये और फिर उन्हें ठेकेदारों को दिया ; और

(ग) विभिन्न रेलों पर बाह्य एजेंसी ठेकेदारों का जिन्हें रेलवे प्रशासनों ने अनुमति-पत्र दिये, विस्तृत विवरण क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां, श्रीमान् । कुछ मामलों में ।

(ख) तथा (ग). दो मामलों में सम्बद्ध राज्य सरकारों ने ठेकेदारों की बजाय रेलवे प्रशासनों के नाम में अनुमतिपत्र देना अच्छा समझा । इनका सम्बन्ध बलूरघाट बाह्य-एजेंसी (उत्तर-पूर्व रेलवे पर), जो मैसर्स बलूरघाट परिवहन एजेंसी की है, और तामलुक बाह्य-एजेंसी (पूर्वी रेलवे पर), जो मैसर्स तामलुक पंचकुडा मोटर परिवहन सन्था की है, से है ।

परिवहन सुविधायें

*१३८६. **श्री आर० एन० एस० देव** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को विदित है कि मौन झैनजोर तथा दन्ता नदियों में बाढ़ के कारण कलकत्ता-बम्बई राष्ट्रीय राजपथ पर सम्बलपुर और महानदी के दक्षिण वाले स्थानों के बीच यदा-कदा परिवहन ठप्प हो जाता है ;

(ख) क्या कलकत्ता-बम्बई राष्ट्रीय-राजपथ के सम्बलपुर-बारगढ़ क्षेत्र में झैनजोर तथा दन्ता नदियों पर नये पुल बनाने या सड़क का धरातल उंचा करने का कोई प्रस्ताव है : और

(ग) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब आरम्भ होगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । इन नदियों पर नये पुल बनाने का विचार है ।

(ग) उड़ीसा के लोक निर्माण विभाग ने झैनजोर पर पुल के निर्माण के लिए टेंडर आमन्त्रित किये हैं । टेंडरों पर विचार करने के पश्चात् कार्य आरम्भ होगा और कार्य ठेके पर दिया जायेगा । दन्ता के पुल के लिये राज्य के लोक निर्माण विभाग से योजनायें तथा अनुमान मांगे गये हैं । उनके प्राप्त होने तथा उनकी आवश्यक जांच के उपरान्त इन्हें मंजूरी दी जायेगी ।

भारतीय विमान निगम में हड़ताल

*१३९१. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विमान निगम के कर्मचारियों ने हैदराबाद में हुई अपनी महा रैली में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जहां तक भारत सरकार को विदित है, उन्होंने ऐसा निश्चय नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आंध्र में मलेरिया

*१३९३. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्षों में आन्ध्र में मलेरिया ने काफ़ी जोर पकड़ लिया है ;

(ख) क्या आन्ध्र सरकार ने और मलेरिया यूनिटों की मांग की है । और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) प्राप्त प्रतिवेदनों से प्रकट होता है कि वहां ऐसी कोई बात नहीं हुई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड

*१३९६. **श्री रामानन्द दास :**
श्री पी० एल० बारूपाल :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोदी श्रमिकों की भरती के सम्बन्ध में श्री ए० तालिब के विरुद्ध, जब वह कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के अधीन कार्य कर रहे थे, अनियमितता के आरोप लगाये गये हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) कलकत्ता के गोदी श्रम बोर्ड ने पंजीयन की अनियमितता के आरोपों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है । सरकार प्रारम्भिक जांच कर चुकी है तथा उसने अब अग्रेतर जांच के लिये आज्ञा दी है ।

आश्रय कटिबन्ध

*१३९८. **श्री माधव रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ के तटीय प्रदेश में आश्रय कटिबन्ध बनाने की योजना को अन्तिम रूप प्राप्त हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो योजना के प्रमुख अंग क्या हैं;

(ग) कैसे और कब यह योजना क्रियान्वित की जायेगी;

(घ) क्या कच्छ सरकार को कुछ अनुदान अथवा ऋण देना मंजूर किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). वर्ष १९५४–५५ के दौरान १०० एकड़ भूमि पर आश्रय कटिबन्ध बनाने की योजना स्वीकृत की जा चुकी है ।

(ग) चालू वर्ष के दौरान कच्छ सरकार द्वारा यह योजना क्रियान्वित की जायेगी ।

(घ) और (ङ). वर्ष १९५४–५५ के लिये ५६,७८९ रुपये की आर्थिक सहायता मंजूर की जा चुकी है ।

भारत और चीन के बीच टेलीफोन सेवा

*१४१०. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत और चीन के बीच एक सीधी टेलीफोन सेवा स्थापित करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) परीक्षा की जा रही है, तथा इस सेवा को स्थापित करने की दृष्टि से अन्य प्रारम्भिक तथा टेकनिकल ब्यौरा निश्चित किया जा रहा है ।

रिक्शा खींचना

*१४११. **श्री संगण्णा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने इस बात को ध्यान में रख कर कि रिक्शा खींचने वालों को कोई दूसरा काम दे सकना सम्भव होगा, राज्य सरकारों से क्रमशः रिक्शा खींचने का पेशा बन्द कराने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने कहां तक इन सुझावों के अनुसार कार्य किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जी हां ।

(ख) इस मामले में राज्य सरकारों के मत को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६]

भारतीय नौवहन

*१४१२. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वह कौन सी विधि है जिसके अधीन भारतीय नौवहन समवायों को भारतीय पत्तनों से उठाये गये बोझ की सांख्यकी प्रस्तुत करनी पड़ती है;

(ख) क्या विधि में कोई ऐसा भी उपबन्ध है जिसके अधीन विदेशी नौवहन समवायों से भी उसी प्रकार की सांख्यकी प्रस्तुत करने को कहा जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नौवहन नियंत्रण अधिनियम, १९४७ ।

(ख) नौवहन नियंत्रण अधिनियम, १९४७ के अधीन, ऐसी विदेशी नौकाओं को जिन्हें भारतीय तटीय व्यापार में भाग लेने की अनुज्ञप्ति दी गई है, भारत सरकार को उनसे भी ऐसी सांख्यकी प्रस्तुत कराने का अधिकार प्राप्त है ।

(ग) मामला परीक्षाधीन है ।

परिवहन का राष्ट्रीयकरण

*१४१३. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **परिवहन** मंत्री १९ नवम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने योजना आयोग की इस सलाह पर कि निजी वाहनों के और राष्ट्रीयकरण को स्थगित किया जाय, अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम जो सहमत हैं तथा उन राज्यों के नाम जो असहमत हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७]

स्वास्थ्य परियोजनायें

*१४१४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५३ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की महामारी पर्यवेक्षण परियोजना विश्व स्वास्थ्य संघ की सहायता से पूरी की जा चुकी है; और

(ख) पश्चिमी बंगाल में "हैज़े का संक्रामण सम्बन्धी अध्ययन" तथा "क्षय की विशेष गवेषणा" परियोजना के परिणामों

को क्रियान्वित करने में कौन सी विशेष कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी नहीं ।

(ख) पश्चिमी बंगाल में "हैज़े का संक्रामण सम्बन्धी अध्ययन" तथा "क्षय की विशेष गवेषणा" परियोजनाओं पर गवेषणा अभी जारी है ।

रेलवे कार्यालय में चोरी

*१४१५. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५३ तथा १९५४ (३० नवम्बर, १९५४ तक) के दौरान रेलवे दस्तावेजों, माल के बीजकों, अधिक भाड़ा पुस्तकों, तथा माल के बिल की पुस्तकों की चोरी के कितने मामले हुए;

(ख) क्या इन चोरी के मामलों की कुछ जांच की गई है; और

(ग) क्या अधिकांश खोये गये अथवा चुराये गये दस्तावेज, रेलवे द्वारा बुक किये गये सामान अथवा खोये हुए पार्सलों के सम्बन्ध में किये गये दावों से सम्बन्धित थे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) रेलवे के दस्तावेज जैसे सामान के बीजकों, अधिक भाड़ा पुस्तकों के खो जाने के मामलों की संख्या १९५३ में ३,४६२ तथा १९५४ (३०–११–५४ तक) २,७०२ थी ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं । थोड़े से मामलों में ही, खोये हुए दस्तावेज़ों को रेलवे पर दावे के लिये प्रयुक्त किया गया ।

हैदराबाद में बन लगाना

*१४१६. **श्री माधव रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन लगाने के लिए हैदराबाद राज्य को अनुदान या ऋण के रूप में कोई राशि प्रदान की गयी है;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर;

(ग) इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी धन राशि की मांग की गई है; और

(घ) कैसे इसका उपयोग किया जायेगा

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी नहीं । हैदराबाद राज्य ने अभी तक बन लगाने के काम के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता की मांग नहीं की है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

पोलियो (बाल-पक्षाघात)

*१४१७. **श्री देवगम** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री निम्न ब्योरे का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगी :

(क) अपने देश के उन अस्पतालों के नाम और स्थान जहां विशेषज्ञों द्वारा पोलियों (बाल-पक्षाघात) की चिकित्सा की जाती है;

(ख) इन अस्पतालों में चिकित्सा पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सरकार इसे उचित समझती है कि परचों के द्वारा साधारण जनता को इस रोग का विस्तृत परिचय और सावधानियों का बोध कराया जाये ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) भारत सरकार को सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है । जिन दो अस्पतालों में विशेषज्ञों द्वारा केवल पोलियो की चिकित्सा की जाती है उनके नाम ये हैं :—

(१) बम्बई में अपंग बच्चों के पुनर्वास की संस्था द्वारा चलाया जाने वाला अस्पताल; और

(२) बी० सी० राय पोलियो क्लीनिक ऐण्ड हास्पिटल, कलकत्ता ।

(ख) भारत सरकार को इसकी जानकारी नहीं है ।

(ग) आवश्यकता पड़ने पर ऐसा किया जाता है । सामान्य जनता को जानकारी कराने के लिए १९४९ में भारत सरकार द्वारा एक इश्तहार तैयार कराया गया और बांटा गया था जिसमें इस बिमारी और इसकी आवश्यक सावधानियों के बारे में बताया गया था ।

बेहटा चीनी मिलें

*१४१८. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २७ सितम्बर, १९५४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेहटा की दक्षिण बिहार चीनी मिल, लिमिटेड, जिसे बम्बई स्थानान्तरित होने की अनुमति दी गयी थी, ने बिहार में ही रहने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(ग) क्या यह सच है कि यह कारखाना मशीनों का सुधार किये बिना ही मजदूरों की संख्या कम करने का विचार कर रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) इन शर्तों पर कि बिहार सरकार :

(१) इस क्षेत्र को गन्ना पहुंचाने वाले क्षेत्रों में ४० नलकूपों के बनवाने कें व्यय का ५० प्रतिशत सहायता के रूप में देगी;

(२) कारखाने के क्षेत्र में सड़कों का सुधार करायेगी; और

(३) आगामी तीन वर्षों तक यदि कारखाने को सामान्य आवश्यकता की एक-तिहाई से कम गन्ना मिलेगा तो कारखाने द्वारा अदा किये गये उपकर के बराबर ही उसे बदले का अनुदान देगी ।

(ग) जी नहीं ।

विक्रय मंत्रणा समितियां और मछली पकड़ने की मंत्रणा परिषद

*१४१९. **श्री वीरस्वामी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** ७ दिसम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में विक्रय मंत्रणा समितियां और मछली पकड़ने की मंत्रणा परिषदें बना दी गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रखी जायेगी ।

रेलवे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार

*१४२०. **श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, जो स्टेशन के धन के दुर्विनियोग के लिये उत्तरदायी थे, जैसी कि लोक लेखा समिति द्वारा अपनी दसवीं रिपोर्ट (जिल्द १) के पैरा २१ में सिफ़ारिश की गई थी; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) तथा (ख). माल बाबू और टैली बाबू को जिन्हें अधिकारियों की जांच समिति ने ज़िम्मेदार ठहराया था, उचित दण्ड दिया गया है । माल गोदाम स्टेशन मास्टर के अधीन नहीं था, अतः उन्हें दण्ड नहीं दिया जा सका

रेलवे प्रशासन कुछ निरीक्षकों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

वायुयान दुर्घटनाओं का प्रतिकर

*१४२२. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में यदि किसी वायुयान दुर्घटना का प्रतिकर दिया गया तो कितना; और

(ख) ऐसा प्रतिकर देने की क्या व्यवस्था है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). मैं मांगी गई जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८]

एयर इंडिया इंटरनेशनल एजेंसियां

*१४२३. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया इटरनेशनल का काहिरा में अपना निजी दफ्तर है ;

(ख) क्या एयर इंडिया इंटरनेशनल ने विदेशों में अपने कार्यों की निगरानी के लिये दूसरी कंपनियों को एजेंसी दे रखी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

महिलाओं को गृह-अर्थशास्त्र का प्रशिक्षण

८५३. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं को गृह-अर्थशास्त्र का विशेष प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रशिक्षण का स्वरूप क्या होगा;

(ग) देश के भीतर और विदेशों में जिन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा उनकी संख्या क्या है; और

(घ) क्या इन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्राप्त किये गये ज्ञान को देश के विभिन्न भागों में फैलाने के लिए कोई संस्था बनाई जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां । ग्रामीण स्तर की महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए वर्तमान २५ विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों पर गृह-अर्थशास्त्र पक्ष स्थापित करने का विचार है ।

(ख) प्रशिक्षण में निम्न विषय सम्मिलित होंगे :—

(१) भोजन बनाना और उसका परिरक्षण

(२) पोषण के तत्व ।

(३) परिवार के लिए पोशाक बनाना ।

(४) कपड़ों और बिछौनों की देखभाल करना और इकट्ठा करना ।

(५) प्रसूतिका और शिशुओं की देख-भाल ।

(६) स्वास्थ्य की देखभाल और उसमें सुधार ।

(७) रोगी की परिचर्या ।

(८) परिवार तथा ग्राम स्वच्छता ।

(९) घरों की अधिक सुधरी व्यवस्था ।

(१०) परिवार तथा ग्राम मनोरंजन ।

(११) पारिवारिक आय का समुचित व्यय ।

(१२) वयस्क साक्षरता ।

(१३) सामुदायिक आवश्यकतायें और उनके उपाय; और

(१४) साधारण हस्तकला और छोटे उद्योग ।

(ग) (१) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

योजना में २५ गृह-अर्थशास्त्र पक्ष में से प्रत्येक में एक मुख्य प्रशिक्षक की नियुक्ति की व्यवस्था है । उनकी नियुक्ति के पूर्व मुख्य प्रशिक्षकों को सात महीने का विस्तृत प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसमें पांच महीने का प्रशिक्षण भारत की विभिन्न गृह-अर्थशास्त्र संस्थाओं में और दो महीने का अध्ययनार्थ पर्यटन जापान और हवाई में सम्मिलित हैं ।

(२) महिला ग्राम सेवकों का प्रशिक्षण :

स्थापित होने के बाद इन २५ गृह-अर्थ-शास्त्र पक्षों में से प्रत्येक पक्ष प्रति वर्ष २० महिला ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण देगा । इन महिला सेवकों को विदेश में प्रशिक्षण के लिये भेजने का कोई विचार नहीं है ।

(घ) अपना प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद मुख्य प्रशिक्षक अपने गृह-अर्थशास्त्र पक्षों में महिला ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण देंगे । विभिन्न गृह-शास्त्र पक्षों के प्रशिक्ष-णार्थियों को अपना १२ महीने का प्रशिक्षण समाप्त कर लेने के बाद विकास केन्द्रों में गृह-विकास कार्यवाही चलाने के लिए महिला ग्राम सेवकों के रूप में नियुक्त किया जायेगा ।

वायुयान निगम-कर्मचारी वर्ग

८५४. **श्री रामानन्द दास :**
श्री पी० एल० बारूपाल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायुमार्ग निगम (एयर लाइन्ज़ कारपोरेशन) और एअर इण्डिया इन्टरनेशनल में (१) १०० रुपये से कम (२) १०० रुपये से ५०० रुपये तक (३) ५०१ रुपये से १,००० रुपये तक और (४) १,००० से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) इन श्रेणियों में से प्रत्येक में कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की नियुक्ति के लिए सुरक्षित अभ्यंश को बनाया रखा गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इन निगमों के अधीन इन सभी श्रेणियों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मांगी गई जानकारी नीचे दी जाती है :—

वेतन वर्ग (प्रारम्भिक वेतन)	एअर इण्डिया इन्टरनेशनल में काम करने वालों की संख्या	भारतीय वायु-मार्ग निगम (इंडियन एयर लाइन्ज़ कार-पोरेशन) में काम करने वालों की संख्या
१०० रुपये से कम	६५२	३३०५
१०० रुपये से ५०० रुपये तक	११५१	३२४८
५०१ रुपये से १००० रुपये तक	१०५	३७३
१००० रुपये से अधिक	७३	१६९

(ख) जानकारी संग्रहीत की जा रही है और कालान्तर में सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

(ग) और (घ). इस समय दो वायुयान निगम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में भारत सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। यह प्रश्न कि क्या इन आदेशों को इन निगमों पर भी लागू किया जाय, अभी विचाराधीन है।

रेलवे कर्मचारी

८५५. **श्री एम० एन० सिंह :**
श्री धूसिया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में २०० से ३०० रुपयों तक के वेतन वाले कितने स्थान हैं; और

(ख) इन स्थानों के लिये लोगों की भरती का क्या तरीका है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ६७३ ।

(ख) आवश्यकता पड़ने पर सेलेक्शन बोर्ड बिठाये जाते हैं जिनकी सिफारिश पर अवर वेतन-क्रम के सुपात्र कर्मचारियों को तरक्की देकर यह जगहें भरी जाती हैं।

खाद्यान्नों का भण्डार

८५६. **श्री एन० वी० चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, १९५४ के अन्त में सरकारी भण्डार में विभिन्न प्रकार के अनाज की क्या मात्रायें थीं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : सितम्बर, १९५४ के अन्त में राज्य सरकारों और केन्द्र के भण्डारों में विभिन्न प्रकार के अनाज की राशि इस प्रकार थी :—

	टन
चावल	१,३२८,०००
गेहूं	४८,०००
अन्य अनाज	९५,०००
कुल योग	१,४७१,०००

मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणी

८५७. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में मौसम सम्बन्धी विभाग ने उड्डयन कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की कुल कितनी भविष्यवाणियां कीं; और

(ख) कितने चालकों को उनके उड़ान मार्ग में अपेक्षित मौसम सम्बन्धी सूचना उनके रवाना होने के पूर्व दी गयी थी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जनवरी से नवम्बर, १९५४ तक १,९७,५५९ ।

(ख) जनवरी से नवम्बर, १९५४ तक ४४,७८६ ।

अदरक के सम्बन्ध में गवेषणा

८५८. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री मसाला जांच समिति, १९५३ के प्रतिवेदन के पृष्ठ ७८ की अन्तिम कंडिका के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अदरक (जिन्जी-बार आफिसिनल) के सम्बन्ध में आधारभूत तथा सुयोजित गवेषणा करने के हेतु गवेषणा केन्द्र खोलने की कोई योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर १९५४ में कितना धन व्यय हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां। परिषद् ने मद्रास तथा आसाम में अदरक के सम्बन्ध में गवेषणा कार्य किये जाने की योजनाओं की स्वीकृति दे दी है। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से प्राप्त योजनायें विचाराधीन हैं।

(ख) १९५४–५५ में इन गवेषणा योजनाओं पर होने वाला अनुमानित व्यय लगभग ४३,२५० रुपये है।

नौकरी दफ्तर

८५९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, १९५४ से सितम्बर १९५४ के अन्त तक नौकरी दफ्तरों में कितने मैट्रिकुलेट, अन्डर ग्रैजुएट, और ग्रैजुएट पंजीबद्ध किये गये; और

(ख) उपरि-लिखित अवधि में इन नौकरी दफ्तरों को श्रेणी के अनुसार कितने खाली स्थानों की सूचना दी गई ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९]

नवीन औषधि (एम० आर० डी०-१२५)

८६०. **श्री डाभी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि, मिनेसोटा, कोचैस्टर के मैयो क्लीनिक ने एक नई प्रकार की दर्द नाशक औषधि, एम० आर० डी०-१२५, का आविष्कार किया है तथा संयुक्त राज्य अमरीका में यह अब व्यवहार में लाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस औषधि के भारत में भी व्यवहार में लाये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) इस औषधि का व्यवहार अमरीका में इस समय केवल प्रयोगात्मक कार्यों के लिये किया जा रहा है । सरकार को कोई सूचना नहीं है कि इस औषधि का मैयो क्लीनिक ने आविष्कार किया है ।

(ख) भारत में इस औषधि के आयात के प्रश्न पर तब विचार किया जायेगा जब अमरीका के प्राधिकारी इसके सामान्यतः व्यवहार की स्वीकृति दे देंगे ।

नये रेलवे स्टेशन का खोला जाना

८६१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोतिहारी (पूर्वोत्तर रेलवे) में कचहरी के सामने एक नया स्टेशन खोलने के लिये बहुत से आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार वहां पर स्टेशन कब तक खोलेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, समय समय पर आवेदन पत्र मिलते रहे हैं ।

(ख) पहले भी इस सुझाव पर दो बार जांच की गयी थी, किन्तु, कोई औचित्य नहीं दिखाई दिया । फिर भी, इस सम्बन्ध में नये सिरे से जांच की जा रही है, जिसके पूरे होने पर कोई निर्णय किया जायगा ।

दिल्ली में डी० डी० टी० का वितरण

८२६. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि जुलाई से सितम्बर, १९५४ तक के महीनों में दिल्ली में उपयोग के लिये डी० डी० टी० के संभरण पर कितनी राशि व्यय की गई ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : दिल्ली में जुलाई से सितम्बर १९५४ तक डी० डी० टी० के संभरण में लगभग ७१,६४५ रुपये व्यय हुए हैं ।

बस दुर्घटना

८६३. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५३ से ३० सितम्बर, १९५४ तक के समय में सरकारी और प्राइवेट बसों की ऐसी कुल कितनी दुर्घटनायें हुईं जिन में जनहानि हुई; और

(ख) कितने व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दी गई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). १ जनवरी १९५३ से ३० सितम्बर, १९५४ तक की अवधि में ऐसी सरकारी और प्राइवेट बसों की दुर्घटनाओं की जिनमें जनहानि हुई तथा जिन व्यक्तियों को सरकारी बसों के कारण इस अवधि में हुई दुर्घटनाओं के कारण क्षतिपूर्ति दी गई, संख्या से सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी । प्राइवेट बस स्वामियों के द्वारा जिन व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दी गयी हैं उनकी संख्या के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करने में जो समय तथा श्रम लगेगा वह उससे संभवतः प्राप्त होने वाले लाभ के सममात्रिक नहीं है ।

गोसंवर्धन

८६४. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गोसंवर्धन के लिये कितनी राशि अलग रखी गई है और इसके लिये कौन सी योजनायें बनाई गई हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जाने वाली प्रस्थापित गोसंवर्धन योजनायें अभी प्रारूपण स्थिति में हैं । इस योजना के अधीन विभिन्न उद्देश्यों के लिये प्राप्य निधियों के आवंटन से सम्बन्धित सामान्य नियमों को भी अभी निश्चित नहीं किया गया है । अतः उनके लिये कोई धनराशि पृथक रक्षित करने अथवा इस प्रकार की योजनाओं को अन्तिम रूप देने का प्रश्न ही अभी उत्पन्न नहीं होता है ।

भारतीय टैलीफोन उद्योग के कर्मचारी

८६५. **श्री तिम्मय्या** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५३ तथा १९५३–५४ में, भारतीय टैलीफ़ोन उद्योग, बंगलौर में कितने जिज्ञासु तथा ख श्रेणी के लिपिक भरती किये गये; और

(ख) उनमें से प्रत्येक श्रेणी में कितने अनुसूचित जाति के हैं ?

संचार उपमंत्री श्री राज बहादुर : (क) १९५२–५३ में २३६ जिज्ञासु तथा ६३ 'ख' श्रेणी के लिपिक तथा १९५३–५४ में २०० जिज्ञासु तथा ७० 'ख' श्रेणी के लिपिक लिये गये थे ।

(ख) ३७ जिज्ञासु तथा १ 'ख' श्रेणी का लिपिक ।

चीनी लाभांश अपीलें

२६६. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारतीय श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण की कलकत्ता शाखा ने, बिहार चीनी लाभांश अपील के सम्बन्ध में अपने निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां नहीं भेजी हैं, जिसके परिणामस्वरूप बिहार सरकार लाभांश देने के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू नहीं कर सकी है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने बिहार सरकार को चीनी लाभांश अपील सम्बन्धी अपने निर्णयों की दो प्रतिलिपियां भेजी हैं । परन्तु बिहार सरकार ने प्रमाणित प्रतिलिपियों की मांग की थी, परन्तु क्योंकि उन्होंने प्रमाणित प्रतिलिपियों के लिये निर्धारित व्यवस्था का पालन नहीं किया था, इसीलिये उनको प्रमाणित प्रतिलिपियां नहीं दी जा सकी थीं । श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण, कलकत्ता ने राज्य सरकार को स्थिति समझा दी है ।

अगरताला धर्मार्थ अस्पताल

८६७. **श्री बीरेन दत्त :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अगरताला के धर्मार्थ अस्पताल (बी० एम०) में किये गये दुर्व्यवहार तथा कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में त्रिपुरा से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) क्या डाक्टरों तथा प्रबन्धकों की लापरवाही के कारण, कुछ रोगियों की मृत्यु हुई बताई जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इसको सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने की प्रस्थापना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

गन्ने के रोग

८६८. **श्री संगण्णा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति ने गन्ने के रोगों का नियंत्रण करने तथा उड़ीसा और आंध्र में गुड़ इकट्ठा करने के सम्बन्ध में कोई सुझाव भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

आंध्र में नवीन रेलव लाइनें

८६९. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नवीन रेलवे लाइनें बनाने के सम्बन्ध में आन्ध्र सरकार ने यदि कोई योजना भेजी है तो वह किस प्रकार की है; और

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में बनाई जाने वाली नवीन रेलवे लाइनें कुल कितने मील लम्बी होंगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में आंध्र राज्य में बनाई जाने वाली नवीन रेलवे लाइनों के सम्बन्ध में आन्ध्र सरकार की सिफ़ारिशों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) सभी सिफ़ारिशों के प्राप्त होने तथा उन पर विचार किये जाने के पश्चात् ही कोई निश्चय किया जा सकता है ।

फीलपांव तथा फिलेरिया रोगों का इलाज

८७०. **श्री के० सी० जैना :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या फीलपांव तथा फिलेरिया रोगों का इलाज करने तथा उनको ठीक करने के सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इलाज में कितने प्रतिशत सफलता मिली है; और

(ग) इन रोगों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जी हां । कुछ अनुसन्धान किये गये हैं ।

(ख) जहां तक फीलपांव रोग के ज्ञात लक्षणों का सम्बन्ध है, कोई निश्चित इलाज अभी ज्ञात नहीं हुआ है । फिलेरिया में 'पिपराज़ीन कम्पाउन्डों' से कुछ उत्साहवर्द्धक परिणाम निकले हैं । इस इलाज से होने वाली प्रतिशत सफलता को अभी नहीं बताया जा सकता है ।

(ग) राष्ट्रीय पैमाने पर, फिलेरिया रोग का नियंत्रण करने की एक अग्रिम योजना के लिये भारत सरकार ने पंच वर्षीय योजना

के अन्तर्गत स्वीकृति दी है । इस योजना के अन्तर्गत उन राज्यों को, जहां यह रोग फैला हुआ है, केन्द्रीय सहायता दी जाने को है । फिलेरिया रोग पर जिसका फीलपांव एक लक्षण है यह सहायता सामग्री तथा यंत्रों के रूप में दी जायेगी ।

यात्री सुविधायें

८७१. **श्री भीखाभाई** : क्या रेलवे मंत्री इन बातों को दिखलाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिम रेलवे पर यात्री सुविधाओं पर १९५४–५५ (३० नवम्बर, १९५४ तक) में वास्तव में कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है; और

(ख) यह धनराशि किन कार्यों पर व्यय की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अक्तूबर १९५४ तक ११·५५ लाख रुपये । नवम्बर १९५४ के आंकड़े अभी प्राप्य नहीं हैं ।

(ख) उक्त धनराशि इन कार्यों पर व्यय की गई है :—

(लाख रुपयों में)

(१) स्टेशनों पर जल की व्यवस्था	०·३७
(२) प्रतीक्षा गृह तथा समारोह स्थान (इस समय वर्तमान स्थानों का सुधार तथा वृद्धि भी इसमें सम्मिलित है) जैसे जल प्रवाह वाले सफाई के शौचालय	१·८२
(३) उपाहार गृह, अवकाश गृह तथा खोमचे वालों की सभी प्रकार की दुकानें	०·०७
(४) शौचालयों का निर्माण तथा सुधार	१·११
(५) प्लेटफार्मों की वृद्धि, ऊंचा करना, चौड़ा करना, सीमेंट कराना, छत डलवाना, तथा बैठने की सीटों इत्यादि का प्रबन्ध करके उनका सुधार करना	२·९२
(६) नये ऊपर से जाने वाले पुलों तथा नीचे से निकलने वाले रास्तों की व्यवस्था करना तथा वर्तमान ऊपर से जाने वाले पुलों में वृद्धि करना, सुधारना तथा उन पर छत डलवाना	०·६१
(७) स्टेशनों पर नहाने की सुविधा की व्यवस्था	०·०२
(८) स्टेशन के रास्तों को सुधारना तथा अधिक उत्तम प्रकार के प्रकाश करना	०·२६
(९) वर्तमान डिब्बों में पंखे, उत्तम प्रकार की प्रकाश व्यवस्था तथा शौचालयों इत्यादि के द्वारा सुधार करना	२·३३
(१०) स्टेशनों के प्लेटफार्मों, प्रतीक्षागृहों, समारोह शैडों तथा खोमचे वालों की दूकानों आदि पर उत्तम प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था करना तथा वहां पंखे लगाना	०·३२
(११) मेलों में इन सब मदों में आने वाले कार्यों के लिये	०·०१

(लाख रुपयों में)

(१२) किसी भी स्टेशन पर व्यापारियों तथा यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अपेक्षित समझे गये कार्य, जैसे बैठने के स्थान के सुधार करने के अतिरिक्त, बुकिंग आफिसों का खोलना तथा सूचना कार्यालयों की व्यवस्था करना	१·७०
योग	११·५५

पिप्पली-कोणार्क सड़क

८७२. **श्री संगण्णा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिप्पली-कोणार्क सड़क (जिलापुरी, उड़ीसा) के बनाने के लिये अपेक्षित लागत के दो तिहाई भाग की स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां । केन्द्रीय सड़क निधि (साधारण) में से निर्माण-कार्य की लागत के दो तिहाई भाग के अनुदान की स्वीकृति दे दी गई है किन्तु वह रकम १८ लाख रुपये से अधिक नहीं होगी ।

(ख) इस निर्माण कार्य के विस्तृत प्राक्कलन पिछले महीने में ही स्वीकृत किये गये थे । उड़ीसा सरकार से अभी तक कोई प्रगति-प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

शक्कर

८७३. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के चीनी कारखाने ने १९५४ में साफ़ करने के लिये शक्कर आयात की है ;

(ख) यदि हां, तो आयात की गई शक्कर का क्या परिमाण है ; और

(ग) आयात शुल्क के रूप में कितनी रकम दी गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) नहीं । उक्त कारखाने को २,००० टन शक्कर आयात करने की अनुज्ञप्ति दी गई थी परन्तु वह कोई शक्कर आयात नहीं कर सका और उसने अनुज्ञप्ति वापस लौटा दी ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

रेलवे स्कूल

८७४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे पर प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च रेलवे स्कूलों की संख्या कितनी है ;

(ख) रेलवे कर्मचारियों के लगभग कितने आश्रित इन संस्थाओं से लाभ उठाते हैं ;

(ग) उन रेलवे बस्तियों के नाम क्या हैं जहां रेलवे स्कलों का प्रबन्ध नहीं किया गया है ; और

(घ) क्या रेलवे कर्मचारियों के आश्रितों के लिये शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने की कोई योजना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ५६ ।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय पटल पर रख दी जायगी ।

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

मद्रास में अतिरिक्त विभागीय डाक घर तथा तार उपकार्यालय

८७५. **श्री आई० ईयाचरण** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास क्षेत्र में अतिरिक्त विभागीय संयुक्त डाक तथा तार उपकार्यालयों की संख्या कितनी है; और

(ख) इस प्रकार के संयुक्त कार्यालय खोलने के लिये क्या कसौटी रखी गयी है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ३० नवम्बर, १९५४ को १९ थे ।

(ख) इस प्रकार के संयुक्त कार्यालय खोलने की शर्तें सम्बद्ध टिप्पणी में दी गई हैं [**देखिये** परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०]

राष्ट्रीय राजपथ

८७६. **श्री संगण्णा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में कटक और सम्भलपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४२ के लगभग ११० मील लम्बे मार्ग को पक्का करने के लिये १९,२९,००० रुपये की स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) इस कार्य की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले अक्टूबर के मध्य में दी गई थी और राज्य सरकार को कार्यारम्भ करने में कुछ और समय लगेगा ।

रेलवे कर्मचारी

८७७. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री २ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन रेलवे कर्मचारियों से, जिन्होंने प्रारम्भ में पाकिस्तान के लिये विकल्प दिया था और जो अब भारत में पुनः सेवायुक्त कर लिये जाने का प्रयत्न कर रहे हैं और जिनके मामले रेलवे बोर्ड के विचाराधीन हैं, पुलिस प्राधिकारियों का निष्कासन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रमाणपत्रों के जल्दी ही जारी किये जाने का सुनिश्चय करने के लिये रेलवे बोर्ड ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

रेलवे साइडिंग

८७८. **श्री देवगम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के जमदा क्षेत्र के बारबिल नामक स्थान का साइडिंग के काम में लाये जाने के सम्बन्ध में मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी से कोई क़रार हुआ है;

(ख) क्या इस कम्पनी से बारबिल की ठकुरानी साइडिंग के गैरसरकारी भाग के काम में लाने के लिये कोई शुल्क लिया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां श्रीमान, सभी सहायक साइडिंगों के लिये ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

भंडारा नगर में रेलवे स्टेशन

८७९. **श्री एन० ए० बोरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्राधिकारियों ने भंडारा नगर में एक रेलवे स्टेशन खोले जाने की संभावना का पता लगाने के लिये एक निरीक्षक को नियुक्त किया था;

(ख) क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इस पर कब विचार करेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) नहीं । इस विषय के सम्बन्ध में अभी तक निरीक्षक जांच कर रहा है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(घ) प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया जायगा ।

[भारत लाइन्स लिमिटेड को ऋण

८८५. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **परिवहन** मंत्री ७ दिसम्बर, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ८२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा दिये गये ऋणों के लिये भारत लाइन्स लिमिटेड ने क्या प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) दी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : भारत सरकार द्वारा भारत लाइन्स लिमिटेड को दिये गये ऋण का परिमाण खरीदे गये जहाजों के मूल्य का ६६ २/३ प्रतिशत से लेकर ७५ प्रतिशत तक है । इन ऋणों की प्रतिभूति के रूप में कम्पनी ने भारतीय पंजी में पंजीकरण हो जाने के पश्चात् इन जहाजों को भारत सरकार के बन्धक रख दिया है। इस प्रकार सरकार ने जो प्रतिभूति ली है वह दिये गये ऋण से ३३ १/३ प्रतिशत से लेकर ५० प्रतिशत तक अधिक है और यह उचित समझी गई है । इसके अतिरिक्त कम्पनी ने इन जहाजों का सब संकटों के सम्बन्ध में बीमा कराया है और उन्हें अनुमोदित स्तर के अनुसार रखा जाता है।

मेसक्विट वृक्ष

८८१. **श्री देवगम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसक्विट पौधों, पुष्पों तथा वृक्षों के क्या उपयोग हैं ;

(ख) वे स्थान कौन से हैं जहां ये पौधे बहुतायत में पाये जाते हैं; और

(ग) इसके प्रचार के लिये बीज प्राप्त करने के क्या स्रोत हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) मेसक्विट पौधे का मुख्य तना और उसकी शाखायें बाढ़ लगाने के काम में आ सकती हैं। पुष्पों से शहद निकलता है जिन पर मधुमक्खियां बैठती हैं। इसकी लम्बी मीठी फलियां पोषक होती हैं और ढोरों तथा अन्य पशुओं के लिये अच्छी चारा समझी जाती हैं। इस की छाल से टैनिन और गोंद निकलता है।

(ख) मेसक्विट का पौधा दिल्ली की पहाड़ी पर तथा राजस्थान के कुछ भागों में बहुतायत से पाया जाता है। यह पौधा मूलतः मैक्सिको का है और लगभग १९१०–१२ में भारत में लगाया गया था।

(ग) इसके बीज पके हुए फलों में से प्राप्त हो सकते हैं जो जुलाई में बड़ी सरलता से इकट्ठे किये जा सकते हैं अधिक आवश्यकताओं के लिये बीज मेक्सिको और आस्ट्रेलिया से आयात किये जा सकते हैं जहां इस पौधे की खेती की जाती है।

लोक-सभा
वाद-विवाद

Chamber Fumigated 18/X/72

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५४

(६ दिसम्बर से २४ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खंड ९ में अंक १६ से अंक ३२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

खंड ९—अंक १६–३२ ६ से २४ दिसम्बर, १९५४.

अंक १६—सोमवार, ६ दिसम्बर, १९५४.

	स्तम्भ
श्री गिरजा शंकर बाजपेयी की मृत्यु	१२०५–०६
स्थगन प्रस्ताव —	
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल	१२०७–१२
राज्य-सभा से सन्देश	—
ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	१२१३–१४
याचिका प्राप्त	१२१४
ारांकित प्रश्न संख्या १४६८ पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि .	१२१४–१५
भा की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थित रहने से सम्बन्धित समिति—	
छठा प्रतिवेदन—स्वीकृत	१२१५–१६
ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	१२१६–८६
खंड ६६ से ८०	१२१८–२७
खंड ८१ से ८८	१२२७–५७
खंड ८९ से ९६ और ९८ से १०२ . . .	१२५७–८६

अंक १७—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४.

भा का कार्य—	
सत्र के शेष भाग के लिये सरकारी कार्य का क्रम . . .	१२८७–८८
ण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खण्डों पर विचार—समाप्त . . .	१२८४–१३८७
खण्ड २२	१२८८–१२९६
खण्ड ८९ से १०२ (खण्ड ९७ को छोड़ कर) और नया खण्ड ९३ क	
खण्ड १०३ से ११३ और ११५, ११६ और अनुसूची, नया	
खण्ड ११५क, खंड १ और २ . . .	१२९६–१३७६
संशोधित रूप में पारित होने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	१३७६–७८

अंक १८—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
निवारक निरोध अधिनियम सम्बन्धी सांख्यकीय विवरण . .	१३७९–८
विदेशी-जन पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति घोषणायें .	१३८०–८
पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन	१३८
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
याचिका उपस्थापित	१३८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१३८१
तुर्की की महान राष्ट्र-सभा के प्रधान से प्राप्त सन्देश . . .	१३८२
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संशोधितरूप में पारित	१३८२–१४३१
श्री एम० ए० अय्यंगार	१३८३–८६
श्री ए० एम० थामस	१३८६–९२
श्री एच० एन० मुकर्जी	१३९२–९७
श्री एस० एस० मोरे	१३९७–९९
श्री दातार	१३९९–१४०७
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४०७–१३
श्री एन० सी० चटर्जी	१४१३–१५
श्री आर० डी० मिश्र	१४१५–२१
डा० काटजू	१४२३–३१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति में सदस्यों के नामनिर्देशित करने का प्रस्ताव—असमाप्त .	१४३१–८८
श्री पाटस्कर	१४३१–४०
श्री वी० जी० देशपांडे	१४४०–४८
श्री टेक चन्द	१४४८–५२
श्री बी० सी० दास	१४५२–५६
श्रीमती जयश्री	१४५६–५७
श्री डी० सी० शर्मा	१४५७–५८

अंक १९—बृहस्पतिवार, ९ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण और एक भारतीय ग्रामीण का अपहरण . . .	१४५९–६०
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक	१४६०–६१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति के लिये सदस्य नाम-निर्देशित करने का प्रस्ताव .	१४६१–१५१
श्री डी० सी० शर्मा	१४६१–६

	स्तम्भ
श्रीमती सुचेता कृपलानी	१४६३–६६
श्री एन० सी० चटर्जी	१४६६–७२
श्री बोगावत	१४७२–७६
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४७६–६८
श्री पी० सुब्बा राव	१४६२–६७
श्रीमती उमा नेहरू	१४६७–१५००
सरदार इकबाल सिंह	१५००–०२
श्री पाटस्कर	१५०२–१४
निवारक निरोध (संशोधन विधेयक)—	
विचार प्रस्ताव—असमाप्त	१५१६–४६
डा० काटजू	१५१६–४२
श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी	१५४२–४६

अंक २०—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखा गया पत्र—	
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . .	१५४७
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१५४७–८६
श्री ए० के० गोपालन	१५४८–५७
श्री जी० एच० देशपांडे	१५५७–६१
श्री वीरस्वामी	१५६१–६३
श्री अशोक मेहता	१५६३–६६
श्री एम० पी० मिश्र	१५६६–७६
श्री वी० जी० देशपांडे	१५७६–८५
श्री टेक चन्द	१५८५–८७
श्री एन० एम० लिंगम	१५८७–८६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५८६
सत्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५६०
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १०६क का रखा जाना)—	
पुरःस्थापित	१५६१
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा १४२क का रखा जाना)—पुरःस्थापित	१५६१
वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	१५६१–१६०४
श्री डाभी	१५६१–६२
डा० पी० एस० देशमुख	१५६२–१६०४

	स्तम्भ
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक (धारा १ और २६, आदि का संशोधन)—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित	१६०४–१७
श्री यू० सी० पटनायक	१६०४–११
डा० काटजू	१६११–१
श्रीमती इला पालचौधरी	१६१२–१
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क	१६१३–१
श्री कानावाड़े पाटिल	१६१५–१७
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१६१७–३४
श्रीमती उमा नेहरू	१६१७–१९
श्री पाटस्कर	१६१९–२२
श्रीमती सुषमा सेन	१६२२
श्रीमती जयश्री	१६२२–२३
श्रीमती ए० काले	१६२३
श्रीमती मायदेव	१६२३–२५
श्री केशवैयंगार	१६२५
श्रीमती इला पालचौधरी	१६२५–२६
श्री डी० सी० शर्मा	१६२६–२८
श्री टी० एस० ए० चेट्टियार	१६२८–३०
श्री धुलेकर	१६३१–३३
विद्युत सम्भरण (संशोधन) विधेयक (धारा ७७ आदि का संशोधन)—	
पुरःस्थापित	१६३१

अंक २१—शनिवार, ११ दिसम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी	१६३५–३८
सभा का कार्य—	
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प के बारे में समय-नियतन	१८३८–३९
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१८३९–१७३
श्री एन० एम० लिंगम	१६३९–४१
श्री एन० सी० चटर्जी	१६४१–४९
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१६४९–५०
श्री केशवैयंगार	१६५०–५२
श्रीमती ए० काले	१६५२–५५

स्तम्भ

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . . १६५४–६०
श्री कासलीवाल . १६६०–६२
श्री भागवत झा आज़ाद . १६६२–६६
डा० एन० बी० खरे . . . १६६६–७६
श्री दातार १६७७–६०
डा० कृष्णस्वामी १६६०–६४
श्री चट्टोपाध्याय १६६४–६७
श्री सी० आर० नरसिंहन . . . १६६७–६८
श्री मूलचन्द दुबे . . १६६८–१७००
पण्डित के० सी० शर्मा १७००–०२
श्री राघवाचारी १७०३–०५
कुमारी एनी मैस्करीन . . १७०५–०७
श्री आर० सी० शर्मा १७०७–१४
श्री सारंगधर दास . . . १७१४–१७
पण्डित ठाकुर दास भार्गव १७१७–३२
श्री एच० एन० मुकर्जी १७३२

अंक २२—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी . . . १७३३–३४
न्यूटन चिखली खान में दुर्घटना १७३५–३८
आंध्र में निर्वाचन सम्बन्धी जलूस पर कथित गोली-कांड . १७३८–३९
पटल पर रखे गये पत्र—
विमान निगम नियम १७३९–४०
औद्योगिक वित्त निगम सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन . . १७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें—१९५४-५५—पटल पर रखी गई . . १७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (आंध्र राज्य)—१९५४-५५—पटल पर रखी गई १७४०
मंत्री का एक बैंक से कथित सम्बन्ध १७४०–४५
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत १७४५–१८०८
श्री एच० एन० मुकर्जी १७४५–५०
डा० एस० एन० सिंह १७५०–५२
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क १७५२–५५
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा १७५५–५९
आचार्य कृपालानी १७५९–६१
डा० काटजू १७६१–७४
खंड १ तथा २ . . . . १७७४–९९

	स्तम्भ
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१७९९–१८०८
डा० काटजू	१७९९–१८०८
श्री नन्द लाल शर्मा	१८००–०५
श्री लक्ष्मय्या	१८०५–०६
श्री पुन्नूस	१८०६–१८०८

अंक २३—मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—	
रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ . . .	१८०९–१०
रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ का वाणिज्यिक परिशिष्ट .	१८०९–१०
लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, रक्षा सेवायें १९५४ . . .	१८०९–१०
तारांकित प्रश्न संख्या ८६२ के उत्तर में शुद्धि	१८१०
सभा का कार्य—	
सरकारी कार्य के क्रम के बारे में वक्तव्य . . .	१८१०–११
चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८११–३०
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . १८११–१३,	१८२७–३०
श्री तुषार चटर्जी	१८१४–१७
श्री एन० एम० लिंगम्	१८१७–१९
श्री बर्मन	१८१९–२०
श्री के० पी० त्रिपाठी	१८२०–२३
श्री ए० एम० थामस	१८२३–२४
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१८२४–२५
श्री दामोदर मेनन	१८२५–२६
श्री के० सी० सोधिया	१८२६–२७
श्री पुन्नूस	१८२७
खण्ड १ और २	१८३०–३२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	१८३२
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . .	१८३२
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८३२–५५
श्री कानूनगो १८३२–३६,	१८४८–५५
श्री वी० पी० नायर	१८३७–४०
श्री तुलसीदास	१८४०–४१
डा० लंकासुन्दरम्	१८४१–४३
श्री झुनझुनवाला	१८४३–४४

	स्तम्भ
श्री ए० एम० थामस	१८४४–४६
श्री कासलीवाल	१८४६–४७
श्री वी० बी० गांधी	१८४७–४८
खण्ड १ और २	१८५५
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८५५–६२
श्री कानूनगो	१८५५–५६
डा० लंका सुन्दरम्	१८५६–५७
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी	१८५७–६२
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८६३–७७
श्री के० के० देसाई . . १८६३–६४,	१८७४–७७
श्री अमजद अली	१८६४–६५
श्री बिमला प्रसाद चालिहा . . .	१८६५–६६
श्री पुन्नूस	१८६६–६८
श्री बी० एस० मूर्ति	
श्री वेलायुधन	१८६९–७०
श्री केशवैयंगार	१८६८–६९
श्री पी० सी० बोस	१८७०–७१
श्री के० पी० त्रिपाठी	१८७१
श्री एस० वी० रामस्वामी	१८७१–७३
ठाकुर युगल किशोर सिंह .	१८७३–७४
खण्ड १ से ३	१८७८
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	१८७८
श्री के० के० देसाई . .	१८७८

अंक २४, बुधवार, १५ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
आन्ध्र में निर्वाचन जलूस पर कथित गोलीकांड . . .	१८७९–८३
पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों की भूख हड़ताल तथा सेना का बुलाया जाना .	१८८३–८५
पटल पर रखे गये पत्र— .	
आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति के अधिनियम . . .	१८८५–८७
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण .	१८८७–८८
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना .	१८८७
दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी के सन्तुलन-पत्र तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	१८८८–८९

स्तम्भ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १८८९
सभा का कार्य—
सरकारी कार्य का क्रम १८८९-९१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टेपियोका मांड और आटे के निर्यात पर प्रतिबन्ध . . . १८९१-९२
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प—असमाप्त . १८९२-१९७३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय
संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित १९७४

अंक २५—गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४.

श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव का निधन १९७५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
इम्फाल, मनीपुर में सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज . . . १९७६-७७
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १९७७
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प—स्वीकृत . १९७७-२००८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त . . २००८-६२

अंक २६—शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—
पश्चिमी बंगाल में पुलिस के सिपाहियों की भूख हड़ताल और सेना का
बुलाया जाना २०६३-६८
पटल पर रखे गये पत्र—
खनिज कन्सेशन नियमों में संशोधन २०६८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . . २०६८-९६, २१०८-१०
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आंध्र . . २०९६-२१०८
विनियोग (संख्या ४) विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . २१११-१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत २११२
सरकारी औद्योगिक उपक्रमों की देखभाल और नियंत्रण करने वाली संविहित
निकाय सम्बन्धी संकल्प—अस्वीकृत २११२-५०
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण विभाग
के बारे में संकल्प—असमाप्त २१५०-५६

स्तम्भ]

श्रीमती विजय लक्ष्मी का त्याग पत्र २१५७
अध्यक्ष को पद से हटाये जाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . २१५७–७४, २२४२–७८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आन्ध्र . . २१७४–९०, २२२७–२८
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को सौंपा गया २१९०–२२२७
श्री पाटस्कर २१९०–२२००
श्री बर्मन २२०१–०६, २२२३–२५
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय २२०८–१३
श्री आर० डी० मिश्र . . . २२०७–०८, २२१३–२३
आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . . २२२७–२९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२२९–३६
श्री पाटस्कर २२२९–३१, २२३२, २२३६
श्री धुलेकर २२३२–३३
श्री आर० के० चौधरी . . . २२३३–३४
पंडित ठाकुर दास भार्गव २२३४–३६
पंडित सी० एन० मालवीय . . . २२३६
खण्ड १ और २ . . . . . २२३७
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२३८

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . २२३८
श्री करमरकर २२३८–३९
श्री ए० एम० थामस २२३८–३९
श्री एन० एम० लिंगम् २२३९
खण्ड १ और २ . . . . . २२३९–४०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . २२४०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अपूर्ण . . २२४०–४२
डा० एम० एम० दास २२४०–४२

अंक २८—सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव— स्तम्भ

सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण . २२७९–८२

पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों द्वारा भूख हड़ताल के बारे में वक्तव्य . २२८२–८४

पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखा (डाक तथा तार) १९५२-५३ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन १९५४ . . . . . २२८४

संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . २२८४–८५

महिलाओं तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—पुरःस्थापित . २२८५–८६

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—अपूर्ण . . . २२८६–२३६४

अंक २९—मंगलवार, २१ दिसम्बर, ११५४.

विदेशों को जीपों तथा सेना के कुछ अन्य सामान के लिये दिये गये आर्डरों के बारे में वक्तव्य २३६५–६६

सभा का कार्य २३६६–६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

चाय निर्यात के अधिकारों में सट्टेबाज़ी . . . २३६८–७१

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में पारित . . २३७१–२४५७

राज्य सभा से सन्देश २४५७–५८

अंक ३०—बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—

प्रेस आयोग की सिफारिशों के बारे में विवरण . . २४५९

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . २४५९

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक सम्बन्धी साक्ष्य . . . २४६०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —उपस्थापित २४६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित २४६०

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का विवरण, खण्ड ३—उपस्थापित . . . २४६१

पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— २४६१

अपूर्ण २५२२, २५२२-५२

परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . २५२२

राज्य सभा मे सन्देश २५५२

अंक ३१—गरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
इम्फाल में एक संसद् सदस्य की गिरफ्तारी और प्रजा समाजवादी दल के कार्यालय पर पुलिस का छापा	२५५३–५७
यूगोस्लाविया के संघीय जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधान मंत्री का संयुक्त वक्तव्य . .	२५५७–६१
पटल पर रखे गये पत्र—	
विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	२५६१–६२
जून, १९५३ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३६वें अधिवेशन की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के विवरण . . .	२५६२–६३
न्यूनतम मजूरी निवारण व्यवस्था के सम्बन्धी अभिसमय संख्या २६ के अनुसमर्थन के बारे में विवरण . . .	२५६३
रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम—नियम, १९५३ में संशोधन .	२५६३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पी० टी० आई० और यू० पी० आई० द्वारा निजी उद्यम को समाचारों का दिया जाना	२५६३–६८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —स्वीकृत	२५६८–७१
समवाय विधेयक की संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति . .	२५७२
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	२५७२–२६१६
श्री पाटस्कर २५७२–७८,	२६०७–२६१६
श्री एन० एम० लिंगम् .	२५७९–८
श्री बी० एस० मूर्ति . . .	२५८१–८३
श्री राघवाचारी .	२५८३–८४
श्री साधन गुप्त	२५८४–८६
श्री टी० एन० सिंह	२५८६–८९
श्री भागवत झा आज़ाद	२५८९–९०
श्री जांगड़े	२५९०–९३
श्री एम० एल० अग्रवाल . . .	२५९३–९५
श्री कासलीवाल	२५९५–९६
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय . . .	२५९६–२६००
श्री कजरोल्कर	२६००–०१
श्री नवल प्रभाकर	२६०१–०४
श्री कक्कन	२६०४–०५
श्री पी० एल० बारुपाल	२६०५–०६

	स्तम्भ
श्री गणपति राम	२६०६–०७
खण्ड १ और २—	
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	२६१६–२६२५
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	
असमाप्त	२६२५–७२
श्री रिशांग किशिंग की गिरफ्तारी	२६७२
राज्य-सभा से सन्देश	२६७२–७४

अंक ३२—शुक्रवार, २४ दिसम्बर, १९५४ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
मध्य भारत और राजस्थान में अफीम की खेती .	२६७५–७७
पटल पर रखे गये पत्र—	
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन	२६७७
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग २—ब्योरेवार विनियोग लेखे	२६७७
भारत सरकार की रेलों के १९५२-५३ के ब्लाक लेखे (ऋण लेखों वाले पूंजी के विवरणों सहित), सन्तुलन पत्र और लाभ-हानि के लेखे .	२६७७
१९५२-५३ के लिये रेलवे की कोयला खानों के कार्य का पुनर्विलोकन और सन्तुलन पत्र और कोयले, आदि की पूरी लागत के विवरण	२६७७–७८
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, १९५४	२६७८
केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की दूसरी बैठक में किये गये विनिश्चय के बारे में विवरण	२६७८
तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ और १२६५ के उत्तरों में शुद्धि	२६७८–७९
प्रतिभूति ठेके (विनियमन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	२६८०
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— संशोधित रूप में स्वीकृत	२६८०–२७०३
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	२७०३–४३
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—वाद-विवाद स्थगित	२७४३–४८
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)— पुरःस्थापित	२७४८
भारतीय धर्म परिवर्तन (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक—पुरःस्थापित	२७४९–५२
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— . . .	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	२७५३–६३
श्री धुलेकर	२७५३–५७

स्तम्भ

श्री पाटस्कर . . २७५७–६३

श्रीमती उमा नेहरू . २७६३

श्री टेक चन्द . . २७६३

वाद-विवाद स्थगित २७६३

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक—(नई धारा २९४ख का रखा जाना)—

परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २७६४–६७

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा . . . २७६४–६५, २७६४

डा० काटजू २७६५–६६

वाद-विवाद स्थगित २७६७

मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त २७६७–६९

डा० एन० बी० खरे २७६७–६८, २७६९

श्री के० के० देसाई २७६८–६९

वाद-विवाद स्थगित २७६९

भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक— . . .

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त . . २७६९–८०

सरदार ए० एस० सहगल . . . २७६९–७६, २७७७–७८

राजकुमारी अमृत कौर २७७६–७७, २७७८–७९

वाद-विवाद स्थगित २७८०

निःशुल्क, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—

परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २७८०

श्री डी० सी० शर्मा २७८०–८२, २७८३–८६

श्री के० के० देसाई २७८२–८३

श्री आर० के० चौधरी २७८७

राज्य-सभा से सन्देश २७८८

हिन्दू विवाह विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . . २७८८

लोक-सभा

सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२—२ म० प०

स्थगन प्रस्ताव

सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र का अतिक्रमण

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र के अतिक्रमण के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने वाले थे।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : नौ दिसम्बर को माननीय सदस्य, डा० एन० बी० खरे ने सभा के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जोकि बेलगांव जिले में आइन नाका नाम के ग्राम के निकट गोआ की सीमा पर एक घटना के सम्बन्ध में था। आपने, श्रीमान्, उस विषय पर अग्रेतर सूचना मांगी थी। यह वक्तव्य इसी उद्देश्य से दिया जा रहा है।

२ दिसम्बर, १९५४ को हमारे केन्द्रीय उत्पाद अधिकारी यह सूचना पाकर कि दो भैंसें चोरी से गोआ में ले जाई जाने वाली हैं, आइन पहुंचे। पहुंचने पर दो भारतीयों की सहायता से, जिनमें एक श्री लूसो नारायण गवास थे, उन्होंने पशुओं पर अधिकार कर लिया। श्री काशीनाथ नायक, जोकि गोआ की सीमा के उस पार रहता था, और गोआ का निवासी था उसने यह दावा किया कि वे पशु उसके हैं। उससे कहा गया कि उसको वे पशु तभी मिल सकेंगे जब कि वह यह सिद्ध कर दे कि वे पशु उसी के हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि श्री काशीनाथ नायक उस दिन सायंकाल को ७-१५ म० प० बजे के लगभग पुर्तगाली भारतीय पुलिस के साथ आ गया। आइन के केन्द्रीय उत्पाद रेंज पदाधिकारी ने अपनी चौकी से कुछ दूरी पर बच्चों और औरतों की चीख-पुकार सुनी। वह तुरन्त ही उत्पाद विभाग के सिपाहियों और कांस्टेबलों के साथ उस स्थान पर पहुंचा। श्री लूसो नारायण गवास के घर पहुंचने पर श्री गवास की पत्नी तथा कुछ पड़ोसियों ने बताया कि श्री गवास को तीन आदमी गोआ की सीमा के अन्दर घसीट कर ले गये हैं, जिन में दो खाकी वर्दी में थे और एक कम्बल ओढ़े था। कुछ देर के बाद श्री गवास गोआ स लौटे, उन के मुंह से खून निकल रहा था और दोनों घुटनों पर चोटें थीं। यह भी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पाया गया कि उस का एक ऊपर का दांत नहीं है। पूछने पर, उस ने बताया कि वह गोआ की सीमा से ५० फीट की दूरी पर बैठा हुआ था कि दो पुर्तगाली भारतीय पुलिस के आदमी उस की ओर आये और पिस्तौल दिखाकर गोआ की सीमा के अन्दर घसीटते हुये ले गये। सहायता के लिये चिल्लाने पर उस की पत्नी घर से निकल कर आई और श्रमिकों को बुला लिया, जो कि सहायता के लिये दौड़े और भारतीय अधिकारियों को बुला लाये। श्री गवास को फिर चिकित्सा के लिये एक स्थानीय हस्पताल में ले जाया गया।

यह घटना इतनी ही है, किन्तु यदि आप की अनुमति हो, तो मैं एक दो घटनाओं का और उल्लेख कर दूं जो कि वहां हुई हैं।

दूसरी घटना ८ दिसम्बर, १९५४ को दमन की सीमा पर हुई। एक पुर्तगाली यूरोपीय सिपाही सीमा शुल्क की चौकी संख्या १३ के निकट भारतीय सीमा के अन्दर पाया गया। उस से पूछताछ की गई और उस ने अपने आप को समर्पित कर दिया। उस के पास कुछ शस्त्र मिले और भारतीय शस्त्र अधिनियम के अधीन उसे पुलिस की हिरासत में ले लिया गया। अग्रेतर परीक्षा के लिये उसे बम्बई ले जाया गया।

इस के पश्चात् एक दूसरी घटना हुई। एक सूचना भी प्राप्त हुई है कि ३० नवम्बर, १९५४ को जब श्री एम० एल० नायक नाम का एक भारतीय पैदल मनेरी से डोडा मार्ग को जा रहा था, तो तीन आदमियों ने उस का अपहरण कर लिया और उसे जबरदस्ती गोआ की सीमा में ले गये। गोआ पुलिस ने श्री नायक को अपनी हिरासत में ले लिया और गोआ की सीमा के आस-पास घूमने के अपराध में बन्द कर दिया। पुर्तगाली पुलिस ने प्रश्नों के दौरान में उस से भारतीय सीमा पर रहने वाले कुछ आदमियों के सम्बन्ध में सूचना देने को कहा। उस से कहा गया कि यदि वह ऐसा करने को तैयार हो जायेगा, तो उसे छोड़ दिया जायेगा। श्री नायक के इस शर्त को स्वीकार करने पर, उस को छोड़ दिया गया। श्री नायक ने बांदा में सम्बद्ध व्यक्तियों के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज करा दी। मामले की जांच हो रही है।

सरकार इन घटनाओं के बारे में बड़ी चिन्तित है और यह कोशिश कर रही है कि, भारतीय राज्य-क्षेत्र का भविष्य में किसी प्रकार अतिक्रमण न हो। ये अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि पुर्तगाली प्रदेश की ओर से, यदि कोई भी सशस्त्र व्यक्ति हमारे राज्य-क्षेत्र में आये तो उस को पकड़ लेना चाहिये और जहां कहीं आवश्यकता प्रतीत हो, बल प्रयोग से भी प्रवेश रोका जाये। पुर्तगाली अधिकारियों के पास इन घटनाओं की शिकायत भेज दी गई है।

अध्यक्ष महोदय: डा० खरे अनुपस्थित हैं और प्रधान मंत्री के वक्तव्य को देखते हुए मैं इस स्थगन प्रस्ताव के लिये अनुमति नहीं देता।

पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों द्वारा भूख हड़ताल के बारे में वक्तव्य

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): कलकत्ता की स्थिति के सम्बन्ध में इसी १७ तारीख को जो वक्तव्य मैं ने दिया था और यह सूचना दी थी कि लगभग ५०० हड़ताल करने वाले पकड़ लिये गये हैं, तब से सामान्य स्थिति में तेजी से काफी सुधार

हुआ है। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने सत्याग्रहियों को यह चेतावनी दी कि यदि वे अपने काम पर तुरन्त नहीं आते हैं, तो उन के खिलाफ सख्त अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी और उस के परिणामस्वरूप अधिकांश लोगों ने उपवास तोड़ दिया है और अपने काम पर आ गये। १८ की शाम तक ९ प्रभावित जिलों के ३००० सिपाही, जो कि भूख हड़ताल पर थे, उन में से ८५ को छोड़ कर सभी ने उपवास तोड़ दिया है। कल तक सभी ने बिना किसी अपवाद के अपना उपवास तोड़ दिया। सारे जेल के वार्डरों ने जो कि भूख हड़ताल पर थे अपना उपवास समाप्त कर दिया और अपने काम पर आ गये हैं। सब जगह स्थिति शांतिपूर्ण है। सेना को बिल्कुल हटा लिया गया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : दिनांक १७ को माननीय मंत्री ने कहा था कि वहां कोई सेना नहीं है और सारी सेना हटा ली गई है। श्री त्यागी ने भी कहा था कि सेना हटा ली गई है। बाद को, यह मालूम हुआ कि वहां अब भी सेना है। अतः मेरा विचार है कि उस दिन इस बारे में सभा में जो वक्तव्य दिया गया था वह गलत था।

अध्यक्ष महोदय : गलतियां बताने के लिये यह प्रक्रिया बहुत अनियमित है। यह ठीक नहीं है कि एक पार्श्विक वक्तव्य दिया जाये और दूसरे पक्ष को गलती देखने का अवसर ही न दिया जाये। वास्तव में, मैं माननीय गृह मंत्री को वक्तव्य देने की आज्ञा नहीं दे रहा था। बताये गये तथ्य स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में थे और पश्चिमी बंगाल में जो घटनाचक्र हुआ इस का सम्बन्ध वास्तव में इस सभा से कुछ विशेष नहीं है। यह मामला मुख्यतया हां की सरकार से ही सम्बन्ध रखता है। किन्तु वह वक्तव्य देना चाहते थे। इसलिये मैं ने सोचा कि संभवतः वह बात पूरी ही कर दें। उसी प्रयोजन के लिये आज इस वक्तव्य की आज्ञा दी गई थी। यदि कोई गलती हो तो माननीय सदस्या उसे मुझे बतायें या कोई और सदस्य भी बता सकता है और मैं फिर सम्बद्ध मंत्री से वह बात पूछूंगा तब वह मंत्री यहां पर वक्तव्य देगा। पिछली बार भी, जब श्री हीरेन मुकर्जी के वक्तव्य पर मंत्री महोदय ने आपत्ति की थी तो यही प्रक्रिया अपनायी गई थी—क्योंकि हम नहीं चाहते कि जनता में इस के कारण कोई गलत फहमी फैले।

पटल पर रखे गये पत्र

विनियोग लेखे (डाक तथा तार) तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : मैं संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अधीन विनियोग लेखे (डाक व तार) १९५२-५३ तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५४ की एक प्रति पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये** संख्या एस-५०२—५४].

संविधान (चतुर्थ संशोधन विधेयक

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक

को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

महिलाओं और लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि ९ मई, १९५० को न्यूयार्क में हस्ताक्षर किये गये अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसरण में, स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य के दमन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि ९ मई, १९५० को न्यूयार्क में हस्ताक्षर किये गये अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसरण में, स्त्रियों और लड़कियोंके अनैतिक पण्य के दमन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा० काटजू: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): इस से पूर्व कि हम आगे चलें, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । कल अन्तिम मद से पहले, मैं ने एक प्रस्ताव किया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, किन्तु वह प्रस्ताव सभा के समक्ष नहीं रखा गया और वह स्वीकार नहीं हुआ ।

अध्यक्ष महोदय: संभवत : स्थिति इस प्रकार है कि पहले कार्य मंत्रणा समिति ने समय कम होने के कारण उसे कार्यक्रम में नहीं रखा था, किन्तु बाद में संसद्-कार्य मंत्री ने कहा था कि उन की इच्छा उसे इसी सत्र के कार्यक्रम में रखने की है । इस-लिये मामला अभी उसी प्रकार है और यह क्रम पत्र में भी है । इसलिये जब वह आयेगा तब माननीय सभासचिव को अवसर मिलेगा ।

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाये ।"

मैं आय-व्ययक सत्र से पूर्व इस अवसर का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं सभा के समक्ष सरकार की आर्थिक नीति की मुख्य बातें रख सकूंगा और सभा से मंत्रणा ले सकूंगा । आर्थिक नीति अपने आप में ही कोई अन्तिम बात नहीं है किन्तु यह तो लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन मात्र है और इसे लोक नीति के महान् ध्येय के अधीन रह कर उस प्रकार के सामाजिक निर्माण में सहायक होना है, जो कि देश ने अपने सम्मुख रखा हुआ है । अतः इस प्रसंग में प्रत्येक व्यक्ति यह सोचता है कि लोक नीति का वह महान् ध्येय क्या है । अब यह बात संविधान के निदेशक तत्त्वों में भी रख दी गयी है ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

यह राष्ट्र की भावनाओं की द्योतक होती है न कि किसी एक सिद्धांत अथवा व्यक्ति

अथवा किसी एक दल या दिमाग की विचार-धारा की । और जब तक ये संविधान में हैं, तब तक ये अवश्य ही सरकार की मुख्य नीति पर प्रभाव डालती रहेंगी, चाहे भविष्य में कोई भी सरकार बने । मैं यह इसलिये कह रहा हूं, क्योंकि सरकार की नीतियों के वर्तमान विवादों में इस मूलभूत बात की उपेक्षा हो जानी सम्भव है ।

संविधान में निहित लक्ष्य यह अपेक्षा करते हैं कि गरीबी दूर करने, और जीवन स्तर को उन्नत करने और लोगों के विभिन्न भागों में अधिक समानता लाने के लिये दृढ़ प्रयत्न किया जाये । इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके समय समय पर आवश्यक रूप से बदलते रहेंगे । और उन के बारे में कभी पूर्ण मतैक्य सम्भव नहीं हो सकता । किन्तु मेरे विचार में कोई भी इस बात से असहमत न होगा कि प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों के बारे में भी कभी कोई विवाद हो सकता है । इस महान् विचार के अधीन, नीति का निर्धारण आवश्यक रूप से वास्तविक स्थिति को ध्यान में रख कर होना चाहिये केवल सैद्धान्तिक ढंग से नहीं । वर्तमान परिस्थितियों में, विशेषत: हमारे राज्य में जहां कि हम ने अपने सामने एक लोक हितकारी राज्य का आदर्श रखा हुआ है, वहां इस सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रम में कोई विरोध नहीं हो सकता । और न ही राज्य के नियामक कृत्यों की आवश्यकताओं के बारे में कोई मतभेद हो सकता है । एक लोकतंत्रात्मक प्रणाली में यह अनिवार्य है कि संविधान के उपबन्धों के अधीन, और संसद् के प्रभुत्व, निदेश और नियंत्रण में सरकार यह आवश्यक रूप से निर्धारित करे कि लोक हित में क्या क्या है और उन्हें किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है । मैं इस बात पर इस कारण से जोर दे रहा हूं क्योंकि व्यापारीवर्ग की आर्थिक स्थिति सम्बन्धी चर्चाओं में प्राय: यह भावना होती है कि सरकारी स्वामित्व अथवा सरकारी नियंत्रण से बचना ही अच्छा है । मुझे खेद है कि उस वर्ग में यह क्यों नहीं समझा जा रहा कि यथेच्छाकारिता नीति के दिन चले गये हैं ।

एक पिछड़े देश में आर्थिक नीति का मुख्य लक्ष्य, संविधान के निदेशक तत्वों के अतिरिक्त भी यह होना चाहिये कि विकास को उन्नति दी जाये, ताकि, जीवन-स्तर ऊंचा हो और यथासम्भव शीघ्र ऐसी स्थिति बन जाये कि सब को रोज़गार मिले और उस स्थिति को बनाये रखा जा सके । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमने इस नीति को पंच वर्षीय योजना में निहित किया है । ऐसा नहीं है कि यह योजना बिल्कुल अपरिवर्तनीय है क्योंकि देश में और देश के बाहर भी आर्थिक स्थिति सदैव बदलती रहती है । इसलिये समय समय पर इन परिवर्तनों का भी ध्यान रखना पड़ता है जिस का अर्थ यह है कि आर्थिक नीति का समय समय पर पुनरीक्षण करना पड़ता है और इसीलिये इस के अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों पहलू हैं ।

किसी भी आधुनिक राज्य में दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य तो राष्ट्रीय आय की वृद्धि, रोज़गार के ऊंचे तथा स्थाई स्तर, और सभी को कुछ न्यूनतम स्तर की शिक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य और मकानों के बारे में और आर्थिक तथा सामाजिक न्याय सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था करना आदि होते हैं । यह तो विस्तृत बातें हैं, जो योजना बनाने वालों को निरन्तर ध्यान में रखनी पड़ती हैं ।

किन्तु अल्पकालीन लक्ष्य भी होते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, और जो बात अधिक महत्त्व की है वह यह है कि प्राय: अल्प-कालीन तथा दीर्घ-

[श्री सी० डी० देशमुख]

कालीन लक्ष्यों की परस्पर टक्कर हो जाती है । उदाहरणस्वरूप पूंजी विनियोग को एकदम बढ़ाने के प्रयत्न से उपभोग वस्तुओं में अधिक कमी हो सकती है और मुद्रा-स्फीति को रोकने के प्रयत्न से कुछ समय के लिये उत्पादन और रोज़गार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । इसी प्रकार से यदि उत्पादन में तुरन्त वृद्धि की इच्छा हो तो अधिक मूल्य और अधिक लाभों से अच्छा परिणाम निकल सकता है, किन्तु इस से आर्थिक असमानता अधिक बढ़ सकती है, और इस के और भी प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं । दूसरे किसी विशेष क्षेत्र में रोजगार का संरक्षण किया जा सकता है और उसे बढ़ाया भी जा सकता है, यदि उत्पादन कुशलता का विचार अधिक न किया जाये, किन्तु इस का कुछ समय तक समस्त राष्ट्रीय उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इस के बाद फिर कृषि मूल्यों का प्रश्न है । वहां भी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्यों में टक्कर हो सकती है और इसी कारण से समय समय पर संतुलन बनाने अथवा विभेद करने अथवा ठीक करने की आवश्यकता रहती है । उदाहरण के लिये कम मूल्य निश्चित आय वाले वर्ग के लिये वांछनीय है, और एकदम लोक व्यय के बढ़ जाने पर मुद्रा-स्फीति के दवाब को रोकने के लिये भी आवश्यक है, और कुछ समय मुद्रा-स्फीति को रोकने पर ही ज़ोर दिया जायेगा, किन्तु अल्पकाल में एकदम मूल्यों की कमी, उत्पादन की वृद्धि में जिसे कि हम चाहते हैं रुकावट पैदा कर सकती है । यह भी मानी हुई बात है कि आरंभिक उत्पादक और निर्माता के मध्य मूल्यों में कोई न कोई क्षमता होनी चाहिये कृषि मूल्यों में एकदम भारी कमी कर के आय की असमानताओं को भी बढ़ने नहीं देना चाहिये । इसलिये राज्य को सदा सोच-समझ कर हस्तक्षेप करना चाहिये । मैं यह बताना चाहता हूं कि इस मामले पर सरकार ने विचार किया है और सरकार की नीति की घोषणा शीघ्र ही की जायेगी ।

इन उदाहरणों को देने से मेरा अभिप्राय यह दिखाने का है कि मान लिया जाये कि दीर्घकालीन लक्ष्य पूरे हो गये हैं, तो समय समय पर नीति का भार एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य पर इन अल्पकालीन स्थितियों के अनुसार बदलता रहना चाहिये । जब प्रथम पंच वर्षीय योजना बनाई गई थी तो इस प्रकार की बातों पर ध्यान दिया गया था । योजना आयोग ने सब से पहले संविधान में निर्दिष्ट मूलअधिकारों तथा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को लिया था किन्तु इन का ध्यान रखने के साथ साथ संसाधनों और तात्कालिक संभावनाओं का भी ध्यान रखा गया था । इन दोनों दृष्टिकोणों का सम्मिश्रण अपेक्षित था । मैं आयोग के निर्देश पदों का उल्लेख करता हूं ।

> "विकास की प्राथमिकताओं का निर्धारण और देश के संसाधनों के अत्यन्त प्रभावपूर्ण और संतुलित उपयोग के लिये योजना बनाना ।"

मैं यह समझने का साहस करता हूं कि यह माना जा चुका है कि योजना पर्याप्त रूप से एक अच्छा प्रयास है, जिस से कि उपलब्ध संसाधनों के अनुसार नीति के विभिन्न उद्देश्यों में समन्वय किया गया है । योजना के आरम्भ से ही आर्थिक नीति की योजना को क्रियान्वित करने के लिये ही सम्बद्ध किया गया है, और योजना की शेष अवधि तक यह इसी प्रकार रहनी चाहिये, और इसी प्रकार भविष्य की योजनाओं में भी होगा ।

किन्तु यह बात ध्यान रखने योग्य है कि वर्तमान योजना अधिक व्यापक और सर्वाङ्गीण योजना बनाने के लिये पहला पग है ताकि हम अब जिस आर्थिक नीति का अनुसरण कर रहे हैं, वह अग्रगामी और परिवर्तनशील हो ।

मैं योजना की प्रगति के विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि उस पर अलग दूसरे वाद-विवाद में चर्चा की जायेगी, किन्तु मैं कुछ सामान्य बातें कहना चाहूंगा ।

जब सर्वप्रथम योजना का निर्माण किया गया था उस समय की आर्थिक स्थिति का स्मरण सभा को होगा । इस अर्थ-व्यवस्था में जो सुधार हुआ है उस से सम्भवतः हम यह भूल जायें कि इस योजना को प्रारम्भ करते समय हमारे सम्मुख कैसी कैसी मजबूरियां थीं । यदि योजना के किन्हीं पहलुओं अथवा उस की आर्थिक नीति या की गई उन्नति के सम्बन्ध में हमें धैर्य नहीं है तो वह इस आत्मविश्वास का सूचक है कि देश और भी शीघ्रता से आगे बढ़ सकता है और मुझे इस बात का निश्चय है कि सभा को यह बात सुन कर हर्ष होगा । हमारे सम्मुख तात्कालिक समस्या यही है कि इस के विकास में किस प्रकार शीघ्रता लायी जाये और जो कुछ हम ने प्राप्त किया है वह प्रारम्भ की कठिनाइयों को देखते हुए बहुत काफी है । प्रगति के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि जनता द्वारा जो धन खर्च किया गया है वह आशा से कम है । पांच वर्षों में जितने व्यय का अनुमान लगाया गया था प्रथम तीन वर्षों में उस का लगभग ४० प्रतिशत हुआ । योजना के प्रारम्भ में कम व्यय के कई कारण थे और बहुत कुछ ऐसे थे जिन्हें दूर भी नहीं किया जा सकता था क्योंकि हमारी प्रशासकीय व्यवस्था आदि का विशद विकास होना था । सामान्य प्रशासन से लोकहितकारी राज्य के योग्य व्यवस्था करना एक कठिन कार्य था और इस से पूर्व योजना जैसी विशद कोई चीज़ नहीं बनी थी । बड़ी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में समय लगता है और उस समय देश में मुद्रास्फीति होने के कारण हमें बड़ी सावधानी से काम लेना पड़ा, किन्तु आज स्थिति में पूर्णतया परिवर्तन हो चुका है । अब और शीघ्रता से आगे बढ़ने की आवश्यकता हम न केवल अपने लक्ष्य के यथाशीघ्र निकट पहुंचने के लिये समझते हैं, वरन् आगामी पांच वर्षों में हम ने और शीघ्र विकास कार्य करना है । यह कहना कि जितने अधिक व्यय का अनुमान हम ने इस वर्ष लगाया है उतना व्यय होगा, समय से बहुत पूर्व होगा । इस बात के लिये पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि वे सभी योजनायें जो चलाई जाने के योग्य हैं और उचित रूप से जिन को कार्यान्वित किया जा चुका है, वित्त की कमी अथवा प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्बों के कारण पीछे न रह जायें । योजना में जहां तक सहायता का उल्लेख किया गया है, केन्द्र द्वारा राज्यों के लिये मंजूरी दी जा रही है और वास्तव में देखा जाय तो योजना आयोग ने राज्यों की केन्द्र से सहायता प्राप्त उन योजनाओं को स्वीकार कर लिया है जिन में से कुछ का मुख्य उद्देश्य बेकारी की समस्या को हल करने में सहायता देना है । वास्तव में इस स्थिति तथा द्रव्यपूर्ति व मूल्य, उत्पादन एवं भुगतान सन्तुलन के वर्तमान आंकड़ों को देखते हुए मैं सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का स्वागत करता हूं ।

अब मैं योजना के उस पहलू को लेता हूं जो पहले योजना में समाविष्ट नहीं किया गया था अर्थात, गैर-सरकारी क्षेत्र पिछले तीन वर्षों में इस में भी समुचित उन्नति हुई है और गृह-निर्माण, विदेशों से मशीनों

[श्री सी० डी० देशमुख]

तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात, पूंजीगत वस्तुओं की देश में उत्पादन वृद्धि, कच्चे माल की निकासी और बैंक ऋण की मात्रा को देखने से हमें ज्ञात होता है कि गैर-सरकारी लोगों द्वारा भी काफी धन का विनियोग सार्वजनिक कार्यों में किया गया है और सम्भवतः इस से भी अधिक किया जा सकता था । इससे एक ऐसा प्रश्न हमारे सामने आ जाता है जो कि कुछ समय से जनता की चर्चा का विषय रहा है और वह है हमारी अर्थव्यवस्था में गैर-सरकारी क्षेत्र का स्थान । मैं पहले ही बता चुका हूं कि आर्थिक समस्याओं को हल करने का हमारा ढंग सैद्धान्तिक न हो कर व्यावहारिक है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १९४८ का औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प इस ढंग का एक उदाहरण है यद्यपि संविधान के बनने और पंचवर्षीय योजना का विचार करने से पूर्व ही इस को निर्धारित किया गया था । उक्त संकल्प में सरकार की नीति निम्न स्पष्ट शब्दों में दी हुई है :

> "राष्ट्र ने अब ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का निश्चय किया है जिस में सभी व्यक्तियों को न्याय तथा समान अवसर प्राप्त हो सकेंगे । इस का तात्कालिक उद्देश्य देश के बढ़ते हुए उत्पादन के अज्ञात संसाधनों का उपयोग और जाति की सेवाओं में सभी को कार्य देने का अवसर प्रदान करने के द्वारा लोगों के रहन-सहन के स्तर को शीघ्र ही ऊंचा उठाना है । "

संकल्प में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि "विद्यमान सम्पत्ति के केवल पुनर्वितरण से ही समस्या हल नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा करने से तो केवल दरिद्रता का ही वितरण होगा । अतः एक ऐसी परिवर्तनशील राष्ट्रीय नीति निर्धारित की जानी चाहिये जिस से यथासम्भव सभी उपायों द्वारा उत्पादन में वृद्धि हो और साथ ही उस का समान वितरण करने की व्यवस्था हो ।" संकल्प में यह भी कहा गया है कि शस्त्रों और गोले-बारूद का निर्माण, अणु-शक्ति का उत्पादन और नियंत्रण तथा रेल यातायात का स्वामित्व एवं प्रबन्ध पूर्ण-रूपेण केन्द्रीय सरकार के हाथों में ही रहेगा । इस प्रकार के उद्योग जैसे कोयला, लोहा तथा इस्पात, वायुयानों का निर्माण, पोत-निर्माण, टेलीफोन-तार, बेतार के तार यंत्रों के निर्माण और खनिज तेलों के निकालने के लिये नये उद्योगों की स्थापना का दायित्व पूर्णरूपेण राज्य सरकार पर होगा । किन्तु केवल उस दशा में इस में परिवर्तन हो सकता है जब राज्य सरकार यह समझे कि सार्व-जनिक हित की दृष्टि से गैर-सरकारी लोगों का अंश भी इस में होना चाहिये । गैर-सरकारी लोगों का इस में भाग लेना आवश्यक समझा जाने पर इस प्रकार के सम्मिलित उद्योग उस नियंत्रण तथा विनियमन के अधीन कार्य करेंगे, जो केन्द्रीय सरकार निर्धारित करेगी । शेष औद्योगिक क्षेत्र गैर-सरकारी उद्योग के लिये रहेगा, किन्तु संकल्प में इस बात की व्यवस्था है कि राज्य को इस में क्रमशः सम्मिलित होने का अधिकार होगा ।

योजना आयोग ने अपने प्रतिवेदन में संकल्प में बताये गये ढंग का समर्थन किया है । सरकार उस नीति पर दृढ़ है और तब से कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिस से इस में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती, यद्यपि सम्भव है समय समय पर भिन्न भिन्न विषयों पर जोर दिया जाता रहा हो ।

आज हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के विषय में बहुत कुछ सुनते हैं। कम से कम मुझे यह वाक्य खण्ड अच्छा नहीं लगता जो कि अर्थव्यवस्था की किसी विशेष या स्थिर स्थिति का द्योतक है। सभी अर्थव्यवस्थायें, यहां तक कि अत्यधिक समाजवादी अर्थव्यवस्थायें भी कुछ हद तक मिश्रित हैं और इसी प्रकार की वे अर्थव्यवस्थायें भी हैं जो मुख्यतः गैर-सरकारी उद्योग पर निर्भर करती हैं। यहां तक कि उन्नत देशों को भी किन्हीं परिस्थितियोंवश गैर-सरकारी उद्योगों की कमियों को दूर करने के लिये राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ता है और यह ठीक है और एक लोक कल्याण तथा जनता के प्रति उत्तरदायी प्रजातन्त्र राज्य का कर्त्तव्य भी है। संसार के सभी देशों ने अपनी नीति का उद्देश्य सब को रोजगार दिलाना माना है और सरकारों से आशा यह की जाती है कि वे ऐसी नीति का पालन करें जिस से समय समय पर आने वाले आर्थिक संकटों को रोका जा सके। ऐसा करने के लिये सरकारों को ऐसी शक्ति प्राप्त होनी चाहिये जिस से वे आर्थिक क्रिया-कलापों के स्तर पर नियंत्रण रख सकें। जिन अर्द्ध-विकसित अर्थव्यवस्थाओं में समुदाय के हाथ में वित्तीय तथा प्रबन्ध सम्बन्धी शक्ति सीमित होती है, वहां राज्य सरकार पर निश्चय ही दायित्व अधिक रहता है।

विकास के लिये योजना बनाने में निश्चित सामाजिक आर्थिक ढांचे में योजना बनाने के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ आ जाता है। इस में वे परिवर्तन भी आ जाते हैं जो ढांचे में जानबूझ कर किये गये हों। इस समस्या पर प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाते समय विचार किया गया था। अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में अधिक पूंजीनिर्माण का कार्य ढांचे में आवश्यक परिवर्तन किये बिना नहीं हो सकता। जिन अन्य देशों में शीघ्रतर विकास हुआ है वहां के अनुभव से यह ज्ञात होता है कि यदि राष्ट्रीय उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि को तेजी से कमाना है तो करारोपण और ऋण लेने के अतिरिक्त कुछ युद्धसामग्रियों के क्षेत्र पर भी सरकार का स्वामित्व तथा नियन्त्रण होना आवश्यक है। लोकतन्त्रात्मक देश में अत्यधिक केन्द्रीयकरण को हटा कर सहकारिता के आधार पर विकास करना आवश्यक हो जाता है। यही कारण है कि कृषि के विस्तृत क्षेत्र, व्यापार तथा छोटे पैमाने के उद्योग में सहकारिता के आधार पर संगठन करने के लिये सब से अधिक जोर देना पड़ा है। यहां तक कि सरकारी क्षेत्र का दायित्व भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि योजना आयोग ने इस विषय में यह कहा है :

> "यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था हम करना चाहते हैं उस में सरकार का प्रमुख स्थान रहेगा, चाहे वह पूंजी निर्माण की समस्या के सम्बन्ध में हो अथवा नये ढंग को लाने के सम्बन्ध में हो अथवा समाज सेवा में विस्तार करने अथवा उत्पादन की शक्ति और समाज के विभिन्न वर्गों के सम्बन्धों में सामञ्जस्य स्थापित करने के लिये हो। निष्कर्ष यह निकलता है कि लोगों की यथोचित आशाओं की संतुष्टि राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक दायित्वों के शीघ्रतर विकास के द्वारा ही हो सकती है।"

दूसरे शब्दों में मिश्रित अर्थव्यवस्था वह नहीं कहलाती जिस में मिश्रण के तुलनात्मक अनुपात अपरिवर्तित रहें। उन में परिवर्तन होना ही चाहिये। उन का परिवर्तन किस मात्रा में हो अथवा सरकार किस अंश

[श्री सी० डी० देशमुख]

में दायित्व ल यह एक ऐसा विषय है जिस का निर्णय मामले के तथ्यों पर ध्यान-पूर्वक विचार कर के तथा विकास के लिये किसी योजना की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिये, किसी विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में अवसर भी उसी प्रकार से बढ़ने चाहियें। यह समझना ठीक नहीं कि एक क्षेत्र का विकास होने से निश्चय ही दूसरे की हानि होगी और उसे अवसर नहीं मिलेगा। मेरे विचार से सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बीच कोई मूल-भूत वैषम्य नहीं है। इस सम्बन्ध में हम बहुधा आलोचना के दो आपसी विरोधात्मक भाव पाते हैं। एक यह कि गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये समुचित क्षेत्र अथवा साधन नहीं रह गये हैं और दूसरा यह कि गैर-सरकारी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र की तुलना में अधिक तेजी से उन्नति कर रहा है तथा दूसरे को सुदृढ़ बनाने एवं उस का विस्तार करने के लिये समुचित उपाय नहीं किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार हैं।

योजना में, लगभग, २,०६९ करोड़ रुपये की पूंजी विकास पर लगाने का विचार किया गया था, उस में सरकारी क्षेत्र के लिये १,७०० से १,८०० करोड़ रुपये रखे गये थे। गैर-सरकारी क्षेत्र के विनियोग का अनुमान लगभग १,८०० करोड़ रुपया लगाया गया था। अतः अर्थव्यवस्था में कुल विनियोग का अनुमान ३,५०० और ३,६०० करोड़ रुपये के बीच लगाया गया था। इस प्रकार ५० प्रतिशत के अनुपात से गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र में अधिक शीघ्र उन्नति होती है। सरकारी क्षेत्र में विनियोग के अन्तर्गत कुछ समाज हित के कार्य जैसे सिंचाई, विद्युत् तथा रेलवे का पुनःसंस्थापन तथा कुछ आधारभूत उद्योग जैसे उर्वरक, लोहा और इस्पात, इंजन व रेलवे के डिब्बे आदि आते हैं। दूसरे शब्दों में आर्थिक तथा सामाजिक महत्त्व की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र का विनियोग वास्तव में सामरिक महत्व रखता है। यह समझ नहीं आता कि यह कैसे कहा जा रहा है कि सरकारी क्षेत्र की तुलना में गैर-सरकारी क्षेत्र का प्रभाव उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है। यह बात कहनी चाहिये कि गैर-सरकारी क्षेत्र का आर्थिक क्षेत्र बहुत बड़ा और विविध प्रकार का हैं, जिन में कृषि, बड़े और छोटे उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, गृह-निर्माण आदि कार्य सम्मिलित हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये यह कहना गलत होगा कि वह केवल कुछ बड़े बड़े औद्योगिक, वाणिज्यिक और वित्तीय उपक्रमों का ही प्रतिनिधित्व करता है। योजना में १,८०० करोड़ रुपये का जो प्राक्कलित विनियोग रखा गया था वह इन्हीं क्षेत्रों के सम्बन्ध में था। औद्योगिक विस्तार करने के लिये २३३ करोड़ पये का अनुमान लगाया गया था। इस में लोहे और इस्पात के लिये ४३ करोड़ रुपया और पैट्रोल शोधक कारखानों के लिये ६० करोड़ रुपाया रखा गया था। इन दोनों में सरकारी क्षेत्र का भी हाथ है। इन दोनों में विस्तार का ढंग और जिन शर्तों पर यहां किया जायगा उन का निश्चय निर्धारित नीति के अनुसार होगा। पुराने उद्योगों को बदलने और उन के आधुनिकीकरण के लिये १५० करोड़ रुपये की और व्यवस्था की गई है। इस प्रकार सुसंगठित उद्योगों में कुल ३८३ करोड़ पये का विनियोग है। गैर-सरकारी क्षेत्र के इस शेष भाग में विनियोग के ठप्प होने के आंकड़े आसानी से नहीं दिये जा सकते क्योंकि हमारे पास तत्सम्बन्धी आंकड़े नहीं हैं। परन्तु चूंकि गृह-आदि के निर्माण तथा व्यापार में १९५०-५१ में लगाई जाने वाली पूंजी का प्राक्कलन लगभग १०० करोड़ रुपया था इसलिये यह अनुमान किया

गया कि इस पांच वर्ष की अवधि में केवल इस मद से ६०० करोड़ की राशि पूरी हो जायगी । इस प्रकार ८०० करोड़ रुपये का गैर-सरकारी विनियोग कृषि, छोटे छोटे उद्योगों, निजी व्यापार तथा यातायात के लिये रखा गया; और मैं समझता हूं कि उस के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति नहीं होगी ।

जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्रों के कार्यों का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि उस के बारे में तथ्य भी हमारे पास हैं । सौभाग्य की बात है कि मैं यह कह सकता हूं कि कुल क्षेत्र में जिस का विश्लेषण मैं ने अभी किया है उस के गैर-सरकारी क्षेत्र में विनियोग किस प्रकार बढ़ गया है । यह कहना ठीक नहीं है कि गैर-सरकारी क्षेत्र, जिस का प्रतिनिधित्व सुसंगठित उद्योग करते हैं, अपना कर्तव्य पूरा करने में असफल रहा है । इस बारे में योजना के प्रगति प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति का वर्णन किया गया है । योजना के प्रथम दो वर्षों में गैर-सरकारी औद्योगिक क्षेत्र के विकास में ५३ करोड़ रुपये तथा तृतीय वर्ष में ४५ करोड़ पय के विनियोग का अनुमान है । और चालू वर्ष में इस राशि के ६३ कराड़ पय तक पहुंचने की आशा है । इस प्रकार हम देखते हैं कि विनियोग बढ़ रहा है और अगर पंचम वर्ष में यह विनियोग ७५ करोड़ अथवा उस के आस-पास तक पहुंच गया तो योजना का यह लक्ष्य कि विकास कार्य पर ३३३ करोड़ रुपये व्यय होगा, पूरा हो जायगा ।

मैं ने पहले भी कहा था कि हम ने जो प्रगति की है वह ऐसी नहीं है कि हम संतोष कर के बैठ जायें । हम ने जो कुछ प्रगति की है उस के बावजूद बेकारी की समस्या अभी बाकी है । जैसा कि आप सभी जानते हैं, योजना आयोग ने योजना के क्षेत्र में विस्तार कर दिया है किन्तु विनियोग में काफी वृद्धि किये बिना बेकारी की समस्या को सफलता के साथ नहीं हल किया जा सकता । आगे से हमारी आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिये कि निश्चित अवधि अर्थात् अब से १० वर्ष की अवधि में ऐसी स्थिति हो जाये कि सभी लोगों को काम मिलने लगे । यह किसी भी प्रकार से ऐसी महत्त्वाकांक्षा नहीं है जो कि पूरी न हो सके । मेरे विचार से तो यह ऐसी महत्त्वकांक्षा है जिस के लिये कम से कम हमें प्रयत्न करना चाहिये । और इस को प्राप्त करने के लिये दोनों ही—सार्वजनिक और गैर-सरकारी—क्षेत्रों में विकास करने की काफी गुजाइंश है । इस का तात्पर्य यह है कि सर्वप्रथम, यदि अधिक नहीं तो कम-से-कम, प्रतिवर्ष २० लाख नयी नौकरियों का हमें प्रबन्ध करना चाहिये ताकि काम करने वाले श्रमिक वर्ग में प्रतिवर्ष जो १८ लाख व्यक्तियों की वृद्धि होती है उन को काम देने की व्यबस्था की जा सके । दूसरे इस का अभिप्राय यह है कि आज कल जो बेरोज़गारी तथा कम रोजगारी है उस पर भी कुछ न कुछ इस का प्रभाव अवश्य पड़े । प्रकटतः इन नौकरियों का प्रबन्ध गैर-कृषि वाले क्षेत्रों में करना चाहिये । योजना आयोग के इशारे पर बेरोजगारी के मामले में जो विभिन्न सर्वेक्षण किये गये हैं उन के बारे में सभा अच्छी तरह जानती है । उन का परिणाम यथासमय मिलेगा, किन्तु जो दो या तीन परिणाम हमें मिले हैं उन से यह प्रकट होता है कि वास्तव में हमारे कुछ शहरी क्षेत्रों में नौकरी करने योग्य जनसंख्या में से ८ या १० प्रतिशत व्यक्तियों को उत्पादन सम्बन्धी रोजगारी की आवश्यकता है । इन आंकडों के आधार पर कोई अनुमान नहीं लगा सकता और यह बताना कठिन है कि कृषि करने वाली जनता के कितने व्यक्ति अन्य प्रकार के रोजगार करने के लिये वास्तव में मिल सकते हैं ।

(श्री सी० डी० देशमुख)

किन्तु सरकारी तौर पर मेरा विचार है कि लगभग १५ करोड़ कुल कामकरों में से डेढ़ करोड़ व्यक्ति इस नये प्रकार के कार्य करने के लिये मिल सकेंगे। अर्थात् कहने का तात्पर्य यह है कि जन संख्या की समान्य वृद्धि के साथ साथ नौकरी देने योग्य व्यक्तियों की संख्या में जो लगभग ९० लाख व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने की हम आशा कर रहे हैं उस में १ १/२ करोड़ व्यक्ति और बढ़ जायेंगे जिन के लिये कि हमें नई नौकरियों का प्रबन्ध करना होगा। अर्थात् यदि हमारा उद्देश्य सभी व्यक्तियों को नौकरी दिलाना है तो हमें लगभग २ करोड़ ४० लाख नई नौकरियों की व्यवस्था करनी होगी। मान लीजिये कि हम अपना यह लक्ष्य बनायें कि हमें द्वितीय पंच वर्षीय योजना की समाप्ति तक, सारे कार्यक्रम को १० वर्ष में पूरा कर के, १ करोड़ २० लाख व्यक्तियों को नया काम देना है तो इस कार्य के लिये काफी धन की आवश्यकता होगी। इस के बारे में मैं आप को कुछ बताऊंगा। जो आंकड़े उपलब्ध हैं उस के आधार पर गैर-कृषि वाले क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति की औसतन आय प्रतिवर्ष १००० रुपये है। इसलिये यह स्पष्ट है कि जिन नई नौकरियों की हम व्यवस्था करेंगे उन की औसतन आय कम-से कम इतनी तो होनी ही चाहिये। इस आधार पर २ करोड़ ४० लाख व्यक्तियों को प्रति वर्ष कार्य देने के लिये हमारी राष्ट्रीय आय में कम-से-कम २४० करोड़ रुपये की प्रतिवर्ष वृद्धि होनी चाहिये, और लागत तथा उत्पादन के इस अनुपात २ १/२ तथा १—अर्थात् आप पूंजी तो लगाते हैं २ १/२ और उत्पादन के द्वारा आप को मिलता है १—के लिये आप को ६०० करोड़ रुपये चाहियें। गैर-कृषि वाले क्षेत्र में इस वृद्धि को बनाये रखने के लिये कृषि में भी काफी पूंजी लगाने की आवश्यकता होगी। मोटे और सरसरी तौर पर उस पूंजी का अनुमान लगभग ४५० करोड़ रुपये है। आगामी ५ वर्षों में अगर हमें १ करोड़ २० लाख नये कामों की व्यवस्था करनी है तो इस में प्रतिवर्ष लगभग दस अरब रुपये खर्च होने का अनुमान है। दूसरे शब्दों में इस का अर्थ यह होगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ५० अरब अथवा ५० अरब और ६० अरब रुपये के बीच व्यय होगा जब कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों तरह के उद्योगों की उन्नति के निर्माण कार्यों में पैंतीस अरब रुपये के व्यय होने का अनुमान है। ये आंकड़े तो उस स्थिति को बताते हैं जब कि लागत पूंजी और उत्पादन का अनुपात २ १/२ और १ है—और विनियोग तथा रोजगारी का सम्बन्ध प्रत्येक उद्योग में परिवर्तित होता रहता है तथा टेकनीक में होने वाले परिवर्तनों का इस पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक व्यवस्था की इस वृद्धि के बारे में भारतीय सांख्यकीय संस्था में अभी हाल में बहुत सी खोज की गई है। किन्तु यह सोचना अच्छा है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ५० अरब से ६० अरब तक रुपये लगेंगे—अथवा राष्ट्रीय आय का १० प्रतिशत जो लगभग १० अरब होता है प्रति वर्ष व्यय होगा।

मैं इस बात पर जोर देता हूं कि गैर-कृषि वाले क्षेत्रों में नया काम देने की व्यवस्था में वृद्धि करने की आवश्यकता है। कृषि वाले क्षेत्रों में, हालांकि सभी व्यक्तियों को तो नहीं, किन्तु ७० प्रतिशत व्यक्तियों को काम मिल जाता है। छोटे छोटे उपक्रम भी, हालांकि काफी काम तो नहीं और ८ प्रतिशत व्यक्तियों के लिये काम की व्यवस्था कर देते हैं।

इसलिये यह स्पष्ट है कि अधिक व्यक्तियों को कृषि में खपाना सम्भव नहीं है। छोटे छोटे उपक्रमों में भी काफी मात्रा में आंशिक

यानी कम बेरोज़गारी है और ये अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिये बहुत कुछ अनिश्चित सा संघर्ष कर रहे हैं। उस क्षेत्र में बहुत अधिक व्यक्तियों को खपाने की आशा करने से पूर्व हमें यह ध्यान रखना भी आवश्यक होगा कि कहीं दूसरे क्षेत्र को हानि तो नहीं पहुंचती। इन क्षेत्रों को राजकोष तथा अन्य उपबन्धों के आधार पर आर्थिक सहायता देने एवं उन को शक्तिशाली बनाने के लिये जो प्रयत्न किये गये हैं उन के बारे में सभा अच्छी तरह जानती है। उस के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े ज्ञापन में दिये गये हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि रोजगार की जो अतिरिक्त सुविधायें हमें देना है उन का महत्त्व हम तभी समझ सकते हैं जब कि हम यह बात ध्यान में रखें कि छोटे छोटे उपक्रमों के अतिरिक्त गैर-कृषि वाला क्षेत्र वर्तमान काल में काम करने वाले व्यक्तियों में से लगभग केवल ३ करोड़ व्यक्तियों को काम देता है। इस क्षेत्र में १ करोड़ २० लाख नयी नौकरियां निकालने के लिये गौण क्षेत्रों का उत्पादन कम-से-कम ४० प्रतिशत बढ़ाने की आवश्यकता है, यदि हम यह भी मान लें कि प्रति व्यक्ति उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होगी, तो इस से समस्या की जटिलता प्रकट होती है।

अब मैं कुछ शब्द उस उद्योग के नमूने के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जो इतना अधिक अतिरिक्त रोजगार का प्रबन्ध कर सकता है जब कि बड़े बड़े उद्योगों का विकास हमारे राष्ट्रीय हित के लिये जारी रहना आवश्यक है। उसी समय हमें इतनी अधिक संख्या में व्यक्तियों को रोजगार देना है कि उसके लिये छोटे छोटे ग्रामीण उद्योगों का विकास करना बहुत आवश्यक है जिस से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उत्पन्न होंगे तथा जनता के संसाधनों के सुधार के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे। सरकार ने कुटीर तथा छोटे छोटे उद्योगों तथा दस्तकारियों के विकास की आवश्यकता को सदा ही अपने ध्यान में रखा है तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा हाल में किये गये उपायों का एक संक्षिप्त विवरण इस ज्ञापन में मिलेगा।

इस के अतिरिक्त ग्रामीण विद्युतीकरण की आवश्यकता पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिये।

ग्रामीण उद्योगों तथा दस्तकारी से ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि होगी परन्तु कृषि के सुधार के लिये यह आवश्यक है कि बैंक की व्यवस्था तथा सहकरी आन्दोलन के घनीभूत विकास द्वारा इन क्षेत्रों में ऋण प्राप्त करने की अधिक से अधिक सुविधायें उपलब्ध की जायें।

अब मैं कुछ शब्द विदेशी विनियोग के सम्बन्ध में कहूंगा। १९४८ में अनुमान किया जाता था कि कारखानों, व्यापार लोकोपयोगी उपक्रमों, यातायात, खनिज उद्योग तथा इसी प्रकार के विविध शीर्षों के अन्तर्गत भारत में विदेशी पूंजी का विनियोग लगभग ३२० करोड़ रुपये था। इस के विपरीत १९४८ तथा १९५३ के बीच में लगभग १०० करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी का प्रत्यागमन किया गया है। अन्तिम स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि रिज़र्व बैंक ने विदेशी आस्तियों तथा दायित्वों का जो पुनर्सर्वेक्षण किया है उस के परिणाम प्रकाशित होने वाले हैं। लाभ, ब्याज तथा लाभांशों के रूप में गत ५ वर्षों में लगभग ३० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बाहर भेजा गया है। परन्तु भारतीय आर्थिक ढांचे की दृढ़ता ने विदेशियों के उत्साह को बढ़ाया है जिस से कि वे अपने लाभ का बहुत बड़ा अंश भारत में विनियोग करने के लिये प्रस्तुत करने वाले हैं। कभी कभी यह सुझाव दिया जाता है कि हम ऐसा विधान

[श्री० सी० डी० देशमुख]

बना दें कि लाभ का एक निश्चित अंश विदेशियों को भारत में अनिवार्य रूप से लगाना पड़े, इस का प्रभाव घातक होगा और साथ ही यह हमारी घोषित नीति के विरुद्ध है। एक और सुझाव के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है कि विदेशी समवायों का सम्पूर्ण लाभ रोक लिया जाये। इस सम्बन्ध में हमारी घोषित नीति का आधार यह है कि भारत में विदेशी पूंजी के विनियोग की बहुत आवश्यकता है। एक बार स्तर को स्वीकार करने के बाद हम विदेशी समवायों पर भारत में अर्जित किये लाभ को बाहर भेजने के सम्बन्ध में कोई रोक नहीं लगा सकते। विदेशी विनिमय की दृष्टि से भी विदेशी विनियोग से भारत को लाभ होता है। योजना में भी हम ने इसे आधारभूत सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है और मैं अब भी समझता हूं कि यह बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण विनिश्चय था। आगामी वर्षों में भी हमारी विनियोग की आवश्यकता इतनी अधिक होगी कि सरकारी क्षेत्र को मिलने वाले ऋणों तथा अनुदानों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के विनियोग दोनों के द्वारा भारत में विदेशी सहायता की अधिक से अधिक आवश्यकता होगी। योजना काल के प्रथम तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र को २३४ करोड़ रुपये की सहायता मिली थी जिस में से १३२ करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। यह अमरीकी सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, कोलम्बू-योजना के देश, नार्वे की सरकार तथा फोर्ड प्रतिष्ठान ने दिया था। गैर-सरकारी क्षेत्र में भी बाह्य धन मिल रहा है, जैसे तेल शोंधक कारखानों में। विगत पांच या छः वर्षों में विदेशों से वास्तव में कितना गैर-सरकारी धन देश में आया है, ठीक विदित नहीं है। इस में सन्देह नहीं कि तुरन्त युद्धोत्तर वर्षों में, लगे हुए धन में से पर्याप्त अंश तो निकाला गया है। मैं इस के आंकड़े बता चुका हूं। रिजर्व बैंक का पर्यवेक्षण, जिस का मैं ने उल्लेख किया है, १९४८ में किये गये प्रथम पर्यवेक्षण के पश्चात् की घटनाओं के अनुसार परिस्थिति को शीघ्र ही आद्यतन बनायेगा। मैं पिछले दिनों, अमरीका, कनाडा तथा यूरोप गया था और मैं सकारण यह आशा कर सकता हूं कि आगामी वर्षों में हमें कम-से-कम इतनी बाह्य सहायता मिलती रहेगी जितनी कि अब तक मिलती रही है। यह निश्चय है कि द्वितीय योजना के लिये हम अपने संसाधनों में अधिक से अधिक वृद्धि करेंगे। परन्तु अपनी अधिक तथा बढ़ती हुई आवश्यकताओं के विचार से यह प्रत्यक्ष है कि कोई भी विदेशी सहायता हमारे द्वारा किये जाने वाले प्रयासों की बहुत हद तक अनुपूरक होगी।

मैं ने पहिले गांवों में बैंक सुविधायें उपबन्ध कराने के बारे में कहा था। इस विषय पर सरकार ग्रामीण बैंक-व्यापार जांच समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के पश्चात् से विचार करती रही है। अगस्त १९५१ में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने, सरकार की अनुमति से, एक अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी। मैं समझता हूं कि यह सर्वेक्षण इसी प्रकार कहीं भी किये गये अत्यधिक व्यापक सर्वेक्षणों में से एक है और तथाकथित अल्प-विकसित देशों में किसी भी प्रकार इस का पूर्वोदाहरण नहीं मिलता है। सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप अब तक अप्राप्त सामग्री की बहुत बड़ी मात्रा हाथ में आ गई है। इस सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् समिति ने रिजर्व बैंक को एक प्रतिवेदन दिया है। वह उसे मुक्त कर रहे हैं और सिफारिशों का सार कल प्रेस में प्रकाशित होगा।

समिति की एक बड़ी सिफारिश, जो उस समन्वयकृत उपचार का एक अंग है जो समिति ने ग्रामीण ऋण समस्या का बनाया है, यह है कि सरकार एक ऐसी वाणिज्यिक बैंक-व्यापार संथा स्थापित करें जिस की शाखायें देश भर में हों। रिजर्व बैंक का गवर्नर इस विषय पर समिति से सहमत है कि सहकारी तथा ग्रामीण बैंक व्यापार की प्रगति के लिये एक ऐसी सरकारी बैंक-व्यापार संथा की स्थापना करना उचित है। इस की स्थापना का औचित्य अवशेष सरकारी धनागारों को बैंकों में परिवर्तित करने और सहकारी ऋण संथाओं तथा अन्य प्रकार की सहकारी कार्यवाहियों के सहायक के रूप में कार्य करने की दृष्टि से भी है। अतः सरकार ने इस सिफारिश पर गम्भीरतापूर्ण विचार किया है और इसे सिद्धांत रूप में स्वीकार करना निश्चित कर लिया है। इस की विस्तृत बातों पर बाद में विचार किया जायेगा। ग्रामीण बैंक-व्यापार के विकास से गांवों में कृषि तथा छोटे छोटे उद्योगों के लिये पर्याप्त ऋण में वृद्धि होगी और विकास के प्राप्त साधनों को बढ़ाने के लिये ग्रामीण बचत की प्राप्ति सुविधाजनक हो जायेगी। सिफारिश यह है कि भारत का एक सरकारी बैंक खोला जाय। समिति का सुझाव है कि इस बैंक में इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया और कुछ अन्य बैंक, जो विभिन्न रूपों में भिन्न भिन्न सरकारों से सम्बद्ध हैं, विलय हो कर मिल जायें। समिति का मत है कि सम्पूर्ण देश के लिये एक सुदृढ़ तथा सूत्रबद्ध वाणिज्यिक बैंक-व्यापार संथा बनाई जाय जिस की शाखायें प्रत्येक राज्य में हों। यह उसी सिफारिश का एक अंग है कि संथा की अंश पूंजी में भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया दोनों का मिल कर अधिक भाग हो। प्रस्ताव का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि देश भर में फैली हुई शाखाओं की प्रणाली व्यवस्था की जाय ताकि प्रेषण सुविधाओं के साथ ग्रामीण बैंक-व्यापार सुविधायें, विशिष्ट रूप में अल्पविकसित क्षेत्रों के लिये, पर्याप्त रूप से बढ़ाई जा सकें। इस के अतिरिक्त इस प्रक्रिया में वाणिज्यिक, और विशेषकर सहकारी, बैंक-व्यापार सारे देश में अधिक शीघ्रता और विस्तृत रूप में फैलाया जा सकें। प्रस्ताव के अधीन, अल्पविकसित क्षेत्रों में सरकारी बैंक की शाखाओं के विस्तार में सरकार से पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलेगी योजना की एक अनिवार्य विशेषतया यह है कि सरकारी बैंक के दिन प्रति दिन के कार्यों में सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिये और सुदृढ़ बैंक-व्यापार का प्रभाव गिरना नहीं चाहिये। इस के पूर्व कि भारत सरकार प्रस्ताव की कार्यान्विति का अन्तिम निश्चय करे, यह आवश्यक है कि रिजर्व बैंक का बोर्ड अन्य सम्बद्ध संथाओं के परामर्श से प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्ण विचार करे। यद्यपि भारत सरकार सिद्धांत रूप में इस मत से सहमत हैं कि अन्ततोगत्वा एक ऐसी सूत्रबद्ध वाणिज्यिक बैंक-व्यापार संस्था की स्थापना, जो देश भर में फैली हुई हो और जिस पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण हो, उचित हो सकती है, परन्तु फिर भी सुधार की इतनी महत्त्वपूर्ण विधि को कार्यान्वित करने, तथा उसके ढंग सम्बन्धी विस्तृत बातों पर स्पष्टतः बहुत ध्यान पूर्वक और गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। रिजर्व बैंक के बोर्ड का मत प्राप्त होने पर सरकार इस पर यथा समय ध्यानपूर्वक विचार करेगी। इस बीच में, इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया पर प्रभावशाली सरकारी नियंत्रण करने का प्रश्न, दीर्घकाल से सरकार के समक्ष रहा है। भारत सरकार का विचार है कि समन्वय के लिये प्रथम कार्यवाही में, समन्वय का रूप चाहे वह हो या न हो, जिस का समिति ने सुझाव दिया

[श्री सी० डी० देशमुख]

है, इम्पीरियल बैंक पर ऐसा नियंत्रण करना सम्मिलित होगा । यहां फिर, विस्तृत बातों पर गम्भीरतापूर्ण विचार करने की आवश्यकता है । परन्तु, महान् सिद्धान्त के रूप में, स्वयं सरकार ऐसे उपचार के पक्ष में है जिस में गैर-सरकारी अंश-धारी विद्यमान हों, परन्तु सरकार बड़ी भागीदार होगी ।

इस सम्बन्ध में किसी भी सामान्य भ्रम को दूर करने के लिये, भारत सरकार यह आश्वासन देना चाहती है कि उपरोक्त सिफारिशों पर किये गये निश्चय के परिणाम-स्वरूप यदि सरकार या रिजर्व बैंक के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि एक या अधिक सम्बद्ध बैंकों के विद्यमान अंशों का, सरकार से सम्बद्ध किसी भी बैंक-व्यापार संथा, जो बनाई जाये, के अंशों से विनिमय करने या विद्यमान संथाओं के अंशों में से किसी के क्रय करने का प्रबन्ध करना पड़े, तो इस प्रकार विनिमय या क्रय होने वाले अंशों का मूल्य स्थानापन्न करने या क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से, प्रतिवेदन के प्रकाशन के विशिष्ट पूर्वकाल में विद्यमान अंशों के बाज़ार-मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जायेगा । क्षतिपूर्ति को आंकने का यह ढंग उन बातों पर आधारित है जिनका उल्लेख १९४८ में श्री षडमुखम् चेट्टी के विवरण में दिया गया था जिसमें इम्पी-रियल बैंक आफ़ इंडिया के राष्ट्रीयकरण करने की सरकार की इच्छा की घोषणा की गई थी। सरकार की यह भी इच्छा है कि ऐसी क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जाय जो इस क्षतिपूर्ति के प्रथम १०,००० रुपयों तक नकद भुगतान की जाने वाली हो, और अवशेष बांडों में दिया जाय ।

भारत सरकार यह आश्वासन भी देना चाहती है कि यदि इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप या अन्यथा, सरकार किसी वाणिज्यिक बैंक-व्यापार संथा से सम्बद्ध होती है, तो यह सुनिश्चित करेगी कि वाणिज्यिक तथा अन्य रुचिधारियों को साधारण रूप में ऋण व बैंक-व्यापार की जो सुविधायें प्राप्त हैं वे बनी रहें । इसके अतिरिक्त, सरकार एक ओर बैंकों और दूसरी ओर ग्राहकों तथा निक्षेपकों के बीच साधारण गोपानीय सम्बन्ध के संरक्षण का भी सुनिश्चिय करेगी । मैं ने अभी जिस नीति की घोषणा की है वह उन आर्थिक समस्याओं के सम्बन्ध में जिन का मैं ने पहिले उल्लेख किया था, और वह हमारे क्रियात्मक प्रयत्नों का एक और उदाहरण है । यह राष्ट्रीयकरण के लिये कोई सैद्धांतिक उपाय नहीं है । इस का उद्देश्य केवल यह है कि बैंक व्यापार के व्यापक विकास तथा अर्थ-व्यवस्था के उन महत्त्व-पूर्ण क्षेत्रों को ऋण सुविधाओं के विस्तार के लिये, जिन्हें आजकल पर्याप्त सुविधायें प्राप्त नहीं हैं, वाणिज्यिक बैंक-व्यापार के एक भाग का नियंत्रण दे दिया जाय । शेष वाणिज्यिक बैंक-व्यापार आजकल की भान्ति गैर-सरकारी लोगों के हाथ में रहेगा । दे देश की वित्तीय व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण तत्व होंगे और उन का काम आर्थिक विकास में एक महत्त्वपूर्ण भाग लेना होगा । कुछ समय से यह स्पष्ट हो गया है कि देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिये और अर्थ-व्यवस्था के कुछ भागों की सेवा के लिये विद्यमान व्यवस्था अपर्याप्त है । कदाचित् सभा को स्मरण होगा कि योजना आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहीं इस विशेष मामले पर विचार किया है । उद्धरणों का उल्लेख करके मैं सभा का समय नहीं लूंगा ।

यद्यपि जहां तक विषमताओं की कमी का सम्बन्ध है, जो अधिकतर कराधान

का विषय है और इस पर विचार विमर्श के लिये आय-व्ययक सत्र उचित अवसर है, और इसलिये मैं इस के बारे में कुछ कहूंगा। समस्या भिन्न भिन्न विचारों का सन्तुलन करने की है, जैसा कि प्रायः आर्थिक नीति के मामलों में होता है। एक ओर, हमें जन-क्षेत्रों के लिये संसाधनों की आवश्यकता है। इस के साथ ही साथ, यह देखना आवश्यक है कि उद्दीपक आवश्यकता से अधिक सुस्त न हो जायें, क्योंकि, उन से, हम संसाधनों से अन्यथा अच्छाई की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचायेंगे। इस के अतिरिक्त, किसी भी रूप में, धनाडयों की संख्या थोड़ी है और उन का दमन करना समस्याओं का उचित उपचार नहीं होगा। इस से अर्थ-व्यवस्था में सुगमतापूर्वक कहीं अधिक गम्भीर उलटे परिणाम निकल सकते हैं। यह मामला कराधान जांच आयोग के विचाराधीन है जिस का प्रतिवेदन मेरे हाथ में है। मुझे आशा है कि मैं भविष्य में कभी इस के विषय को जनसाधारण की जानकारी में लाऊंगा।

मैं अपने वक्तव्य के लगभग अन्त पर आ गया हूं। आर्थिक समस्या क्रमबद्ध विकास की समस्या है। विगत तीन वर्षों का ध्यान करते हुए मैं यह विचार करता हूं कि समूचे रूप में हमारी आर्थिक नीति का आधार ठीक रहा है। नीति की विस्तृत बातों पर मतभेद होना अनिवार्य है। परन्तु मेरा ख्याल है कि हमारी प्राप्तियों की संख्या पर्याप्त है। फिर भी, अभी हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं। वास्तव में, प्रगति का कोई अन्त नहीं है क्योंकि हम देश के विकास के लिये जो भी कर सकते हैं उस की कोई सीमा नहीं है। हमें कई वर्षों तक ठोस कार्य करना है। हम ने अभी समस्या को छुआ ही है? भविष्य के हित के लिये वर्तमान में त्याग करना होगा। ये त्याग दो रूपों में किये जा सकते हैं। प्रथम, उपभोग में कमी कर के और द्वितीय अल्प काल में आय में वृद्धि किये बिना कठोर कार्य कर के। कोई भी अल्प-विकसित देश उपभोग के पहिले से ही विद्यमान न्यून-स्तरों में महत्त्वपूर्ण कमी नहीं कर सकता। अतः उसे श्रम के प्रत्यक्ष विनिमय तथा व्यवस्था में उपयोग किये गये अन्य संसाधनों पर ही निर्भर रहना चाहिये। उस आधार पर गांवों में नहरों, सड़कों, पुलों तथा अन्य कार्यों को किया जा सकता है। अन्य देशों में युवक संगठन तथा ऐच्छिक श्रम ब्रिगेड इस प्रकार का कार्य करते हैं। विकास की आरम्भिक अवस्थाओं में आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों से यह प्रयत्न बड़ा महत्त्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में, मितव्ययता, आत्म-संयम और कठिन परिश्रम बहुत आवश्यक हैं। जनतन्त्रात्मक योजना को फैलाने में भारत ने एक बहुत बड़ा काम किया है। अग्रेतर प्रगति के लिये बड़े पैमाने पर प्रयत्न और त्याग की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रयत्न करने के लिये पर्याप्त अवसर है। सिद्धांत और विचारधारा के आधार पर भेद-भाव की कोई गुंजाइश नहीं है। सेवा के लिये समर्पण और मातृभूमि का प्यार केवल यही हमारा सिद्धान्त और विचारधारा है।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाये"

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुप्पुर) ने मूल प्रस्ताव पर संशोधन संख्या १ प्रस्तुत किया।)

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर): मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित अंश रखा जाये :—

"This House having considered the economic situation

[श्री एन० एल० लिंगम]

in India and the policy of the Government in relation thereto, is of the opinion that

(i) the policy of Government is in harmony with the policy statement of the 6th April, 1948;

(ii) the objectives of our economic policy should be a socialistic pattern of society; and

(iii) towards this end the tempo of economic activity in general and industrial developments in particular should be stepped up to the maximum possible extent."

["भारत की आर्थिक स्थिति पर और उस के सम्बन्ध में सरकार की नीति पर विचार करने के बाद इस सभा की यह राय है कि :—

(१) सरकार की नीति ६ अप्रैल, १९४८ को दिये गये नीति सम्बन्धी वक्तव्य के अनुरूप है ;

(२) हमारी आर्थिक नीति का लक्ष्य यह होना चाहिये कि देश में समाजवादी व्यवस्था हो ; और

(३) इस की प्राप्ति के लिये सामान्य रूप से आर्थिक कार्यों की और विशेष रूप से औद्योगिक विकास की गति अधिकतम सीमा तक बढ़ा देनी चाहिये ।"]

(इस के पश्चात् श्री डाभी (कैरा उत्तर) ने मूल प्रस्ताव पर संशोधन संख्या ३ और सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) ने मूल प्रस्ताव पर संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत किये ।)

सभापती महोदय : ये संशोधन सभा के सम्मुख हैं । इन के सम्बन्ध में बहुत से सदस्य बोलने के लिये आतुर हैं । मैं नेताओं के लिये ३० मिनट और अन्य सदस्यों के लिये १५ मिनट का समय निश्चित करता हूं । मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे संक्षिप्त भाषण दें ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्वी) : यह एक अच्छी बात है कि हमें सरकार की औद्योगिक नीति, जिसे १९४८ में निश्चित किया गया था, पर विचार करने का अवसर मिला है । जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री ने बताया, योजना के सम्बन्ध में हमारा देश एक निश्चित अवस्था तक पहुंच चुका है; यदि ऐसा है, तो हमारे लिये यह परम् आवश्यक है कि हम इस मामले के आधारभूत पहलुओं पर विचार करें और निश्चित करें कि हमारी औद्योगिक और आर्थिक नीति क्या होनी चाहिये ।

हमें इस बात को स्मरण रखना है कि हमारा देश कृषिप्रधान है । ७० प्रतिशत जनता कृषि पर आश्रित है । हमारे साधारण ग्रामीण घरों में कुल व्यय का ७० प्रतिशत भोजन में ही चला जाता है । हम ने १९६० के लिये जो लक्ष्य निश्चित किया है वह १९३४ से १९३८ तक के हमारे उत्पादन से भी कम है । हमारी पंचवर्षीय योजना में यह अनुमान लगाया गया था कि प्रतिवर्ष लगभग ४,००,००० व्यक्तियों को उद्योग में खपाया जायेगा । पर यह संख्या बहुत थोड़ी है । उस से बेरोज़गारी में कोई कमी नहीं हुई । अतः यद्यपि कुछ उन्नति हुई

है, फिर भी बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है। अतः हमें इस समस्या के मूल कारण का पता लगाना चाहिये।

अभी हाल ही में हमारे प्रधान मंत्री ने अपने समाजवादी विश्वास की अनेक घोषणायें की हैं, उन्होंने कहा है कि उन के सामने समाजवादी समाज का चित्र है। एक ओर सामान्य जनता को समाजवादी व्यवस्था का चित्र दिखाया जाता है, दूसरी ओर उद्योगपतियों को भी आश्वासन दिया गया है कि उन के अस्तित्व पर भी आंच न आने पायेगी। इस प्रकार की धोकाधड़ी एक लम्बे समय से चली आ रही है पर अब वह समय आ गया है जब हमें यह जानना चाहिये कि हमारे देश में क्या होने जा रहा है।

१९४८ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प के कुछ उद्देश्य जैसे रहन-सहन का स्तर ऊंचा करना एवं न्याय और समान अवसर का आश्वासन दिलाने वाली सामाजिक व्यवस्था की व्यवस्था करना, आदि निश्चित किये गये थे। परन्तु केवल लक्ष्यों और उद्देश्यों को निश्चित कर देना ही योजना का वास्तविक स्वरूप नहीं है। उत्पादन के लिये लक्ष्य निश्चित किये गये पर वितरण के लिये कोई योजना नहीं थी। स्थानीय बाजारों के विस्तार के लिये भी कोई प्रयत्न नहीं किया गया; परिणामस्वरूप ज्यों-ज्यों उत्पादन बढ़ता जा रहा है, उद्योग की कठिनाई बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिये कपड़े के उत्पादन का मामला लीजिये। इस सम्बन्ध में हम लगभग लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, परिणाम यह है कि उत्पादक उत्पादन कम करने और निर्यात-आन्दोलन को जोर शोर से चलाने के प्रश्न पर चिन्तित हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी बहुत ही चिन्ताजनक है। ज्यों-ज्यों हमारा लक्ष्य पूरा होता जाता है, उद्योग की कठिनाइयां बढती जाती हैं। आज आवश्यक हो गया है कि हम वितरण के पहलू पर विचार करें। हमें आय की असमानता को कम करने के काम पर ध्यान देना है। हमें स्थानीय बाजारों का भी विस्तार करना है। उत्पादन एक सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः वितरण की अव्यवस्था का दूर करना आवश्यक है।

हमें इस बात पर विचार करना है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में, गैर सरकारी उद्योग क्षेत्रों की क्या दशा होगी। कठिनाई यह है कि विशेषरूप से गैर सरकारी महत्त्वपूर्ण उद्योगों के स्वामी अधिकतर अच्छे नहीं हैं। उन के कामों का अभिलेख संतोषजनक नहीं रहा है। हम देखते हैं कि हमारे देश के पूंजीपति लोग ब्रिटिश वित्त की पूंजी से सम्बन्धित हैं। यह बात बड़ी खतरनाक है क्योंकि भारतीय पूंजीपतियों का कोई स्वतन्त्र औद्योगिक आधार नहीं है। कुछ बड़े बड़े भारतीय पूंजीपति जिन का स्वतन्त्र औद्योगिक और वित्तीय आधार है भी, भारत स्थित ब्रिटिश वित्तीय पूंजी से सम्बन्ध रखते हैं। हमारे कुछ बड़े बड़े उद्योगपति जैसे साराभाई और स्क्विब्ज़, बिडला और नफ्फील्ड, टाटा और मैकनील और बैरी आदि विदेशी हितों से गन्दे सम्बन्ध रखते हैं। इस का परिणाम यह होता है कि विदेशी पूंजी से सम्बन्ध रखने वाले इन उद्योगपतियों को भारतीय जनता सन्देह की दृष्टि से देखती है। और जब वह सरकार द्वारा चलाये जाने वाले किसी उद्योग में बड़ा अंश लेना चाहते हैं तो हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है।

हम गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र की उन्नति के पक्ष में हैं और इस के लिये एक शक्तिशाली सरकारी क्षेत्र की आवश्यकता है। तभी गैर सरकारी क्षेत्रों पर नियन्त्रण रखा जा सकेगा।

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

चीनी उद्योग ने योजना आयोग द्वारा १९५५ के लिये निश्चित किये गये लक्ष्य को तीन वर्ष बाद पूरा किया। इसी कारण से इस उद्योग में संकट बढ़ गया था। इस से गैर सरकारी क्षेत्रों की दशा और हमारी कमज़ोरी का पता लगता है।

१९५३ में सीमेंट का उत्पादन ३७.३ लाख टन था। उसी समय एसोसियेटेड सीमेंट के मुख्य लोगों ने धमकी दी कि यदि सीमेंट का मूल्य बढ़ाया नहीं जायेगा तो हम उत्पादन रोक देंगे। अतः जब तक एक सरकारी क्षेत्र स्थापित नहीं किया जायेगा तब तक कोई योजना नहीं चल सकती। और अराजकता और संकट उत्पन्न होगा। यदि आर्थिक व्यवस्था गैर सरकारी क्षेत्र के अनुसार चलेगी तो बहुत से ऐसे निश्चय किये जायेंगे जो कि देश की राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध होंगे और परिणामस्वरूप हमारी आर्थिक व्यवस्था भयंकर और संकटमय हो जायेगी।

इसी कारण हम ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि ब्रिटेन की पूंजी, जो हमारे देश में लगी हुई विदेशी पूंजी का एक प्रमुख भाग है, का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय। मैं जानता हूं कि इस के लिये हमें कुछ संवैधानिक परिवर्तन करने पड़ेंगे किन्तु यदि देश के हित के लिये इस की आवश्यकता हो इसे शीघ्र कर लिया जाये।

अब मैं लोहे तथा इस्पात उद्योग के सम्बन्ध में चर्चा करूंगा। केवल इस कारण से कि पहिले से ही कुछ इकाइयां निजी हाथों में हैं, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि नई इकाइयां भी निजी हाथों में ही रखी जायें। दूसरे इस उद्योग को वित्तीय विनियोग की आवश्यकता है जिस के लिये सरकार को ही आगे बढ़ना चाहिये।

हम भारतीय लोहे और इस्पात उद्योग का इतिहास जानते हैं। इन निजी उद्योग-पतियों को वर्षों सुविधायें दी जाती रही हैं फिर भी इन्होंने कोई प्रगति नहीं की है। केवल जब सरकार ने इस क्षेत्र में आने का निश्चय किया तब इन में कुछ हलचल पैदा हुई।

अभी हाल में बिडला ने एक इस्पात संयंत्र प्रारम्भ करने की प्रार्थना की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। यह बहुत उचित था क्योंकि यह विदेशियों की मुट्ठी में रहता। इस के पूर्व ही हम रूरकेला संयंत्र के सम्बन्ध में एक जर्मन समवाय से ठेका कर चुके हैं।

सरकारी क्षेत्र में ऐसी बातें भी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहियें। विदेशियों की पकड़ मज़बूत होती जा रही है। विभिन्न करारों के अधीन उन के अधिकार बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को बहुत ढील दी जा रही है जिस के परिणाम-स्वरूप देश की आधारभूत अर्थ-व्यवस्था के हित में राज्य उतना आगे नहीं बढ़ रहा है जितना कि उसे बढ़ना चाहिये।

यद्यपि विदेशियों की इस पकड़ को सभा में कई बार दुहराया जा चुका है, किन्तु फिर भी इसे दुहराने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी का रवैया बिल्कुल अजीब है। आश्चर्य तो यह है कि १९४७ के पश्चात् से विदेशी विनियोग तथा विदेशी पूंजी के प्रति हमारा रवैया बहुत ही नर्म रहा है।

मैं विदेशी ऋण तथा विदेशी विनियोग के अन्तर को स्पष्ट करना चाहता हूं। एक विदेशी ऋण जो अच्छी तथा सच्ची शर्तों पर मिलता है बिल्कुल वैध है किन्तु हमें विश्व बैंक के विदेशी ऋण को जो कि भारतीय

मुद्रा पर हावी होना चाहता है स्वीकार नहीं करना चाहिये ।

अब मैं विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में कहूंगा । हमें '(भारत)' लिमिटेड ऐसे समवायों से बहुत सतर्क रहना चाहिये । १९४८ के औद्योगिक नीति संकल्पों में कुछ सिद्धांत हैं किन्तु कई मामले अपवाद के रूप में समझे गये हैं और उन्हें स्वीकृति दी गई है । जैसे कि स्टेनवाक तेल शोधक कारखाना, इत्यादि ।

इसी सम्बन्ध में, मैं उन दो निगमों का निर्देश करूंगा जिन के स्थापित किये जाने पर विचार हो रहा है । ये दो निगम, औद्योगिक विकास निगम तथा औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम हैं । यह औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम जो कि विश्व बैंक तथा अमेरिका के कुछ निजी निगमों के सहयोग से खुल रहा है बहुत भयंकर वस्तु है क्योंकि इस की १७$\frac{1}{2}$ करोड़ की पूंजी में ७२ प्रतिशत अर्थात् ७$\frac{1}{2}$ करोड़ अमेरिका तथा अमेरिका द्वारा प्रचालित विश्व बैंक के भागांश हैं । तथा श्री पी० एस० बील जो कि बैंक आफ इंगलैंड के मुख्य रोकड़िया हैं, निगम के सर्वप्रथम व्यवस्थापक नियुक्त किये जा रहे हैं । मैं नहीं जानता कि क्यों एक विदेशी को, चाहे उस में कितनी ही योग्यता क्यों न हो, हमारे देश के एक महत्त्व-पूर्ण पद पर नियुक्त किया जा रहा है ।

यह भी कहा गया है कि यह निगम उन उद्योगों में पूंजी लगायेगा जिस से तुरन्त ही ऊंचे लाभ की प्राप्ति होगी । इस प्रकार इस से ऐसे उद्योगों को सहायता मिलेगी जिस में लोग रुचि नहीं रखते हैं और हमारे देश की तथा अमेरिका व ब्रिटेन की पूंजी का गठ-बन्धन हो जायेगा । यह एक भयप्रद स्थिति है जिसे हमारे देश के लोग चिन्तित मन से देख रहे हैं ।

औद्योगिक नीति के ज्ञापन में कई बातें कही गई हैं । मैं विशेष रूप से छोटे पैमाने के उद्योगों का निर्देश करूंगा । ग्रामीण तथा गृह उद्योगों की राष्ट्रीय योजना समिति के प्रतिवेदन में जो कुछ कहा गया है उस का तात्पर्य यह है कि आधारभूत आवश्यकता यह है कि लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ाने के लिये भूमि-सुधार इत्यादि हो । इसी से गृह उद्योग की कठिनाइयां दूर हो सकती हैं । फोर्ड प्रतिष्ठान की बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना ठीक नहीं है । इस के प्रतिकूल मैं तो यह कहूंगा कि जब तक आप उचित रीति से भूमि-सुधार नहीं करेंगे तथा जब तक आप लोगों की क्रय-शक्ति नहीं बढ़ायेंगे, तब तक कुछ लाभ नहीं होगा ।

इस बात से मुझे बढ़ती हुई बेकारी का स्मरण हो आता है जो कि हमारी सामूहिक विकास परियोजनाओं तक बढ़ रही है । इस सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल का निर्देश करूंगा जहां कि गृह उद्योग की अवस्था नितान्त शोचनीय है । इस का एक कारण तो यह है कि प्रतिष्ठापन की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है, दूसरे सरकार की क्रय नीति भी इस के लिये जिम्मेदार है । मूलगांवकर समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि इंजीनियरिंग उद्योग की प्रतिष्ठापित क्षमता का पच्चीस से पचास प्रतिशत तक ही उपयोग हो पाता है । विशेष रुप से रेलवे अपनी आवश्यकतानुसार डिब्बे, इंजिन, आदि, विदेशों से न मंगा कर अपने देश में ही खरीद सकती है । हमें कई ऐसे गृह उद्योगों का ज्ञान है जिन पर सरकार कोई गम्भीर ध्यान नहीं दे रही है ।

अब मैं भारत के सैन्य सामान कारखानों के सम्बन्ध में कुछ बातें कहूंगा । यहां लगभग २० सैन्य सामान बनाने के

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

कारखाने हैं जिन में लगभग ७०,००० व्यक्ति कार्य करते हैं किन्तु निजी क्षेत्रों की तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण इन में से कई कारखानों में छंटनी प्रारम्भ हो गई है। आशा है, सरकार इस मामले में कुछ कार्यवाही करेगी।

अन्त में मैं सरकार की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सर्वप्रथम हमें ब्रिटिश पूंजी का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। दूसरे सरकार को किसी भी उद्योग में एकाधिपत्य को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये।

तीसरे, एजेंसी व्यवस्थापन पद्धति को तुरन्त समाप्त कर देना चाहिये तथा किसी भी अवस्था में राज्य को निजी पूंजी के साथ साझेदारी नहीं करनी चाहिये।

विदेशी पूंजी को हमारे देश के उद्योगों में निष्पक्ष पूंजी के रूप में स्वीकार न किया जाये तथा विदेशी टेक्नीशियनों को केवल आवश्यकता होने पर ही नियुक्त किया जाये।

राज्य को संसाधनों को पूंजीभूत करने की पद्धति से विनियोगों का नियन्त्रण करना चाहिए। अर्थात् एक निश्चित योजना के अनुसार योजना प्राधिकारी सभी समवायों के विशेष कोष, सुरक्षित राशि, इत्यादि पर नियंत्रण रखे।

राज्य लाभों पर नियंत्रण रखे तथा पूंजी समुच्चय को दृष्टि में रख कर लाभांश की अधिकतम राशि निश्चित करे।

ऐसे असमान करारों को, जैसे कि तेल शोधक कारखानों के साथ हुए हैं, समाप्त कर दिया जाय।

उद्योगों को व्यापक मुद्रास्फीति से बचाने के लिये एक आयोजित वाणिज्यिक नीति अपनाई जाये।

विकास कार्यक्रम में बड़े पैमाने, छोटे पैमाने तथा उद्योगों के उत्पादनों की बिक्री बढ़ाने के लिये क्रय शक्ति बढ़ाने का सर्वप्रथम प्रयास किया जाये।

श्रेष्ठि-चत्वरों में शीघ्र सुधार किया जाये, तथा तैयार करने वाले उद्योगों तथा बुनियादी उद्योगों के विकास का एक बड़ा कार्यक्रम बनाया जाय।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास को ध्यान में रख कर नई क्रय नीति विकसित की जाये।

और अन्त में श्रमिकों को उद्योगों की व्यवस्था में से अपना भाग दिया जाय जिस से अपव्यय तथा कदाचार न हो।

मैं समाजवाद का उपदेश नहीं दे रहा हूं मैं केवल यह चाहता हूं कि एक लोककल्याणकारी योजना को अपनाया जाय तथा इस प्रयोजन के लिये जनता के हितों के अनुरूप एक आर्थिक तथा औद्योगिक नीति बर्ती जाये।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम): बास्तव में, यह बहुत संतोष का विषय है कि इस सभा में आर्थिक नीति की चर्चा की जा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि सदस्यों को सरकार की आर्थिक नीति पर अपने दृष्टिकोण व्यक्त करने का अवसर दिया गया है।

यहां मैं आर्थिक नीति का एक विशिष्ट दृष्टिकोण सामने रखना चाहता हूं। मुझे यह देख कर प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है वह

सिद्धांतवादी नहीं । उन के भाषण से मैं यही समझता हूं कि उन का केवल एक ही सिद्धांत है और वह यह कि व्यावहारिक आधार ही दृष्टिकोण होना चाहिये । हमारे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने भी "हिन्दू" के एक लेख में सरकार की आर्थिक नीति के सम्बन्ध में ऐसा ही दृष्टिकोण व्यक्त किया है । मुझे प्रसन्नता है कि वह दृष्टिकोण व्यावहारिक बातों पर आधारित है और सिद्धांतवादी नहीं है । मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि वह क्रियात्मक होना चाहिये, सिद्धांतवादी नहीं । क्रियात्मक दृष्टिकोण का अर्थ यह है कि जहां तक विभिन्न उद्योगों अथवा विभिन्न क्षेत्रों ने उन्नति की है और परिणाम दिखाये हैं, वही कार्य संचालन का मुख्य अंग होना चाहिये ।

मेरे माननीय मित्र श्री हीरेन मुकर्जी एक और सैद्धांतिक आधार पर सोच रहे हैं परन्तु दूसरी ओर वह क्रियात्मक आधार पर भी सोच र हैं । उन्होंने स्वयं यह कहते हुए कि सार्वजनिक क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र को अधिकाधिक उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिये । निजी क्षेत्रों में कार्यों के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ आंकड़े दिये हैं । किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि वे आंकड़े गलत हैं । कई उद्योग १९५३-५४ में ही उस लक्ष्य तक पहुच चुके हैं जो योजना में १९५५-५६ वर्ष के लिये निर्धारित किया गया है और कई उद्योग १९५३-५४ में अपने लक्ष्य के ७५ प्रतिशत तक पहुंच गये हैं । अतः यह स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र और निजी उद्यम निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं ।

लोकतन्त्र के सिद्धांतों पर आधारित हमारी ोजना में विभिन्न क्षेत्रों पर उत्तर-दायित्व रखा गया है । और यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को उस के अनुसार कार्य करना है तो यह स्वाभाविक है कि उस का उत्तर-दायित्व उसी क्षेत्र पर छोड़ दिया जाये । मेरी यह धारणा है कि हमारी योजना के अनुसार इस कल्पना का पूर्ण महत्त्व स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिये । विस्तृत और शीघ्र राष्ट्रीय पुनर्निर्माण या तो एक-सूत्रीय व्यवस्था से अथवा जनता की स्वेच्छा, उत्साहपूर्ण तथा अनुशासित सहयोग से सफल हो सकता है । मेरा निवेदन यह है कि इस देश में बहुत विशाल जन-शक्ति है और जब तक इस शक्ति का उचित उपयोग नहीं किया जाता, तब तक हम सारे देश के हित में कार्य नहीं कर सकेंगे । इस संदर्भ से हमें यह देखना चाहिये कि देश की जनता को देश में उत्पादित माल और सेवायें उचित मूल्य पर किस प्रकार मिल सकती हैं । अपनी योजना में हम ने कल्पना की है कि अगले दस वर्षों में पूरे रोज़गार की स्थिति आ जायगी । माननीय वित्त मंत्री ने अभी अभी यही बात कही है । उस के लिये यह आवश्यक है कि नौकरियों की संख्या बहुत अधिक हो और इस के लिये देश का प्रत्येक क्षेत्र यह प्रयत्न करे कि अधिकाधिक काम लोगों को दिया जाय । हमारा यह मन्तव्य नहीं है कि हम विशिष्ट सैद्धान्तिक आधार से समस्या को देखें वरन् हमारे दृष्टिकोण का आधार यह होना चाहिये कि देश में अधिकाधिक रोज़गार की स्थिति उत्पन्न हो ।

अब हम अपने सम्मुख समस्या पर विचार करें । हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है किन्तु हमारे साधन सीमित हैं । यदि हमें इन सीमित साधनों पर ही निर्भर रहना पड़े और इन विभिन्न साधनों को विभिन्न क्षेत्रों में वितरित करना पड़े तो पूरे रोजगार की स्थिति प्राप्त करना सम्भव नहीं है और जब तक हम देश में, अधिक धन का उत्पादन न करें इतने बड़े जन समूह को काम नहीं दिया जा सकता है । "इकॉनॉमिस्ट" में ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने ऐसा ही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है । मुख्य बात यह है कि कोई जाति

[श्री तुलसी दास]

तब तक शीघ्र प्रगति नहीं कर सकती है जब तक कि प्रतिवर्ष साधनों के बंटवारे में पूंजी के उत्पादक रूप के विनियोजन को पूर्ववादिता नहीं दी जाती है । हमें यह देखना चाहिये कि हमारे सभी साधन उत्पादक रूप से विनियोजित हों । जब तक ऐसा नहीं होगा, देश के धन में वृद्धि होना संभव नहीं है और जब तक धन में वृद्धि नहीं होगी, जनता को पूरा रोजगार देना संभव नहीं होगा । अतः मेरे विचार से हमारी आधारभूत नीति का यही आधार होना चाहिये । संविधान के तथा योजना के उद्देश्यों में यही उद्देश्य रखा गया है किन्तु मैं देखता हूं कि उस के व्यावहारिक रूप पर विचार नहीं किया गया है । प्रत्येक बार प्रत्येक समस्या पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ही विचार किया गया है और मैं आशा करता हूं कि अब माननीय वित्त मंत्री की यह घोषणा, कि क्रियात्मक दृष्टिकोण पूर्णरूप से काम में लाया जायगा, कार्यान्वित की जायेगी ।

दूसरी बात यह है कि हम केवल विभिन्न क्षेत्रों के दोष निकालने का प्रयत्न करते हैं । यदि हम हमेशा दोष ही निकालते रहे तो हमारी प्रगति रुक जायगी । अतः हम यह दृष्टिकोण छोड़ दें और यह ध्यान में रखें कि देश की सर्वांगीण उन्नति के लिये विभिन्न विभागों का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिये । केवल इसी दृष्टिकोण से हम देश की बुराइयों को सुधार सकते हैं । यह बात मैं किसी की आलोचना करने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं वरन् इसलिये कह रहा हूं कि हम अपने आप को ठीक कर सकें । एक ओर हम यह देखना चाहते हैं कि राज्य को अधिकाधिक उत्तरदायित्व प्राप्त हो । मुझे यह कहते खेद होता है कि जब मैं ने औद्योगिक वित्त निगम के लेखाओं से सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पढ़ा और आज माननीय वित्त मंत्री का भाषण सुना तो उन की यह कल्पना मालूम होती है कि इस देश में राज्य बैंक भी उसी प्रकार कार्य करे जिस प्रकार अन्य कोई वाणिज्यिक बैंक कार्य करता है । वास्तव में यह एक संकेत है कि क्या कोई राष्ट्रीयकृत संस्था बैंकिंग जैसे क्षेत्र में किसी अन्य बैंक की तरह स्वतंत्रता और स्वेच्छा से कार्य कर सकती है । मुझे विश्वास है कि वह बैंक उस प्रकार से कार्य नहीं कर सकता है जिस प्रकार से देश के हित में कार्य करना आवश्यक है । यह एक पहलू है । हमें यह देखने का प्रयत्न करना चाहिये कि हम सभी क्षेत्रों में सभी उत्तरदायित्व को पूरा कर सकें । यदि राज्य इन उत्तरदायित्वों को उचित रीति से पूरा करने की स्थिति में हो तो इस विशिष्ट बात के लिये भी प्रोत्साहन देने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा । किन्तु मूल दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि किसी भी विभाग पर जो भी उत्तरदायित्व छोड़े जायें, वह ऐसी स्थिति में होना चाहिये कि वह उन उत्तरदायित्वों का बोझ उठा सके और राष्ट्र के हित में उन को पूरा कर सके । निजी क्षेत्र को भी चाहिये कि वह अपना दृष्टिकोण बदल दे । हमें वही बात स्वीकार करनी चाहिये जो राष्ट्र के लिये हितकर हो ।

यह मानी हुई बात है कि निजी क्षेत्र को कतिपय सफलताओं का श्रेय प्राप्त है । इस में सन्देह नहीं कि बहुत सी चीजें उसे अभी प्राप्त नहीं हो सकी हैं । किन्तु यदि हम ऐसी मिश्रित आर्थिक व्यवस्था चाहते हैं जिस में सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्र उचित रूप से कार्य करते हों, तो हमें ऐसी कतिपय दशायें अवश्य उत्पन्न करनी होंगी जिन में दोनों क्षेत्र कार्य क्षमतापूर्वक कार्य कर सकें । प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि निजी क्षेत्र के हाथ पैर यदि बांध दिये जायें तो यह कदापि संभव नहीं है कि वह क्षमतापूर्वक कार्य कर

सके । अतः उसे अपने ढंग से काम करने के लिये विस्तृत नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था की सीमाओं में कुछ स्वतंत्रता अवश्य दी जानी चाहिये

अब हम सभा में अनेक ऐसी विधियां बना रहे हैं जिस के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के कार्यों का नियंत्रण तथा विनियमन किया जा सकेगा । इतने बंधन रहने पर हम यह आशा नहीं कर सकते हैं कि वे उसी कार्य-क्षमता से कार्य करेंगे । मेरा यह कभी मंतव्य नहीं है कि कोई समग्र नियंत्रण होना ही नहीं चाहिये । माननीय-वाणिज्य मंत्री ने यह दृष्टिकोण प्रकट किया है कि समग्र नियंत्रण सरकार के हाथ में होना चाहिये । किन्तु मेरे विचार से दैनिक कार्यों में सरकार की ओर से यथासंभव कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिये । समवाय विधि विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष है और उस विधेयक को बनाने में भी यही दृष्टिकोण होना चाहिये कि निजी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिये समुचित स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिये । जब तक हमारी विधि लचीली न होगी, यह संभव नहीं है कि निजी उद्यम कार्यक्षमता से कार्य करें ।

यदि हम यथा संभव कम समय में अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं और देश के लिये पूरे रोजगार की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं तो हमें यह दृष्टिकोण रखना चाहिये कि विधि को उपयुक्त प्रकार से लागू किया जाय । अभी हमें देश में बहुत कुछ करना है । हमारे देश में बहुत बड़ी जन-संख्या है और कृषियोग्य विस्तृत भूमि है किन्तु उपज बहुत कम है । अतः हमें उपज बढ़ानी है । देश में प्रत्येक संभव उद्योग के लिये चाहे वह छोटे पैमाने का हो या बड़े पैमाने का हो, पर्याप्त विस्तृत क्षेत्र है । यदि जनता की क्रय-शक्ति तथा रहन सहन का स्तर १५ से २० प्रतिशत भी बढ़ा दिया जाये, तो भी छोटे और बड़े पैमाने के उद्योगों की मांगों को एक साथ पूरा करना असम्भव है । किन्तु रहन सहन का स्तर तथा क्रय-शक्ति बढ़ाने के लिये हमारी पूंजी केवल उत्पादक कार्यों में ही विनियोजित की जानी चाहिये अन्य स्थानों पर नहीं । केवल इसी प्रकार से हम रहन सहन के स्तर और क्रय-शक्ति को बढ़ा सकते हैं । तब प्रत्येक उद्योग के लिये असीमित क्षेत्र होगा । किन्तु एक प्रकार के उद्योग के विकास के लिये दूसरे प्रकार के उद्योग को कोई हानि नहीं पहुंचायी जानी चाहिये । ऐसा दृष्टिकोण गलत है । हमें सभी प्रकार के उद्योगों को साथ साथ बढ़ाना होगा । इसी प्रकार हम देश का औद्योगीकरण कर सकते हैं और सही रास्ता अपनाये जाने पर ही देश में प्रत्येक उद्योग के लिये पर्याप्त क्षेत्र मिल सकती है । प्रत्येक प्रकार के उद्योग के विस्तार के लिये स्वतन्त्रता होनी चाहिये । विभिन्न विभागों में प्रतियोगिता उत्पन्न करने से कोई लाभ नहीं है । प्रत्येक विभाग साथ साथ काम करे और अधिकाधिक उत्पादन करे । मैं आशा करता हूं कि सरकार केवल सैद्धांतिक ही नहीं वरन् क्रियात्मक तथा वास्तविकतावादी दृष्टिकोण अपने सम्मुख रखेगी । केवल तभी हम अपनी समस्या को सुलझा सकेंगे ।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : मैं सदन के नेता के प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मेरी इस प्रार्थना को, कि देश की आर्थिक नीति पर समय समय पर चर्चा होनी चाहिये, स्वीकार किया है । मुझे प्रसन्नता है कि कार्य मंत्रणा समिति ने आज और कल की चर्चा का क्षेत्र निर्धारित कर दिया है और सरकार को सलाह दी है कि वह सदस्यों को पहले ही आवश्यक सूचना दे दे । मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि सूचना पुस्तिका बिलकुल निरर्थक है। अभी एक यह महत्व-

(श्री अशोक मेहता)

पूर्ण नीति सम्बन्धी भाषण सभा में हुआ है जिस की कोई सूचना हमें नहीं दी गयी थी। कार्य मंत्रणा समिति की चर्चा से मैंने सोचा था कि सरकारी नीति के आधारभूत तथ्य हमें पहले से बता दिये जायेंगे किन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

मैं कतिपय शब्दों के प्रयोग के प्रति विरोध प्रकट करना चाहता हूं। प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री तथा उन के सहयोगियों ने बार बार यह चेतावनी दी है कि इस सरकार की नीति सिद्धांतवादी दृष्टिकोण से नहीं वरन् व्यावहारिक दृष्टिकोण से संचालित की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आप इस देश का संविधान बना रहे थे तो क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा विधान मंडल से अलग करना सैद्धांतिक समझा गया? लोकतन्त्र का अनुभव हमें यह बताता है कि यदि जनता की स्वाधीनता और अधिकारों को सुरक्षित रखना है तो न्यायपालिका अवश्य स्वतन्त्र होनी चाहिये। उसी प्रकार पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था का यदि विकास करना है तो बैंक और बीमा कंपनियों जैसे नियंत्रण के साधन राज्य के हाथ में अवश्य होने चाहियें। इस में सैद्धांतिक जैसी कुछ भी बात नहीं है। विभिन्न दशाओं में विकास करने का प्रयत्न करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के अनुभव का यह एक व्यावहारिक निर्णय है। ऐसे निर्णयों को केवल सैद्धांतिक कह कर उन को रद्द नहीं किया जा सकता है।

अब तक जो औद्योगिक नीति अपनायी गयी है, वह सर्वप्रथम १९४८ में निर्धारित की गयी थी। उस समय देश में असाधारण स्थिति थी। युद्ध काल में हमारे औद्योगिक यन्त्र पर बहुत अधिक बोझ पड़ने के कारण वह अति दुर्बल हो गया था। साम्प्रदायिक रोष के कारण उत्पादन-कार्यों में बहुत गड़बड़ी हुई थी। पूंजीपति निरुत्साहित थे, सरकार भी पूर्ण रूप से कांग्रेस सरकार नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में औद्योगिक नीति स्वीकार की गई थी। आज वह परिस्थिति बदल गई है। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि अब द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ में हम अपनी औद्योगिक नीति के मूलभूत तत्वों का पुनर्विलोकन करें। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि वित्त मंत्री ने, अब भी वही पुरानी १९४८ की नीति को, जो बिलकुल विभिन्न परिस्थितियों में बनायी गयी थी, दुहराया है। आज प्रधान मंत्री ने देश के समक्ष दो नये सामाजिक लक्ष्य रखे हैं। उन का कथन है कि हमें समाजवादी अर्थ व्यवस्था प्राप्त करना है और १० वर्ष की अवधि के भीतर बेकारी को पूरी तरह समाप्त कर देना है। हमारी औद्योगिक नीति अवश्य ही इन नये उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिये, किन्तु मुझे यह देख कर खेद होता है कि अब तक जो औद्योगिक नीति अपनायी गयी है अथवा आज वित्त मंत्री के कथनानुसार जिस नीति के अपनायी जाने की संभावना दिखायी पड़ती है उस से यह आश्वासन नहीं मिलता है कि उस नीति से वे उच्च आदर्श प्राप्त हो सकेंगे। यहां तक कि औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प को भी उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है। सर्वप्रथम नियंत्रण तथा विनियमन बहुत ही अव्यवस्थित रूप से संघटित किया गया है। हम देखते हैं कि लाभ बढ़ते जा रहे हैं। १९५० में देश में निजी स्वामित्व वाली औद्योगिक संस्थाओं में दत्त पूंजी पर लाभ ७ प्रतिशत था और दिसम्बर १९५३ में वह १८·६ प्रतिशत था। लाभ पुनः विनियोजित नहीं होता है और यदि होता भी है तो बहुत कम। भारत के रक्षित बैंक के एक प्रकाशन में १९५० और १९५१ के लिये भारत में लाभों का विश्लेषण किया गया है और केवल

इन्हीं वर्षों के लाभों के सम्बन्ध में, जानकारी उपलब्ध है ।

'ईस्टर्न इकनामिस्ट' नामक पत्रिका में रिजर्व बैंक के विषय में जो लेख प्रकाशित हुआ है उस से बैंक की स्थिति का भली भांति आभास मिलता है । जिस प्रकार से गैर निजी उद्योगों का प्रबन्ध किया जाता है उस प्रणाली में अनेक त्रुटियां हैं । माननीय प्रधान मंत्री तथा माननीय वित्त मंत्री ने बड़े गर्व से कहा है कि हमारा औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है किन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि उद्योगों में नियुक्त मजदूरों की संख्या दिन प्रति दिन घटती जा रही है । उन की संख्या १६,३२,००० के लगभग है किन्तु औद्योगिक सहकारी संस्थाओं की संख्या केवल १,६५२ है जिन की चालू पूंजी ८·६५ करोड़ रुपये के लगभग है । इन संस्थाओं में से अधिकतर संस्थायें हाथ करघा उद्योग से सम्बन्धित हैं । इस से ज्ञात होता है कि सरकार ने पिछले छः वर्षों में औद्योगिक सहकारिताओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है ।

तीसरा महत्त्वपूर्ण आश्वासन सरकार ने यह दिया था कि वह उद्योगों के प्रबन्ध को सुचारू रूप से चलायेगी किन्तु वह इस प्रबन्ध को आई० सी० एस० वालों के हाथों में सौंपती जा रही है जिन में उद्योग सम्बन्धी कोई क्षमता नहीं है । हमारे देश में निजी उद्योगों का प्रबन्ध करने वाले अनेक चतुर व्यक्ति हैं किन्तु सरकार उन की सेवाओं से कोई लाभ नहीं उठाती है । सरकार ने एक नवीन प्रबन्ध प्रणाली बनाने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये हैं । सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का अवश्य विस्तार किया गया है किन्तु उन का प्रबन्ध अत्यन्त शिथिल है । आठ महत्त्वपूर्ण औद्योगिक संस्थापन स्थापित किये गये हैं । उन के लिये काफी इस्पात की आवश्यकता है । छः वर्ष से सरकार प्रयत्न कर रही है किन्तु वह अभी तक इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं कर सकी है, यह बड़े ही दुःख की बात है । श्री मेघनाद साहा ने बताया है कि सरकार की इस अकर्मण्यता से देश को पांच अरब रुपये की हानि हुई है । इसी प्रकार हम से कहा गया है कि उद्योगों को और अधिक विद्युत् शक्ति दी जायेगी किन्तु क्या अभी तक छोटे उद्योगों को कुछ सहायता देने के सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किये गये हैं ।

जब हम रेलवे की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि उस में भी कार्य-पटुता और विकास समुचित रूप से नहीं हो पाया है । आजकल हम मार्शल टीटो के आगमन से अत्यन्त प्रसन्न हो रहे हैं किन्तु उन के द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण औद्योगिक प्रयोगों जैसे कोई प्रयत्न अपने देश में अभी नहीं किये गये हैं । मुझे आशा है कि श्री टी० टी० कृष्णमाचारी उन के आदर्श का अनुकरण करेंगे । औद्योगिक क्षेत्र में ही कर्मचारियों को नवीन स्थिति प्रदान की जानी चाहिये । परन्तु न कोई नये प्रयोग किये गये हैं और न नवीन प्रणाली के अनसार कोई नवीन औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित किये गये हैं ।

निजी क्षेत्र वाले उद्योगों के बारे में मुझे यही कहना है कि सरकार केवल कुछ चुने हुए व्यक्तियों को ही प्रोत्साहन देती रहती है । सरकार को ज्ञात होना चाहिये कि टाटा, बिडला और डालमिया ही देश के सर्वेसर्वा नहीं हैं । जो भी काम सौंपा जाता है वह इन्हीं लोगों को सौंपा जाता है । सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह नये और होनहार व्यक्तियों को प्रोत्साहन दे । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कितने अज्ञात व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया है । यही तो निजी उद्योग की कसौटी है । परन्तु सरकार

[श्री अशोक मेहता]

ऐसी कोई बात नहीं कर रही है। एक ओर तो सरकार आयकर का अपवंचन करने वालों के नाम आयकर जांच आयोग के पास भेजती है और दूसरी ओर उन्हीं व्यक्तियों को बड़े बड़े बोर्डों और निगमों का सदस्य बनाती है। क्या सरकार ऐसे लोगों की संख्या हमें बताने की कृपा करेगी ?

निजी क्षेत्र में जो पूंजी लगाई जा रही है वह भी बहुत कम है और वह केवल ८ प्रतिशत है। श्रॉफ समिति ने कहा है कि निजी क्षेत्र के विकास में प्रति वर्ष केवल २८ करोड़ रुपया लगाया जाता है। इस से स्पष्ट हो जाता है कि निजी क्षेत्र बहुत क्षीण है। दुःख की बात तो यह है कि मंत्रिमंडल में ही दो मत चल रहे हैं। एक सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में है तो दूसरा निजी क्षेत्र के पक्ष में है। जब वहीं पर यह दशा है तो देश की वृहत् राजनीति में सुचारु रूप से कैसे काम चलाया जा सकता है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की पारस्परिक स्पर्धा चलती ही रहती है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि एक राष्ट्रीय बैंक स्थापित किया जायगा। पता नहीं, ऐसा करना कब तक संभव हो सकेगा। चीन के बैंक में ३,००,००० कर्मचारी नियुक्त हैं जब कि हमारे देश के कुल बैंक कर्मचारियों की संख्या केवल ६५,००० ही है। इस से ज्ञात होता है कि वहां बैंकिंग प्रणाली कितनी विकसित हो गयी है। परन्तु यहां अभी इस पर विचार हीं किया जा रहा है। अतः सरकार को इस ओर जल्दी ही कोई निर्णय करना चाहिये।

निजी क्षेत्र में जहां कहीं भी सरकार का स्वार्थ होता है वहां तो अनुकम्पा दिखाई जाती है अन्यथा उस को कोई पूछता भी नहीं है जैसा कि श्री जे० आर० डी० टाटा के भाषण से विदित हो सकता है। सरकार योजनायें बनाती रहती है और जो उद्योग विशेषज्ञ हैं उन से परामर्श भी नहीं लिया जाता है। एक ओर तो प्रधान मंत्री यह कहते रहते हैं कि हमारा लक्ष्य राष्ट्रीयकरण है और दूसरी ओर उन की सरकार इस के विरुद्ध चलती रहती है। इस विषय का भी श्री जे० आर० डी० टाटा ने काफी विवेचन किया है। आखिर सरकार चाहती क्या है? उस की नीति इस प्रकार की सम्भ्रांति उत्पन्न कर देती है कि न तो पूंजीपति ही उस से सन्तुष्ट हैं और न हम समाजवादी ही प्रसन्न हो पाते हैं। अतः सरकार को अपना एक निर्दिष्ट मार्ग रखना चाहिये।

अब मैं छोटे छोटे उद्योगों के विषय में कुछ बताऊंगा। सरकार ने इस ओर भी समुचित ध्यान नहीं दिया है। कलकत्ते के ३०,००० छोटे पैमाने के उद्योगों में १,२१,००० व्यक्ति काम कर रहे हैं। उन के वार्षिक उत्पादन का मूल्य ५४ करोड़ रुपया है किन्तु खेद का विषय है कि उन्हें ऋण देने के लिये कोई संतोषजनक प्रबन्ध नहीं किया गया है। इसी प्रकार बम्बई में १९५२-५३ में छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण देने के लिये १० लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी जिस में से केवल २७,००० रुपये का ही ऋण दिया गया। यह कितने खेद का विषय है।

जब हम अपनी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की ओर ध्यान देते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। उन का औद्योगिक विकास शून्य के बराबर है; जब इतने वर्षों तक इतना धन व्यय करने पर भी उन से कुछ नहीं बन पड़ा तो उन से क्या आशा की जाय ?

ब्रिटेन ने व्यापार सम्मपत्तियां स्थापित कर के छोटे व्यापारियों का बहुत हित किया है। सरकार की ओर से कारखाने बनाये जाते हैं और छोटे व्यापारियों को उन में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

हमारे यहां अनेक सरकारी कर्मचारी जब अवकाश ग्रहण करते हैं तब वे अपने संचित धन को व्यापार में लगाना चाहते हैं किन्तु उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ब्रिटेन ने इस प्रकार १,०४,००० व्यक्तियों को छः वर्ष में रोजगार दिया है और हमारी सरकार का इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं गया है। श्री गांगूली ने, जो भारत सरकार द्वारा चीन भेजे गये थे, अपनी पुस्तक में लिखा है कि चीन में दो वर्ष में १२,००,००० व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। हमारे यहां यह विषय सदैव विचराधीन ही रहता है। हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि हमारा लक्ष्य समाजवादी प्रजातन्त्र स्थापित करना है किन्तु क्या बिडला, टाटा और डालमिया को सारे उद्योगों का ठेका दे देने से समाजवाद स्थापित हो सकेगा? में पूछता हूं कि पिछले आठ वर्षों में आर्थिक समानता स्थापित करने के प्रयत्नों में क्या सफलता मिली है? यूगोस्लाविया में निम्नतम और उच्चतम आय का अनुपात १ और ६ है, स्वीडन में १ और ३ हैं और नार्वे में १ और २ है। क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में क्या अनुपात है? इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने पैतृक व्यवसाय में लगे रहते हैं उन का भी बुरा हाल है। उन्हें किसी प्रकार से प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। समाज की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है।

पुरातन काल से बहुत से व्यक्ति कृषि कार्य करते आ रहे हैं तथा उन की संख्या बढ़ती ही जा रही है। परन्तु इन में से कितने व्यक्तियों को अन्य व्यवसायों की ओर लगाने का प्रयत्न किया गया है? मेरे विचार से वैज्ञानिकन को लागू किया जाना चाहिये जिस से कि हमें प्राविधिक प्रशिक्षण मिल सके। हमें अपने आर्थिक निम्न स्तर को विकसित कर के अपनी आर्थिक दशा को सुधारना है जिससे उस में कोई गड़बड़ उत्पन्न न हो जाये। इन विचारों का देश में हम पिछले वर्षों से प्रचार कर रहे हैं परन्तु सरकार ने उन पर कभी भी विचार करने का प्रयत्न नहीं किया है।

कुछ विदेशी विशेषज्ञों ने प्रारम्भिक सुझाव दिये हैं परन्तु देश में प्राविधिक प्रशिक्षण की अधिक आवश्यकता है और सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी कार्यालयों में भी उन के प्रबन्ध में कर्मचारियों को कोई भाग नहीं लेने दिया जाता है। बहुत से विदेशी भी आते हैं तथा कह जाते हैं कि उन के देश हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं तथा हम से उन्हें बहुत कुछ सीखना है परन्तु ऐसा होता नहीं है। मुझे यूगोस्लाविया के सम्बन्ध में थोड़ा सा ज्ञान है। उस देश ने प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार दे कर कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त किया। इन महत्त्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में हमारे वित्त मंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं बताई जो कि कुछ सारवान हो। हमारे समक्ष बार बार एक ही प्रकार के आंकड़े रख दिये जाते हैं। मुझे प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य से कि हम जनतन्त्रात्मक समाजवाद को बढ़ोतरी देंगे तथा आने वाले दस वर्षों में सभी को पूर्ण रोजगार मिलेगा और बेकारी दूर हो जायेगी, यह आशा हुई थी कि कोई ठोस कार्य किया जायेगा; परन्तु केवल एक राज्य बैंक के बनाने के प्रश्न पर विचार करने का सुझाव दिये जाने के अतिरिक्त और कोई नई बात नहीं कही गई है।

अन्त में मैं कहूंगा कि भूतकाल की औद्योगिक नीति, विशेष परिस्थितियों के कारण अपनाई गई थी तथा अब यह परिस्थितियां बदल गई हैं इसलिये हमें सभा के सदस्यों की सम्मति से नवीन उद्देश्यों को पूर्ण कर

[श्री अशोक महता]

के लिये कोई नवीन नीति निर्धारित करनी चाहिये जिस से कि जनता में उत्साह फैले ।

श्री भागवत झा आज़ाद (पूर्निया व संथाल परगना) : प्रधान मंत्री के वक्तव्य के पश्चात् हमें आशा हुई थी कि भारत सरकार की औद्योगिक नीति परिवर्तित होगी । मैं पंच वर्षीय योजना की प्रगति पर चर्चा करना चाहता था परन्तु अब मैं केवल औद्योगिक नीति पर ही इस समय कुछ कहूंगा क्योंकि इस समय वही हमारे मस्तिष्क में चक्कर काट रही है तथा सम्पूर्ण देश भी हमारी ओर उत्सुकता से देख रहा है कि सरकार की औद्योगिक नीति क्या होगी ।

हम जानते हैं कि पहली औद्योगिक नीति १९४८ में बनाई गयी थी । उस समय परिस्थिति आज से भिन्न प्रकार की थी । परन्तु अब हमें कुछ अनुभव हो गया है तथा हम चाहते हैं कि इस अनुभव के आधार पर तथा वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार हमें अपनी नीति परिवर्तित करनी चाहिये । पंच वर्षीय योजना ने औद्योगिक क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया है । एक निजी क्षेत्र तथा दूसरा सरकारी क्षेत्र । निजी क्षेत्र से इस औद्योगिक विकास में ३३३ करोड़ रुपया लगाने की आशा की गई थी परन्तु पिछले तीन वर्ष में उस ने केवल ९६ करोड़ रुपया ही लगाया है जो कि बहुत कम है । अब हमसे कहा जाता है कि निजी तथा सरकारी क्षेत्रों के इस विभेद को समाप्त कर दिया जाये । कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों का विचार है कि देश की उन्नति के हेतु निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में कोई विभेद नहीं किया जाना चाहिये । सरकार औद्योगिक नीति को जितना महत्त्व दे रही है, वह इसी बात से स्पष्ट है कि प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री तथा उद्योग मंत्री में से कोई भी इस समय सभा में उपस्थित नहीं है । इस से पता चलता है कि सरकार औद्योगिक नीति को कोई गंभीर विषय समझती ही नहीं है । केवल हमें यह बताया जाता है कि सरकार एक राज्य बैंक खोलने का विचार कर रही है ।

कहा जाता है कि निजी उपक्रम से हम जितनी आशा थी उस से उतना सहयोग रियायतें दे कर उस की मांग आदि को पूरा करने पर भी प्राप्त नहीं हुआ है । धन लगाने के बदले वह सरकार से यह चाहता है कि कम मजदूरी निश्चित की जाये तथा कुछ अन्य सामाजिक मामलों में रियायतें भी मिलें । उस का कहना है कि इस के बिना पूंजीपति अपना धन उद्योगों में नहीं लगायेंगे इसलिये सरकार को उद्योगों तथा कारखानों के सम्बन्ध में विधान नहीं बनाने चाहियें । सरकार ने इस निजी क्षेत्र का पक्ष लिया है जिस का परिणाम केवल यह हुआ कि केवल ९६ करोड़ रुपया ही विनियोजित किया गया है । यह कहा जाता है कि १९५४-५५ में वह ६४ करोड़ रुपया लगायेगा । फिर भी १७५ करोड़ रुपये की कमी रह जाती है ।

यदि हम एसोशियेटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री की कार्यवाहियों पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है कि वह लगातार शिकायत करता रहा है कि उसे धन लगाने का पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया गया है । कुछ दिन पूर्व कलकत्ते में उस ने एक संकल्प पारित किया जिस में उन्होंने उस ने सरकार से और अधिक सुरक्षा तथा धन विनियोजन सम्बन्धी सुविधाओं की मांग की है । उस का कहना है कि कर में छूट दे कर सीमा शुल्क में धीरे धीरे कमी कर के कार्य करने को प्रोत्साहन दे कर, तथा धन लगाने तथा

लाभ उठाने की सुविधा दे कर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाये ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के सम्बन्ध में चैम्बर के सभापति का कथन है कि सामाजिक विधानों के द्वारा स्वामियों के समक्ष सरकार ने कठिनाइयां प्रस्तुत कर दी हैं । दूसरी ओर न्यायाधिकरण के निर्वाचन प्रगतिशील स्वामियों को निरुत्साहित करने के कार्य कर रहे हैं ।

उन का आशय यह था कि सरकार ने झगड़े निपटाने के लिये जिन न्यायाधिकरणों को नियुक्त किया था उन्होंने अपने फैसलों में सारा दोष स्वामियों पर डाला जिसके परिणाम-स्वरूप उन का उत्साह ठंडा पड़ गया । जैसे ही सरकार कोई सामाजिक विधान प्रस्तुत करती है यह हल्ला मचाने लगते हैं । यदि आप संविधान में आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिये कोई सुधार करने का प्रयत्न करेंगे तो ऐसा आन्दोलन खड़ा होगा जो सारे देश के आर्थिक सन्तुलन को बिगाड़ कर रख देगा । यदि आप कराधान जांच आयोग नियुक्त करेंगे, वे कहेंगे कि यह ठीक नहीं है । चैम्बर आफ कामर्स के सभापति का मैं फिर उद्धरण देता हूं । वह कहते हैं कि कराधान जांच आयोग की नियुक्ति यह ज्ञात करने के लिये हुई थी कि प्रत्यक्ष करों का भार कितना होगा और अप्रत्यक्ष करों का क्या प्रभाव होगा । परन्तु उन के वक्तव्य के अनुसार यह सारा भार उन पर ही पड़ने वाला है । व्यापारी वर्ग वित्त मंत्री से मिला तथा उन से प्रार्थना की कि यह भार उस पर न पड़ने पाये । इसलिये जब भी कभी सरकार कोई प्रगति सम्बन्धी कार्यवाही करना चाहती है निजी क्षेत्र उस प्रगति के आड़े आ जाता है ।

इसलिये मैं तो इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि औद्योगिक नीति सम्बन्धी १९४८ के सरकारी संकल्प के उद्देश्य, अधिक उत्पादन, पूर्ण रोज़गार तथा सामाजिक और आर्थिक एकता इस औद्योगिक नीति के द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं । उस संकल्प की कंडिका ४ तथा ७ में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित उद्योगों तथा जिन उद्योगों पर अंशतया नियंत्रण होगा उन का वर्णन किया गया है । परन्तु अन्य उद्योगों पर निजी क्षेत्र ही नियंत्रण रखेंगे । इसलिये अब समय आ गया है कि हमें इस नीति को परिवर्तित कर के सभी आवश्यक उद्योगों को अपने अधिकार में कर लेना चाहिये और निजी क्षेत्र के लिये जो बच रहे वही छोड़ा जाना चाहिये । मैं स्वयं माननीय वित्त मंत्री का ही उद्धरण प्रस्तुत करता हूं कि उन्होंने कहा है कि देश के विकास के लिये अपेक्षित असीम संसाधन निजी क्षेत्र द्वारा कभी एकत्रित नहीं किये जा सकते हैं । इसलिये हमें निश्चय कर लेना चाहिये कि सभी महत्त्वपूर्ण उद्योगों को हमें अपने अधिकार में कर लेना है । मैं अनुभव करता हूं कि राष्ट्र के हित के लिये उन सभी उद्योगों पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है जोकि देश के अस्तित्व के लिये आवश्यक हैं तथा शेष उद्योगों को हम निजी क्षेत्र के लिये छोड़ सकते हैं । साथ ही उन शेष उद्योगों पर भी शक्तिशाली नियंत्रण होना चाहिये । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में कोई समझौता नहीं हो सकता है । नहीं तो अन्त में जब हानि हो जायेगी तो यह कह देगा कि अब हमारे बस की बात नहीं है अतः इसे सार्वजनिक क्षेत्र में ले लीजिये ।

श्री बी० एम० बिडला अभी पश्चिमी देशों का पर्यटन कर के आये हैं, उन्होंने कहा है कि इस देश को विदेशों से धन मिल सकता है, परन्तु वह ऋण के रूप में नहीं बल्कि पूंजी विनियोजन के रूप में मिल सकता है । मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के समझौते

[श्री भागवत झा आज़ाद]

हमें अपनी शर्तों के अनुसार करने चाहियें। "धन देश में आ सकता है यदि विनियोजकों को विनियोजन की स्वतन्त्रता दी जाये तथा लाभ और मूलधन को जब वह चाहें ले जाने दिया जाये।" हम इस वक्तव्य के प्रथम भाग की स्वीकृति दे सकते हैं परन्तु दूसरे भाग को नहीं, कि वह मूलधन तथा लाभ को अपनी इच्छानुसार वापस ले जा सकते हैं।

यदि सरकार सभी उद्योगों को अपने हाथ में ले लेने का निश्चय करे तो इन के प्रबन्ध के लिये एक औद्योगिक पदाली भी बनानी पड़ेगी। मैं प्रशासन की सराहना करता हूं कि उस ने सार्वजनिक क्षेत्र का हित साधन न कर के लालफीतेशाही को प्रश्रय दिया क्योंकि वह प्रशासन करना जानता है उद्योगों का प्रबन्ध करना नहीं। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस का प्रबन्ध करने के लिये एक औद्योगिक पदाली होनी चाहिये और विदेशियों को इस से कोई स्थान नहीं मिलना चाहिये।

दूसरे हमें उद्योगों के प्रबन्ध में कर्मचारियों तथा श्रमिकों को भी सम्मिलित करना चाहिये क्योंकि उद्योगों में जितना भाग स्वामियों का रहता है उतना ही श्रमिकों का भी रहता है। जब तक हम श्रम समस्या को ठीक प्रकार से नहीं सुलझायेंगे तब तक इस मिल में तथा उस कारखाने में थोड़े से मकान बनवा देने पर कोई आर्य नहीं हो सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के सम्बन्ध में दो आपत्तियां साधारणतया उठाई जाती हैं। एक तो वित्त की कमी की दूसरी अनुभव की कमी की। देश में थोड़ी बचत से अथवा कृषि की आय से यह वित्तीय समस्या नहीं सुलझेगी यह तो तभी सुलझेगी जब हम व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, बैंकिंग तथा बीमा की ओर अपना ध्यान देंगे। हमें सट्टे फ टके इत्यादि की ओर भी ध्यान देना चाहिये और छिपी आय को भी निकालने का प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि लाभ व्यक्तियों में बांट दिया जाता है तथा समवाय के लेखों में उस का उल्लेख नहीं किया जाता है।

दूसरे सरकारी उद्योगों के प्रबन्धकों के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि यदि हम देश का विकास मेरी योजना के अनुसार करना चाहते हैं तो हमें उपयुक्त प्रबन्धक प्राप्त हो सकते है यदि हम उन को प्राप्त करने का यथार्थ प्रयत्न करें।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि हम मिश्रित अर्थ व्यवस्था में विश्वास करते हैं। वैयक्तिक योजना से गरीबों को हानि पहुंचती है परन्तु सरकारी उद्योगों को अधिक महत्व देते ही मिश्रित अर्थ व्यवस्था हो जाती है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हू कि सरकार १९४८ की अपनी औद्योगिक नीति को परिवर्तित करेगी।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : हमारे समक्ष चार आर्थिक समस्यायें हैं। पहली घाटे की अर्थ योजना की नीति की ओर हमारा झुकाव। परन्तु तो भी अनाज के मूल्य दिन प्रति दिन कम होते जा रहे हैं तथा अगले वर्ष और भी कम होने की आशा है। दूसरे हम देशवासियों द्वारा और अधिक विनियोजन किये जाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप भुगतान संतुलन की स्थिति हमारे प्रतिकूल हो जायेगी। परन्तु ऐसी स्थिति आयात तथा निर्यात के समान हो जाने के कारण कभी आने नहीं पाई है। तीसरे योजना आयोग के सभापति के कथन के अनुसार बेकारी पहले से अधिक बढ़ गई है। चौथे यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय बढ़

गई है परन्तु उद्योगों में धन का अधिक विनियोजन नहीं हुआ है। इस विचित्र स्थिति की ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि जब तक हम अपने आयोजन में सफल नहीं होंगे इस प्रकार के रोड़े हमारे मार्ग में आ सकते हैं।

हमें इस दृष्टिकोण से, अपनी औद्योगिक नीति को देखना है। हमारी नयी औद्योगिक नीति में देश में धन का विनियोजन, तथा आयात का ध्यान रखा जाना चाहिये। आज एक भ्रान्त विवाद चल पड़ा है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का विस्तार क्या होना चाहिये। इस पर अकारण ही बहुत जोर दिया गया है। परन्तु जिन व्यक्तियों ने आर्थिक विकास के प्रश्न पर विचार किया है उनके लिये यह प्रश्न कि अमुक उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में अधिक महत्व नहीं रखता है। सब से आवश्यक बात तो वह त्वरा है जिससे आर्थिक विकास किया जाने को है। मैं एकाधिकारों को बुरा नहीं समझता हूं, परन्तु जिन कारणों ने निजी पूंजी तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के आधारभूत विचार धारा को बदल दिया है, उन पर, राज्य की असीम शक्ति पर तथा जनमत का विचार करते हुये मैं यह कहने का साहस करता हूं कि यह बड़े बड़े पूंजीपति जनमत को बनाने वाले नहीं अपितु जनमत से शासित होने वाले होंगे।

निजी क्षेत्र के सम्बन्ध में काफी कुछ बेचैनी है। इस निजी क्षेत्र के प्रति इतना अविश्वास क्यों है? वह केवल इस कारण है कि आज का निजी क्षेत्र केवल कुछ प्रबन्ध अधिकरणों तक ही सीमित हो कर रह गया है और वह व्यापक सामाजिक उद्देश्य से कार्य नहीं करते हैं। प्रश्न यह है कि इस निजी क्षेत्र में हमें किस प्रकार परिवर्तन करना है। मेरे विचार से उसका आधारभूत ढांचा बदला जा सकता है। मेरा सुझाव यह नहीं है कि समवाय विधि में कोई परिवर्तन किया जाये और इस प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त कर दिया जाये। योजना आयोग को कुछ परियोजनाओं पर अथवा कार्य क्षेत्रों पर स्वयं को केन्द्रित करना चाहिये। हम ने कुछ परियोजनाओं को सार्वजनिक क्षेत्र की सूची में रख दिया और बड़े पैमाने पर निजी उपक्रमों को सम्बद्ध कर के अपना औद्योगिक क्षेत्र सम्बन्धी आयोजन किया। आर्थिक नीति आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र को विस्तृत करने वाले किसी व्यापक प्रयत्न से विहीन रही है।

मैं इस सम्बन्ध में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम का उल्लेख करूंगा। मैं उस का बहुत तीव्र आलोचक हूं। मेरा यह विश्वास है कि ऐसे विनियमन तथा नियंत्रण से केवल बड़े लोग ही नीति का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन विस्तृत विनियमनों से, विभिन्न प्रकार के प्रलेखों को प्रस्तुत करने तथा उलझी हुई प्रक्रिया से छोटे व्यक्तियों को किसी उद्योग को प्रारम्भ करने के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं मिलती है। इस के स्थान पर हमें करना यह चाहिये कि हम को सभी मदों को राष्ट्रीय महत्व वाली मदों को सूची में रख देना चाहिये था। राष्ट्रीय महत्त्व की अत्यावश्यक कुछ मदों तक ही अपने को सीमित न करके यदि हम ने कार्य करने की नीति को अपनाया होता तो अधिक उत्तम होता। निषेध की अपेक्षा कार्य करने की नीति उत्तम है। निषेध की इस नीति ने औद्योगिक नीति के क्षेत्र में बहुत गड़बड़ी कर दी है। किसी उपक्रम के लाभप्रद होने के सम्बन्ध में उन व्यक्तियों की अपेक्षा, जो अपनी स्वयं की पूंजी से उसे प्रारम्भ करना चाहते हैं, भारत सरकार का अनुज्ञापन विभाग

[डा० कृष्णस्वामी]

किस प्रकार अधिक अच्छी तरह जान सकता है और किसी निजी पूंजीपति को अनुज्ञप्ति देते समय सरकार की वाक्बद्धतायें क्या होती हैं ? वाक्बद्धता क्या है यह मैं नहीं समझ पाया हूं । अनुज्ञप्ति दिये जाने के बाद प्रकाशित की गयी प्रत्येक विवरण पत्रिका में यह स्पष्ट रूप से दिया जाता है कि सरकार उक्त उपक्रम की लाभप्रदता के सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करती है । इस विस्तृत विनियमन ने छोटे उद्योगपतियों पर एक प्रकार का प्रतिबन्ध सा लगा दिया है जिस का परिणाम यह हुआ है कि हमारे बहुत से प्रादेशिक क्षेत्र उपेक्षित हो गये हैं और लोग इन क्षेत्रों में कोई नया विनियोजन करने में असमर्थ हो गये हैं । जो ज्ञापन हम को दिया गया है उस में संसाधनों की कमी का उल्लेख किया गया है । परन्तु आज तो उन के नष्ट हो जाने की और भी अधिक संभावना हो गई है । हम ने सहकारी प्रयत्न के द्वार को तो खटखटाया तक नहीं है और न उस का उपयोग गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक विनियोजन को प्रोत्साहन देने में ही किया है । केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि अमुक उद्योग विनियोजन के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है । यदि कोई व्यक्ति उस जोखिम को उठाना चाहता है तो मैं नहीं समझता कि सरकार को क्यों उन उद्योगों के प्रारम्भ किये जाने में आड़े आना चाहिये । अब जब कि हमारा पौंड पावना बढ़ गया है तो और भी अधिक ढील दी जानी चाहिये, लोगों को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये और अधिकार का औरअधिक विकेन्द्रीकरण होना चाहिये ।

मेरा सुझाव यह है कि आज हमारा आर्थिक दृष्टिकोण कुछ अन्य देशीय विचारों से धुंधला सा हो गया है । हमने यह अनुभव नहीं किया है कि हमारे देश की विशालता को देखे आज का निजी क्षेत्र प्रायः नगण्य है । इस क्षुद्रता का अनुभव करने के बाद हम यह चाहेंगे कि देश के आर्थिक विकास के लिये आज से दस गुना प्रयत्न किया जाना चाहिये जिस से कि निजी विनियोजन और भी अधिक हो सके । योजना आयोग के प्रतिवेदन में इस नवीन रक्त के संचार के सम्बन्ध में काफी कुछ कहा गया है, परन्तु गत तीन वर्षों में हुआ क्या है ? हमारी विनियमन की विस्तृत योजना के कारण और प्राधिकार के केन्द्रीकरण के कारण इस क्षेत्र में नवीन उपक्रमों के आने की गति अवरुद्ध हो गई है । देश के औद्योगिक विकास के लिये हमें कोई अतिमानवीय प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है । और भी सरल विधि से हम अपने देश का औद्योगिक विकास करने की स्थिति में हो सकते हैं । यदि हम इस समस्या को उस के वास्तविक अनुदर्शन में देखें तो हमारी अनेक समस्यायें हल हो जायेंगी । यदि ऐसा कोई औद्योगिक विकास अधिनियम इंगलैंड में औद्योगिक क्रांति के समय लागू होता तो उस समय के जगत् प्रसिद्ध आविष्कारक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने अथवा कोई फैक्टरी खोलने की अनुमति प्राप्त करने के प्रयत्नों में ही यह खप गये होते । इस असन्तुलित दृष्टिकोण का प्रभाव हमारे सार्वजनिक क्षेत्र पर भी पड़ा है ।

आज मेरे मित्रों ने सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में कहा । योजना आयोग ने यह इशारा किया था कि पांच वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा १४४ करोड़ रुपये व्यय किये जाने की प्रत्याशा थी । परन्तु अभी तक हम ने क्या किया है ? हम ने अनुविहित रकम में से केवल १९ १/२ करोड़ रुपया व्यय किया है,

और वह भी तीन वर्ष में। और यदि हम अगले दो वर्षों में भरसक प्रयत्न भी करें तो भी हम योजना आयोग की रिपोर्ट में निश्चित किये गये लक्ष्य से बहुत पीछे रहेंगे।

जब सरकार धन खर्चने के मामले में इतनी कृपणता से काम लेती है फिर उद्योगपति कैसे कह सकते हैं कि सरकार गैर सरकारी या अन्य हितों के साथ अमित्रता का व्यवहार करती है। जान पड़ता है कि वास्तविक आर्थिक स्थितियों की ओर से हमारा ध्यान हटाने के लिये कुछ व्यक्तियों ने यह प्रश्न खड़ा किया है।

मैं सभा का ध्यान विदेशों में प्रचलित योजनाओं की ओर नहीं अपितु १९४८ में निश्चित किये गये उद्देश्यों की ओर दिलाना चाहता हूं, जिन का समर्थन योजना आयोग ने अपने प्रतिवेदन में किया है। प्रथम पंच वर्षीय योजना इस विचार के साथ आरम्भ की गयी थी कि मालिकों को छोड़ कर प्रबन्धकों, शिल्पिकों तथा मजदूरों आदि के द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र का विकास किया जायगा। परन्तु अभी तक इस विचार को मूर्तरूप नहीं दिया गया है। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये ओर हमें छुपी हुई नवीन योग्यता वाले व्यक्तियों को इस काम में लाना चाहिये। वास्तव में उत्तम ढंग का आर्थिक परिवर्तन लाने के लिये हमें प्रादेशिक विकास निकाय स्थापित करने चाहियें, जिन में उद्योग को चलाने वाले प्रबन्धक, शिल्पिक और मजदूर आदि हों, तथा उन निकायों का अपना सचिवालय हो। उन निकायों का परामर्श जनता को स्वीकार होगा, क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र का पर्याप्त ज्ञान होगा और इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में नवीन उद्योग उत्पन्न होंगे और विकसित होंगे।

रैगनर नरक्से ने अपनी पुस्तक "अविकसित देशों में पूंजी निर्माण" में लिखा है कि पूंजी की चेतना रखने वाले समाज में ही स्थायी रूप से पूंजी निर्माण का कार्य सफल हो सकता है। उस समाज में स्फूर्ति, जागरूकता और दूरदर्शिता होने से वह राष्ट्र निश्चित रूप से अग्रसर होता है। अतः इन गुणों का विकास करना चाहिये।

मुझे आशा है कि सामाजिक पूंजी बढ़ने के कारण ऋण-पत्रों में भी कुछ संशोधन किया जायगा। कुछ लोगों का मत है कि सहकारी ऋण संस्थायें पूंजी का उपयोग करने की इच्छा वाले व्यक्तियों को ऋण देने में अधिक सफल रहेंगी। परन्तु में ऐसा नहीं समझता। बैंक आफ मैसूर जैसे बैंकों को छोटे व्यापारियों को धन देने के लिये अवसर और सुविधायें ही दी जानी चाहियें, परन्तु यह पुराने बैंकिंग के ढंग पर नहीं होना चाहिये, बल्कि धन की वसूली के आधार पर होना चाहिये, जिस से कि अधिकाधिक विकास में सहायता मिले। सरकार इन व्यक्तियों के कुछ भाग का अन्तर्लेख कर सकती है और यदि योजना आरम्भ की जाये तो आगामी एक या दो वर्षों के अन्दर पर्याप्त विकास हो सकता है, जिस से सरकार को कुछ संतोष प्राप्त होगा।

श्री डाभी : मैं केवल खादी और ग्राम उद्योग सम्बन्धी सरकार की नीति के विषय में ही अपने विचार प्रकट करूंगा।

प्रथम पंच वर्षीय योजना की समाप्ति और द्वितीय पंच वर्षीय योजना के आरम्भ में केवल डेढ़ वर्ष का समय शेष है अतः हमें सरकार की उद्योग सम्बन्धी नीति स्पष्ट करनी चाहिये। अनेक लोगों का यह मत है कि सरकार की औद्योगिक नीति अस्पष्ट है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने "हिन्दू" में छपे एक लेख में कहा है कि सरकार की वही औद्योगिक नीति है जो कांग्रेस की आर्थिक नीति है, और उस में कोई अस्पष्टता नहीं है। कराची संकल्प में यह अनुभव

[श्री डाभी]

किया गया था कि अवकाश काल में वैकल्पिक उद्योगों के न होने के कारण जनता बेकार रहती है और यही निर्धनता का कारण है, इस लिये चर्खे को अपनाना चाहिये । अजमेर अधिवेशन में भी अधिकतम उत्पादन, सब को काम धन्धा दिलाना, और सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को आर्थिक नीति का मूल तत्व माना गया है । मैं समझता हूं कि सरकार इस से पूर्णतः सहमत है । यदि ऐसी बात है तो यह परिणाम निकलता है कि सरकार को १९ नवम्बर, १९५४ को पूना में अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा समवेत राज्य खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड और रचनात्मक कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पारित किये गये संकल्प से भी सहमत होना चाहिये ।

इस संकल्प में भी यही कहा गया है कि सरकार को आर्थिक विकास को एवं स्वयं काम धन्धा करने की प्रकृति को द्वितीय पंच वर्षीय योजना का आधार बनाना चाहिये और खादी तथा ग्राम उद्योग इस के लिये उपयुक्त उद्योग हैं, अतः इन्हें द्वितीय पंच वर्षीय योजना में उचित स्थान देना चाहिये । सरकार को यह योजना बनाते समय लोगों को काम धंधा दिलाने और देश की अर्थ-व्यवस्था को विकेन्द्रित करने का विचार रखना चाहिये । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये खादी तथा ग्राम उद्योग को बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता न करने देना चाहिये । जब तक हमें अच्छे काम के लिये विश्वास और श्रद्धा नहीं होगी हम वह उत्साह और शक्ति पैदा नहीं कर सकते, जो किसी उद्देश्य की सफलता के लिये आवश्यक है । मुझे इस बात का दुःख है कि सरकार को और विशेषकर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को खादी तथा ग्राम उद्योगों में वास्तविक विश्वास नहीं है । वह परिस्थितिवश इस उद्योग को कुछ रक्षण अवश्य देते हैं, किन्तु वह इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते । सभा में जब प्रश्न पूछा जाता है तो, वह ऐसा उत्तर देते हैं, जिस से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि उन्हें इन उद्योगों में तनिक भी रुचि नहीं है ।

हम जानते हैं कि सरकार ने खादी तथा ग्राम उद्योग के विकास के लिये एक अखिल भारतीय बोर्ड बनाया है, और उस बोर्ड के सदस्य खादी और ग्राम उद्योगों में अत्यन्त दिलचस्पी रखते हैं । बोर्ड के निर्माण के समय सरकार से आशा की जाती थी कि वह बोर्ड की सब सिफारिशों को स्वीकार करेगी, परन्तु १९५३-५४ में कोई प्रगति नहीं हो सकी, क्योंकि बोर्ड की सिफारिशों को वर्ष के अन्त में स्वीकार किया गया है । १९५४-५५ में बोर्ड ने ग्राम उद्योगों के विकास के लिये ६ करोड़ रुपये की मांग की, परन्तु सरकार ने केवल १ करोड़ १५ लाख देने का वचन दिया और वह भी इस शर्त पर कि योजना वर्ष के प्रत्येक भाग के लिये विभाजित होनी चाहिये । ऐसा होना असंभव था । फिर सरकार ने छः महीनों के काम की प्रगति देखने की शर्त लगाई । बोर्ड को मंजूरी के लिये तीन या चार महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी । ऐसी स्थिति में बोर्ड क्या कर सकता है ?

कई लोगों ने खादी और ग्राम उद्योगों के विकास के लिये जीवन लगा दिये हैं, परन्तु सरकार इस के मार्ग में अनेकानेक रुकावटें पैदा करती रहती है ।

बोर्ड को एक विशेष संगठन को प्रमाणित करने के लिये कहा गया था । भला कोई स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसी बात को कैसे सहन कर सकता है ? सरकार बोर्ड पर भी अविश्वास करती है, इसलिये बोर्ड के सदस्यों

ने सरकार को कह दिया है कि उन्हें अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त कर दिया जाये ।

यही समय है जब सरकार खादी तथा ग्राम उद्योगों के सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट कर सकती है और इन उद्योगों को वास्तविक रक्षण दिया जा सकता है । इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि वर्तमान वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को खादी तथा ग्राम उद्योगों सम्बन्धी उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जाये ।

श्री मेघनाथ साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : संसद् में आर्थिक नीति सम्बन्धी चर्चा पहली बार हो रही है, इस कारण यह चर्चा महत्त्वपूर्ण है । वित्त मंत्री ने अपने भाषण में केवल उज्वल भविष्य का ही वर्णन किया है, और यह नहीं बताया कि १९४८ से अब तक औद्योगिक नीति किस प्रकार चलाई गई है । कहा गया है कि पिछले तीन वर्षों के अन्दर हमारी राष्ट्रीय आय में १४ प्रतिशत वृद्धि हुई है, परन्तु मैं आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं कि केवल ४ प्रतिशत वृद्धि ही हुई है । मंत्री महोदय जन संख्या की वृद्धि को बिल्कुल भूल ही गये हं । योजना आयोग के कथनानुसार आय में यह वृद्धि औद्योगिक नीति या औद्योगिक उत्पादन के कारण नहीं हुई है, बल्कि लगातार दो वर्ष अच्छी फसलें होन के कारण हुई है ।

यह दावा किया गया है कि हमारे औद्योगिक उत्पादन में ३० प्रतिशत वृद्धि हुई है । वास्तव में सिन्दरी उर्वरक आदि कुछ क्षेत्रों को छोड़ कर औद्योगिक क्षेत्र में अधिक उत्पादन नहीं हुआ है । लोहा, इस्पात और कोयले के उत्पादन में अधिक वृद्धि नहीं हुई । अन्य देशों में भारत की अपेक्षा औद्योगिक उत्पादन कई गुना अधिक है । इंगलिस्तान की तुलना में भारत का प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन १/२८ है ।

अब हमें इस की असफलता पर विचार करना चाहिये । हम १९४८ की औद्योगिक नीति को चला रहे हैं, जिस के द्वारा कोयला, लोहा, इस्पात, विमान, जहाज निर्माण, टेलीफोन निर्माण तथा रेडियो, खनिज तेलों और बेतार का सामान आदि उद्योगों का राष्ट्र द्वारा नियंत्रण किया जाना अपेक्षित था, और पूंजी पर सरकार का स्वामित्व होना चाहिये था । परन्तु इस का यह प्रभाव हुआ है कि पेट्रोल के मामले में २५ प्रतिशत भारतीय पूंजी को छोड़ कर शेष समस्त उद्योग विदेशी पूंजी के अधिकार में आ गया है । मैं समझता हूं कि मंत्रिमण्डल ने यह निर्णय किया था कि सब विदेशी समवायों में कम से कम ५१ प्रतिशत पूंजी भारतीयों की या भारत राज्य की होनी चाहिये । मैं वाणिज्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने विदेशी समवाय को अनुज्ञप्ति क्यों दी, जबकि समवाय में अधिकतर पूंजी विदेशी है, और जब कि वे सरकारी हस्तक्षेप का विरोध कर रहे हैं । कुछ दिन हुए श्री मालवीय ने सभा में कहा था कि हम भू-भौतिकी पूर्वेक्षण दल बना रहे हैं, जिस के सभी सदस्य भारतीय होंगे । परन्तु स्टैनवैक कम्पनी इस बात का विरोध कर रही हैं । हम कुछ उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण करना चाहते हैं, परन्तु इस विधि का इस प्रकार संचालन किया जा रहा है ।

१९४८ में औद्योगिक नीति निर्माता चाहते थे कि कोयले जैसे महत्त्वपूर्ण उद्योग पर नियंत्रण होना चाहिये । परन्तु होता क्या है कि धातुशोधक कोयले का रेलों तथा अन्य समवायों द्वारा दुरुपयोग हो रहा है । धातुशोधक कोयले को इस प्रकार नष्ट न होने देने के लिये ३० वर्ष से लगातार आवाज उठाई जा रही है । मैं अपनी राष्ट्रीय सरकार से पूछना चाहता हूं कि उस ने इस हानिपूर्ण व्यवस्था को रोकने के लिये क्या कार्यवाही

[श्री मेघनाथ साहा]

की है। औद्योगिक नीति के अनुसार कोयला की नवीन खान खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुज्ञप्ति लेनी पड़ती है। क्या यह अनुज्ञप्ति इन समवायों के लिये मांगी गई है अथवा अटकलपच्चू ढंग से दी जा रही है ?

कोयला उत्पादन और कोयले की खोज ये दोनों काम विभिन्न मंत्रालयों के अधीन होने के कारण यह काम अच्छी तरह नहीं चल सकता, क्योंकि विभिन्न मंत्री बिल्कुल परस्पर विरोध बातें कहते रहते हैं। एक ओर प्रधान मंत्री समाजवादी अर्थ-व्यवस्था का समर्थन करते हैं और दूसरी ओर श्री टी० टी० कृष्णमाचारी कहते हैं कि सरकार भारतीय उद्योगों के विकास के लिये राष्ट्रीयकरण की उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता आदि की सैद्धान्तिक नीति से बंधी हुई नहीं है। इस प्रकार सरकार के विभिन्न सदस्यों के मन में कोई स्पष्ट विचार नहीं है। लोहा और इस्पात उद्योगों के विषय में समझा जाता है कि वे पूर्णतया सरकार द्वारा नियंत्रित हैं। परन्तु हम देखते हैं कि इस की बजाय, दो गैर सरकारी समवायों को, जिन्होंने उन के उत्पादन यंत्र की सर्वथा उपेक्षा की है, सरकार द्वारा बड़ा ऋण दिया जा रहा है। लोहे तथा इस्पात के उद्योगों का पूर्ण रूपेण राष्ट्रीयकरण होना चाहिये था परन्तु ऐसा नहीं किया गया। और केवल इतना ही नहीं, इसी वर्ष मैसर्ज बिरला ब्रादर्ज नामक एक निजी-औद्योगिक सार्थ ने खुले तौर पर कहा है कि इस देश में लोहे तथा इस्पात के एक कारखाने की स्थापना के लिये वे एक विदेशी सार्थ से बातचीत कर रहे हैं, और इस के लिये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने उन्हें अनुज्ञा भी दे दी है। परन्तु इधर उत्पादन मंत्री का यह कथन है कि इस प्रकार की कोई भी अनुज्ञा नहीं दी गयी है। इस प्रकार से एक मंत्रालय एक बात कहता है तो दूसरा बिल्कुल विरोधी बात। अतः इस के विषय में पूर्ण रूपेण स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

आज हम जिस औद्योगिक नीति को अपनाना चाहते हैं, वह वास्तव में श्री अर्देशिर दलाल के प्रारूप से उद्भूत हुई है। यद्यपि देश की स्वतन्त्रता के प्रथम दो वर्ष तक देश की आर्थिक स्थिति अस्थिर रही, तथापि श्री अर्देशिर दलाल की इस योजना को, हमारी राष्ट्रीय सरकार ने मान लिया था। परन्तु किसी ने कह दिया कि इस योजनानुसार तो सारा देश ही समाजवादी बन जायगा, तब इस "मिली जुली अर्थ व्यवस्था" को अपना लिया गया। यह तो चर्चिल सरकार का अन्धानुकरण है। वैसे तो सभी देशों में मिली जुली अर्थ व्यवस्था चल रही है, किन्तु उस की कोई सीमा होती है। भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं। बड़े बड़े उद्योग भी निजी रूप में चलाये जा रहे हैं। मूल उद्योगों का तो राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, तभी इस देश का उत्पादन बढ़ सकता है। हमारे प्रधान मंत्री जी राष्ट्रीय विकास परिषद् में, एक ओर तो यह कहते हैं कि "इस देश के विकास में निजी उपक्रमों का अब कोई स्थान नहीं" और फिर दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि "इस का यह अर्थ नहीं कि हम निजी उपक्रमों को बिल्कुल ही समाप्त करना चाहते हैं।" इस प्रकार की दोहरी बातों से काम नहीं चलेगा। हमें एक स्पष्ट नीति अपनानी होगी।

मैसर्ज़ अतुल प्रॉडक्ट्स को, रंग के सामान तथा औषधि-निर्माण के उद्योगों के विकास के लिये तीन करोड़ रुपया ऋण देने का केन्द्रीय सरकार ने निर्णय किया है। और उस में से ७५ लाख की प्रथम किश्त शीघ्र ही दी जाने वाली है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह प्रस्थापना, संसद् के सामने

रखी गयी है? इस प्रकार से, सरकारी खजाने से, तीन करोड़ रुपया, एक निजी सार्थ को, बिना किसी प्रकार की अनुज्ञा प्राप्त किये ही, दिया जा रहा है। इस मिली जुली अर्थ नीति में धन तो सारा सरकार लगाती है और लाभ उठाते हैं उद्योगपति। इस प्रकार से, आज, समाजवाद के नाम पर बिल्कुल उलटी बातें की जा रही हैं।

इस में एक और रहस्य भी है। विकास-योजनाओं में अधिकतर पूंजीपतियों का आधिक्य है और वे सदैव अपने हित को ही मुख्य स्थान देते हैं। लोहे तथा इस्पात के उद्योग के विकास के लिये एक पेनल नियुक्त किया गया था, जिस ने यह सिफारिश की थी, कि इस उद्योग के लिये सर्वोत्तम स्थान बिहार और बंगाल हैं क्योंकि वहां कोयला सुगमता से प्राप्त हो सकता है। परन्तु उसी समय पर उन्होंने यह सिफारिश भी की थी कि इस के लिये मुंघेर का स्थान सर्वोत्तम रहेगा। परन्तु उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसलिये कि उस पेनल के अधिकांश सदस्य टाटा कम्पनी से सम्बन्धित थे, और वे चाहते थे कि किसी प्रकार से सरकार का यह उद्योग असफल सिद्ध हो, ताकि टाटा लोहा तथा इस्पात कम्पनी खूब उन्नत हो सके। आज हमारी औद्योगिक अवनति का वास्तविक कारण, यही विकास परिषदें ही हैं, जो हमें धोखा दे रही हैं। अतः, यदि हम अपनी औद्योगिक उन्नति चाहते हैं, तो हमें इस कार्य के लिये अपने शिल्पिक कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।

फिर, हम इस कार्य के लिये विदेशी कम्पनियों की सहायता चाहते हैं। परन्तु, हम प्रत्येक कार्य के लिये केवल विदेशियों पर ही निर्भर क्यों करें। हमें अपने शिल्पिक कर्मचारी नियुक्त करने चाहियें जो कि देश के प्रति उत्तरदायी हों।

चीन में उद्योगों की उन्नति के लिये बड़ी गंभीरता पूर्वक प्रयत्न किए जा रहे हैं। विभिन्न उद्योगों के लिये १५ या १६ मंत्री कार्य कर रहे हैं। परन्तु भारत में, उद्योग को एक अर्ध मंत्रालय के रूप में लिया गया है। हम इसे गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। अतः इस का परिणाम बड़ा भयंकर होगा, और हमारे सारे उद्योग नष्ट भ्रष्ट हो जायेंगे।

श्री आर० एस० दीवान (उस्मानाबाद): वैसे तो इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, और बहुत कुछ कहा जा सकता है, परन्तु हमें देखना यह है कि साधारण जनता इस नीति के विषय में क्या अनुभव करती है। वह हमारी इस आर्थिक नीति से कदापि सन्तुष्ट नहीं। वह अनुभव कर चुकी है कि किस प्रकार से निजी उद्योगपति निर्धनों का शोषण करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। अतः वह इस अस्पष्ट नीति से कदापि संतुष्ट नहीं। परन्तु इस के साथ ही साथ उसे नेहरू जी में पूर्ण विश्वास है, और जो नेहरु जी कह दें, उसे स्वीकार कर लेती है।

विपक्ष के मेरे एक मित्र ने निजी क्षेत्र में होने वाले उत्पादन का उल्लेख किया है। निस्संदेह भारत का श्रमिक राष्ट्र के लिये धन का संग्रह कर रहा है। परन्तु यह धन उसके निजी उपयोग के लिये नहीं, यह तो प्रबन्ध कर्ताओं, निदेशकों, अंशधारियों इत्यादि के लिये है, न कि उस के अपने लिए अथवा राष्ट्र के लिये।

ऐसा कहा गया है, कि कपड़े के उद्योग का उत्पादन कम हो गया है। परन्तु केवल उत्पादन बढ़ जाने से, साधारण व्यक्ति को क्या लाभ है? क्रय के लिये उसे धन की आवश्यकता है और इस के लिये उसे काम की [illegible] । [illegible] इस दृष्टि से सरकार [illegible]

[श्री आर० एस० दीवान]

उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है। आज कुटीर उद्योग ही मूल वस्तुओं की आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं। परन्तु इस के परिणाम स्वरूप महान उद्योग कुटीर उद्योग से प्रतिद्वन्द्वता करने लगे हैं। यह तो वास्तव में बड़ी भयानक स्थिति है। हमें कुटीर उद्योगों के क्षेत्र का रक्षण करना ही होगा। कपड़े के उद्योग को, पूर्ण रूपेण उन्नत करने के लिये, उस का विकेन्द्रीकरण करना होगा।

[**श्रीमती खोंगमेन** पीठासीन हुईं]

इस से निस्संदेह उत्पादन परिव्यय में वृद्धि हो जाने की सम्भावना है। किन्तु इस के साथ ही कच्चे और तैयार माल के परिवहन पर जो खर्च आता है वह बच जायगा।

इसी प्रकार खादी उद्योग को भी सहायता की आवश्यकता है। हम यह सहायता उचित ढंग से नहीं दे रहे हैं। वास्तव में हमें खादी में विश्वास ही नहीं है और इसी कारण यह उद्योग फल फूल नहीं रहा है।

तेल उद्यो[illegible] के सम्बन्ध में हम देखते हैं कि घा[illegible] [illegible]न निकालने की मशीनों में प्र[illegible] [illegible]है। अच्छा हो यदि [illegible] [illegible]नियों के लिये [illegible]न इत्यादि [illegible]त्पादन [illegible]र

रहा है, अर्थात् १ और १०० का अनुपात, वह बहुत ही अनुचित है। इस अत्यधिक अन्तर को दूर किये बिना अनुकूल वातावरण का निर्माण नहीं हो सकेगा। इस के साथ ही हमें दिखावा छोड़ कर सत्यभाव का अनुसरण करना होगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): वित्त मंत्री के आज के भाषण से हमारी आर्थिक नीति स्पष्ट न हो कर और भी जटिल प्रतीत होने लगी है।

एक साधारण व्यक्ति तो सरकार की आर्थिक नीति की अच्छाई बुराई इसी बात से जानता है कि उसे स्थाई रूप से काम मिलता है या नहीं और उस की मजूरी का स्तर क्या रहता है। उस का जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिये। उसे किसी प्रकार के 'वाद' में कुछ भी रुचि नहीं है।

यदि आज जन साधारण की अवस्था को देखा जाये तो हमें पता चलता है कि हम ने कुछ भी उन्नति नहीं की है। आज भी उस की वही दशा है जो १९५० अथवा पंच वर्षीय योजना से पहले थी।

माननीय मंत्री ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का बहुत ढंढोरा पीटा है, किन्तु हम भली भांति जानते हैं कि यह एक बाहर की चीज़ है। इस में और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कुछ भी अन्तर नहीं है। यह तो केवल जनता को धोखा देने की बात है। [illegible]ह एक अस्पष्ट प्रकार की नीति है, जिस [illegible]जी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच कोई [illegible]मा नहीं बांधी गई है। आज स्व[illegible] के आठ वर्ष पश्चात् भी हमें [illegible]कि कौन कौन से आधारभूत [illegible]द्योगों का राष्ट्रीयकरण [illegible] ने अपनी नीति को [illegible] नीति सम्बन्धी

वक्तव्य पर आधारित किया है, किन्तु वह वक्तव्य बहुत पुराना हो चुका है, क्योंकि वह प्रथम पंच वर्षीय योजना बनाये जाने से पहले की चीज़ है । आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं और हमारे विचार और हमारी आवश्यकतायें भी बदल चुकी हैं । अतः सरकार की नीति में परिवर्तन होना चाहिये । हमारे प्रधान मंत्री समाजवाद की बात तो करते हैं किन्तु उस के साथ साथ यह भी कहते रहते हैं कि निजी उपक्रम के लिये बहुत कुछ अवसर रहेगा । दूसरी ओर हमारे वित्त मंत्री और हमारे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को समाजवाद के सिद्धान्त में विश्वास नहीं है ।

योजना काल में बेकारी बढ़ती रही है और छोटे स्तर के उद्योग और कुटीर उद्योग गतिहीन हो रहे हैं । हथकरघा उद्योग को सरकार द्वारा सहायता तो दी गई है, किन्तु वह सहायता बुनकरों तक नहीं पहुंच पाई है । यद्यपि छोटे पैमाने के उद्योगों को वित्त तथा अन्य प्रकार की सहायता देने की चेष्टा की जा रही है परन्तु उन्हें सहायता पहुंच नहीं रही । इसीलिये ऐसे उद्योगों पर निर्भर करने वाले बुनकर और दूसरे लोग बेकार हो गये हैं ।

खेती की भी यही हालत है । उत्पादन तो बढ़ गया है परन्तु कृषि उत्पादों के मूल्यों में कमी उत्पादन में वृद्धि के अनुपात से भी अधिक हो रही है । सरकार इन मूल्यों को स्थिर बनाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं कर रही । इस से किसानों में निराशा फैली हुई है ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें प्रस्तुत करते समय सरकार ने यह इरादा प्रकट किया था कि वह निर्यात को बढ़ावा देने वाली परिषदें बनाना चाहती हैं । परन्तु यह भी किसी निश्चित योजना पर आधारित नहीं है । आयात और निर्यात का अटूट सम्बन्ध है और इन दोनों के लिये एक नीति होनी चाहिये । ये परिषदें बनने से कोई सुधार नहीं होगा । सरकार को चाहिये कि आयात और निर्यात व्यापार के कुछ अंशों पर पूर्ण अधिकार कर ले । हमें चाहिये कि इस व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने की बात सोचें ।

मेरा निवेदन है कि अब से हमें अपनी औद्योगिक नीति का आधार यह बनाना चाहिये कि महत्त्वपूर्ण और आधारभूत उद्योग सरकार की सम्पत्ति बना दिये जायें । जब तक यह नहीं होगा, हम सभी को रोज़गार नहीं दिला सकते और न ही सब का आर्थिक स्तर एक सा बना सकते हैं । हमें चाहिये कि सब से पहिले लोहे तथा इस्पात के उद्योग का, जो पहले से ही संगठित है, राष्ट्रीयकरण करें । हमें चाहिये कि एक ऐसी सूची बनायें कि पहले इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जायगा और बाद में अमुक अमुक उद्योग सरकार के नियंत्रण में आ जायेंगे ।

मेरा सरकार से निवेदन है कि वह विदेशी उपक्रमों का भारतीयकरण करे । हमें इस सम्बन्ध में शुरूआत कर देनी चाहिये थी । हम विदेशी उपक्रमों को खरीद सकते थे परन्तु खेद का विषय है कि सरकार विदेशी पूंजी पर निर्भर कर रही है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति और स्पष्ट की जानी चाहिये । बड़ा अच्छा हो यदि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देते समय, बड़े उद्योगों को हाथ में लेने के सम्बन्ध में सरकार के रवैये पर प्रभाव डालें और इस सम्बन्ध में जो गलत कहानियां हैं, उन्हें दूर करें ।

श्री वी० वी० गांधी (बम्बई नगर—उत्तर) : हम ने कुछ देर पहले साम्यवादी दल के उपनेता और प्रजा-समाजवादी दल के उपनेता के भाषण सुने । उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को बहुत निराशाजनक बताया

[श्री वी० बी० गांधी]

है और सरकार की नीति में दोष निकाले हैं। मैं जो कुछ कहने लगा हू उस से उन दोषों की आलोचना का उत्तर मिल जायगा ।

सरकार की आर्थिक नीति का बड़ा अच्छा परिणाम रहा है। हम दिन प्रति दिन प्रगति कर रहे हैं। देश की आर्थिक स्थिति दृढ़ और स्थिर है। कृषि और उद्योग दोनों में उत्पादन बढ़ा है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण है और मूल्य भी स्थिर हो रहे हैं।

कृषि में स्थिति यह है कि १९५० की तुलना में उत्पादन १८ प्रतिशत बढ़ गया है। १९५३ में ६ करोड़ ६० लाख टन अनाज पैदा हुआ और इतना उत्पादन पहले कभी नहीं हुआ था। इस वर्ष पहले की अपेक्षा ६·४ प्रतिशत अधिक भूमि पर खेती की गई और २२·२ प्रतिशत अतिरिक्त उत्पादन हुआ ।

१९५३ में उद्योगों के उत्पादन का देशनांक १३६·३ था और जुलाई में यह बढ़ कर १४९·३ हो गया। न केवल उत्पादन बढ़ा है बल्कि निर्धन व्यक्ति भी वे वस्तुएं खरीद सकते हैं जिन का उत्पादन बढ़ा है। मजदूरों का जीवन यापन व्यय भी पहले की अपेक्षा कम हो रहा है ।

इस के अतिरिक्त हमें अपनी सरकार पर गर्व है कि उस ने मुद्रास्फीति को काबू में रखा है। कोरिया में युद्ध छिड़ने के समय की अपेक्षा अब मुद्रास्फीति कम है। इस सम्बन्ध में हमारी स्थिति अन्य कई देशों की अपेक्षा अच्छी है। हमारी मुद्रा का विनिमय मूल्य स्थिर है। इसीलिये आयात के बारे में हमें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इस सफलता का सेहरा भी सरकार और उस की आर्थिक ीति के सिर है ।

हमारे सामने पूंजी के आकलन की समस्या है। पूंजी का आकलन तभी हो सकता है जब कि लोग रुपया बचायें। और लोगों को रुपया बचाने का प्रोत्साहन तभी मिल सकता है जब कि रुपये का मूल्य स्थिर हो। हम सरकार के कृतज्ञ हैं कि उस ने रुपये का मूल्य स्थिर कर दिया है ।

जहां तक विदेशी पूंजी का सम्बन्ध है वह कुछ विशेष शर्तों के अधीन ही हमें मिल सकती है। पिछले कुछ वर्षों में हमें सहायता और अन्य संसाधनों के रूप में २०० करोड़ रुपये की राशि मिली है। इस के अतिरिक्त विदेशी भारत में पूंजी लगा रहे हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि उन्हें हमारी अर्थ-व्यवस्था की स्थिरता और दृढ़ता पर पूरा विश्वास है। इतनी पूंजी लग जाने पर भी मुद्रास्फीति काबू में है, यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार की नीति दूरदर्शिता-पूर्ण है ।

पिछले कुछ वर्षों से हम घाटे की अर्थ-व्यवस्था अपना रहे हैं और इस से वित्तीय दृढ़ता बनाये रखने का काम और भी कठिन हो जाता है। ऐसी हालत में स्थिरता और दृढ़ता बनाये रखना प्रस्तुत आर्थिक नीति के कारण ही सम्भव हुआ है। इस के लिये हमारे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री और वित्त मंत्री भी जिम्मेदार हैं जो इस नीति के मुख्य निर्माता हैं ।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्) : मेरा विचार है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने कुटीर उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये जो कुछ किया है वह और कोई मंत्रालय नहीं कर सकता था। परन्तु इन उद्योगों को प्रत्यक्ष सहायता देना अशक्ति जनक है। आप ऐसा कर भी लें तो कभी-न कभी तो यह बन्द करना ही पड़ेगा ।

हमें इस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में जो सहायता देगी वह राज्य सरकारों की मार्फत दी जायेगी। और हम उस में जो दोष निकालें उन्हें राज्य सरकारें दूर कर सकती हैं। पिछले दो वर्षों में इस सहायता के लिये आय व्ययक में जो राशि रखी गयी थी और जितनी दी गई थी उस के आंकड़ों को देखने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार इन उद्योगों से विमाता जैसा व्यवहार कर रही है।

श्री हीरेन मुकर्जी ने कहा है कि सरकार इस सम्बन्ध में आत्मतुष्ट हो कर बैठी रही है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि सरकार वित्तीय स्थिति में कुछ दृढ़ता लाने में सफल हुई है। परन्तु यह कहना गलत है कि सरकार इस सम्बन्ध में चुप बैठी रही है और मैं सदन का ध्यान इस ओर.....

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

[इस के पश्चात् लोक-सभा मंगलवार २१ दिसम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।]

GIPND—HS—586 LSD—15-7-55—240